ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

जुलाई, 2002

मूल्य: 7 रुपये

मध्य प्रदेश पर विशेष

IAS 2002-2003

'SHAPING AMBITIONS INTO REALITY'

हमारे लिए सिर्फ ध्येय वाक्य नहीं, एक अभियान भी है .....

विगत तीन वर्षो में, उत्कृष्ठ शिक्षा व मार्गदर्शन के माध्यम से हमने इसे एक दिशा दी है .....

100 से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के चयन और सौरभ बाबू महेश्वरी (IAS TOPPER 1999) व राहुल श्रीवास्तव (UPPCS TOPPER 2000) के परिणाम ने हमारे प्रयास को विश्वसनीयता प्रदान की, हमें गौरव दिलाया ।

.....बावजूद इसके, हम भरोसा करते है आपके निर्णय पर, जब आपको सौपना होता है अपने मार्गदर्शन का दायित्व.....सही विषय, मार्गदर्शन व संस्थान का चुनाव ही सारी दिशा निर्धारित करते है।

हमें सर्वश्रेष्ठ होने का विश्वास है ।

अपना नामांकन करायें और एक सप्ताह निःशुल्क कक्षाओं में इसकी परीक्षा करें ।

आपका निर्णय इसे और मजबूत बनाएगा ।

Our Previous Results

IAS 1999 - 12 selections
3 rankers in top 100

IAS 2000 - 52 selections
5 rankers in top 100

IAS 2001 - 58 selections
9 rankers in top 100

Subject Offered :

DELHI CENTRE

General Studies • Pol. Science
Pub. Admin. • Philosophy
History • Hindi Literature
Sociology • Maths • Zoology
Chemistry • Essay

ALLAHABAD CENTRE

Gen. Studies • Pol. Science
Pub. Admin. • Philosophy
History • Hindi Literature
Sociology • Social Work
Essay

JHANSI CENTRE

Gen. Studies • Pol. Science
History • Hindi Literature
Sociology • Maths • Chemistry
Essay

(हिन्दी व English दोनों माध्यमों में)

FLEXI MODULES AVAILABLE

BATCHES FROM :

20TH & 25TH JUNE 2002
10TH & 25TH JULY 2002

CAREER SHAPERS

DELHI : 27-G, Shapers House, Jia Sarai, New Delhi-16
Tel. : 6611045, 6611047
Email : careershapers@indiatimes.com
Web : www.careershapers.org

ALLAHABAD : 506-B, Mamfordganj, (near Tripathi Crossing) Tel. : 440167

JHANSI : 371, First Floor, Jeevan Shah, Civil Lines, Jhansi-1 Tel. : 9838005464

योजना

वर्ष : 46 अंक 4 जुलाई, 2002 आषाढ़-श्रावण, शक-संवत् 1924

प्रधान संपादक
सुभाष सेतिया

कार्यकारी संपादक
अंजनी भूषण

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 3710473, 3717910
3715481/2510, 2508, 2566

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन एवं वितरण प्रबंधक
प्रकाश चन्द्र आहूजा

आवरण
नवल किशोर

इस अंक में

- **प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से बदलती गांव की तस्वीर** — बालमुकुंद बघेल — 4
- **जिला सरकार के दो वर्ष : एक मूल्यांकन** — संजीव निकुंम — 9
- **प्रागैतिहासिक काल से ही कला और संस्कृति का संगम है मध्य प्रदेश** — अनंत मित्तल — 13
- **ज्ञानदूत परियोजना सूचना क्रांति से जनक्रांति** — राहुल देव — 17
- **एक जंग शिक्षा के नाम** — ऋषिका खरे — 20
- **इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना** — विनोद मोदी — 22
- **मध्य प्रदेश के रंगीन चित्र** — 25
- **यातायात का सुलभ साधन दिल्ली मेट्रो रेल** — गरिमा संजय — 29
- **खतरे में पड़ा गजराज** — विजय कुमार — 33
- **महिलाओं की स्थिति एवं विकास** — रत्ना श्रीवास्तव — 36
- **स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु जैविक खेती** — बी.एस. मीना, जी.एम. माथुर — 41
- **राष्ट्रीय विकास में लोक सेवाओं की भूमिका** — सुरेन्द्र कटारिया — 44
- **जहां चाह, वहां राह— उफरैखाल में जल और जंगल की खेती** — जितेंद्र गुप्त — 47
- **स्वास्थ्य-चर्चा** — — 49

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-
विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 6100207, 6105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक :** 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

देश भर में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के वर्तमान प्रयासों के तहत देश का हृदय प्रदेश कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश में लोकतांत्रीकरण की दिशा में अच्छे प्रयास किए गए हैं जिनके चलते वहां ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। जन-जागरण का यह नया अध्याय मध्य प्रदेश को विकास मार्ग पर तीव्र गति से आगे ले जाएगा, इसमें शंका नहीं। राज्य में पर्यटन विकास की अपार संभावनाओं का भी जन-सहयोग द्वारा पूर्ण दोहन करके विकास की गति तीव्रतर की जा सकती है। मध्य प्रदेश पर विशेष सामग्री के संकलन द्वारा वहां पंचायती राज, शिक्षा, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जारी नवीन प्रयासों का खुलासा किया गया है। पर्यटन संबंधी कुछ रंगीन चित्र राज्य के पर्यटक स्थलों से पाठकों को परिचित करा सकेंगे।

देश की राजधानी दिल्ली में यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से चल रही मेट्रो रेल परियोजना के बारे में सविस्तार जानने को हमारे पाठक, विशेष तौर पर दिल्ली के पाठक, अवश्य उत्सुक होंगे। प्रथम चरण में 41 किलोमीटर लंबे सतही मार्ग या उपरिगामी मार्ग तथा 11 किलोमीटर लंबे भूमिगत मार्ग का निर्माण वर्ष 2005 तक पूरा किए जाने की योजना है। परियोजना के अनुसार प्रति 3 मिनट पर रेल-सेवा उपलब्ध होगी और ट्रेन की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। राजधानी के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर निस्संदेह इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

भारतवासी हाथी को बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। प्रकृति के इस विशालतम जीव के अस्तित्व पर आज संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रकृति ने उसे जो सुंदर दांत शोभा बढ़ाने के लिए दिए वे दांत ही उसके लिए अभिशाप बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथी दांत की कीमत 100 से 200 डालर प्रति किलो के बीच है जिसके कारण इनकी हत्या का सिलसिला निरंतर जारी है। इन्हें बचाने के प्रयास तेज न किए गए तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि हाथी केवल कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएं। 'खतरे में पड़ा गजराज' इसी चिंता निवारक उपायों से संबद्ध है।

'स्वास्थ्य-चर्चा' के तहत आंखों को स्वस्थ रखने के कुछ सरल उपायों की चर्चा की गई है। कंप्यूटरों के बढ़ते उपयोग के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आंखों को तनावमुक्त रखने के छोटे-छोटे एहतियात बरतने आवश्यक हो गए हैं। यह क्यों और कैसे किया जाए इसकी जानकारी दे रहे हैं एक प्रसिद्ध चिकित्सक एवं स्तंभकार।

'जहां चाह, वहां राह' नामक हमारे लोकप्रिय स्तंभ में इस बार चर्चा है उत्तरांचल के उफरैखाल नामक कस्बे में जल और जंगल की खेती के प्रयासों की, जो स्पष्ट करती है कि जन-समुदाय कि भागीदारी से ही असल और दीर्घकालिक विकास संभव है। जल और जंगल को बचाने के इन प्रयासों को देश के अन्य स्थानों पर दोहराकर सरकारी प्रयत्नों की गति दोगुनी की जा सकती है।

आपकी राय

कैरियर आलेख भी शामिल करें

मई 2002 के अंक में बजट की तैयारी पर महीपाल चारण 'हिलोड़ी' का लेख पसंद आया लेकिन इस आलेख में एक कमी यह रही कि राज्यों के बजट पर बिल्कुल चर्चा नहीं की गई। 'डिजीटल लाइब्रेरी' की जानकारी भी रोचक लगी। कृपया आप सभी लेखकों का पूर्ण पता लिखें जिससे उनसे पत्र-व्यवहार किया जा सके।

साथ ही अनुरोध है कि 'कैरियर आलेख' तथा 'प्रशासनिक आलेख' भी प्रकाशित करें जिनसे प्रतियोगियों को लाभ मिले।

—सीमा अग्रवाल,
मानसरोवर (जयपुर)

आर्थिक समीक्षात्मक विवरण दें

मैं योजना का नियमित छात्र हूं और इस पत्रिका में जोड़े गए 'आपकी राय' को पढ़ा तो मुझे भी अपनी राय देने के लिए विवश होना पड़ा। पत्रिका को प्रतियोगिताओं के गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कुछ और बातों को जोड़ना मैं उचित समझता हूं। मेरा सुझाव है कि आप इस पत्रिका के अंत में 'आर्थिक समीक्षात्मक' विवरण जोड़ें। इससे प्रतियोगी छात्र लाभान्वित होंगे।

—संजय कुमार राठौर,
पुनाइचक, पटना (बिहार)

प्रेरक पत्रिका

मई अंक देखकर मैं खुद को रोक नहीं सकी और तुरंत ही पत्र लिखने बैठ गई। 'योजना' जो एक 'आर्थिक विषयों की पत्रिका' जानी जाती है में अन्य विषयों पर भी इतने उत्कृष्ट लेख पढ़ने को मिलेंगे, सोचा नहीं था समझ नहीं आ रहा कि लेख से शुरू करूं। बस! इतना ही कि सभी लेख अपने-आप में सर्वोत्तम हैं। अब 'योजना' न सिर्फ ज्ञानवर्द्धक पत्रिका है बल्कि हमारे लिए प्रेरक का काम भी कर रही है अपने स्तंभ जहां चाह, वहां राह के माध्यम से। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे लेखों का असर लोगों पर पड़ता है भले ही प्रतिशत कम हो लेकिन वो कहते हैं न— कुछ नहीं से जोड़ा भला।

—शालू,
मुजफ्फरपुर (बिहार)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

वास्तविक तथा यथार्थ तस्वीर

मैं आपकी पत्रिका का ग्रामीण क्षेत्र का एक नियमित पाठक हूं। मई अंक में काशी गोपाल श्रीवास्तव जी का 'क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव है?' लेख वास्तविक तथा यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करता है। वास्तव में नारी 'देश के विकास का आइना' होती है। दुर्गा सप्तशती में एक आदर्श वाक्य मिलता है— ''विद्या समस्तास्तव देवि भेदा: स्त्रिय: समरना सकला जगत्सु'' अर्थात इस सम्पूर्ण जगत में समस्त विधाएं तथा सम्पूर्ण स्त्रियां उस एक परमात्म-शक्ति दुर्गा मां के ही रूप हैं। 'यादेवि सर्वभूतेषु मातृ रुपेण संस्थिता' तथा 'यादेवि सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता' आदि उक्तियों द्वारा स्त्री को पुरुष के ऊपर रखा गया है अर्थात नारी की सहभागिता के बिना हम किसी उच्च शिखर पर सर्वथा नहीं पहुंच सकते।

सफल जीवन के लिए जिन तीन साधनों— विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता होती है, वे तीनों साधन नारी रूपी देवी— सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं।

नारी कोमल जरूर है, मगर कमजोर नहीं है। उसे बेचारी कहकर उसकी शक्ति को उभरने नहीं दिया जाता है। अगर वास्तव में देश का विकास करना है तो नारी की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी होगी तथा बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव मिटाकर उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी होगी।

—दिलीप कुमार जायसवाल,
चिरैयाकोट (उ. प्र.)

आने वाली पीढ़ियों को बचाएं

मई अंक पढ़ा। 'धूम्रपान पर पाबंदी', 'समुद्र में कशीदाकारी प्रवल भित्तियां', 'स्वतंत्रता की वर्दी 'खादी' अब फैशन की वर्दी' आदि लेख काफी ज्ञानवर्द्धक एवं रोचक लगे।

तम्बाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यह सभी जानते हैं। इसके बावजूद प्रति वर्ष 42 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से होती है जो किसी न किसी रूप में तम्बाकू का सेवन करते हैं। लोगों को इस दिशा में जागरूक करना बहुत जरूरी है। सरकार को 'तम्बाकू निषेध' के कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए और प्रत्येक राज्यों को उसका सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें कम से कम इस बुरी आदत से बची रहें।

—शशि सिंह,
झुमरीतिलैया (झारखण्ड)

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण से बदलती गांवों की तस्वीर

○ बालमुकुंद बघेल

एक नवंबर, 2001 को राज्य की स्थापना के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश ने जहां विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल कीं, वहीं यह भी कहा जा सकता है कि प्रदेश की उपलब्धियां उसकी क्षमताओं से कम रहीं किंतु विगत एक दशक में यह कमी काफी हद तक पूरी हुई है और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की सीमा से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है।

स्वतंत्रता के 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारत में ग्रामीण विकास की तस्वीर धुंधली ही नजर आती है इसका प्रमुख कारण यह है कि विकास के प्रतिमानों का निर्धारण उच्च स्तर पर किया जाता है। विगत कुछ वर्षों से इस बात को स्वीकार किया जाने लगा है कि ग्रामीणों का विकास उनकी सहभागिता पर ही निर्भर है। अत: ग्रामीण विकास की योजनाओं के निर्धारण का कार्य हो या उनके क्रियान्वयन का, वह ग्रामीणों के द्वारा ही तय किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी अर्थात ग्रामीणों को 'स्वयं के साधनों से स्वयं का विकास' करने के अवसर प्रदान किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के मार्ग को तेजी से अपनाया जाए। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के मार्ग को अपनाने तथा विकास में ग्रामीणों की भागीदारी तय करने में भारत का 'हृदय प्रदेश' कहलाने वाला 'मध्य प्रदेश' राज्य अग्रणी रहा है। 1 नवंबर, 2001 को राज्य की स्थापना के 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश ने जहां विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल कीं, वहीं यह भी कहा जा सकता है कि प्रदेश की उपलब्धियां उसकी क्षमताओं से कम रहीं किंतु विगत एक दशक में यह कमी काफी हद तक पूरी हुई है और मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की सीमा से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है। प्रस्तुत लेख में मध्य प्रदेश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कितना मजबूत किया गया है तथा 'तंत्र' की बजाय 'लोक' को कितना महत्व और अधिकार दिए गए हैं इस बात का खुलासा किया गया है।

मध्य प्रदेश में समुदाय की भागीदारी और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से जहां विकास को मजबूती मिली है वहीं इससे शासन व्यवस्था का नया स्वरूप उभरकर सामने आया है। शासन व्यवस्था के इस नए स्वरूप ने लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रजातांत्रिक अधिकारों का अहसास कराया है तथा राज्य का शासकीय अमला लोगों के प्रति अधिक जबावदेह बन गया है।

मध्य प्रदेश में प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करने के प्रयास किए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 24 जनवरी, 1994 को पंचायती राज की शुरुआत हुई और लगभग 5 लाख पंच, सरपंचों ने गांव की सत्ता में भागीदारी निभाई। वर्तमान में स्थानीय स्वशासन, जिला सरकार, ग्रामस्वराज और विभिन्न समितियों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग अपने शहर, गांव, देहात के विकास में सरकार की भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामवासियों को 'स्वयं के साधनों से स्वयं का विकास' करने का अवसर दिया गया है। सरकार सहयोगी की भूमिका का निर्वाह कर रही है तथा 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अपने क्षेत्र में निर्माण, विकास तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के

पंचायत का एक दृश्य

क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण आदि के व्यापक अधिकार उन्हें सौंपे गए हैं। असली सत्ता ग्रामवासियों के हाथों में सौंपने का यह सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाओं यथा— शिक्षा गारंटी योजना, ज्ञानदूत योजना आदि को अन्य राज्यों ने अपनाया है तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। समुदाय की भागीदारी से विकास का जो 'मध्य प्रदेश मॉडल' विकसित हुआ है उसे न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना एवं मान्यता मिली है।

भारत में आजादी के बाद से ही 'जन' पर 'तंत्र' हावी रहा है। दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी, लाल फीताशाही एवं नौकरशाही के चलते 'जन' का विकास नहीं हो पाया है किंतु मध्य प्रदेश में 'तंत्र' को 'जन' की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित, प्रेरित एवं निर्देशित किया गया है और राजनीति से लोकनीति का नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। यों तो प्रदेश में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं किंतु ग्रामीण विकास की दिशा में मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं:—

ग्राम स्वराज : संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को देश में सबसे पहले लागू करने का गौरव मध्य प्रदेश को मिला है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामवासियों के विकास के लिए व्यापक स्तर पर अधिकारों का हस्तांतरण किया गया है। पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी के आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप ग्रामसभा को प्रजातंत्र की इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 26 जनवरी, 2001 से ग्राम स्वराज रूपी एक अभिनव प्रयोग का प्रारंभ किया गया है। इस परिकल्पना का उद्देश्य ग्रामसभा के माध्यम से लोगों को शक्ति संपन्न बनाकर स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से विकास को नई दिशा देना है। ग्राम स्वराज के अंतर्गत प्रत्येक गांव में ग्रामसभा का गठन किया गया है। ग्रामसभा का काम ग्रामीण विकास की नीतियां बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आठ समितियां, ग्राम विकास, सार्वजनिक संपदा, कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण सुरक्षा, अधो-संरचना, शिक्षा और सामाजिक न्याय के नाम से गठित की गई है। ग्राम कोष के नाम से एक निधि प्रत्येक गांव में बनाई जाएगी। सरपंच, उप सरपंच एवं पंच को ग्रामसभा की विभिन्न समितियों में शामिल किया गया है। चैक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार सरपंच एवं कोषाध्यक्ष को दिया गया है। इस प्रकार ग्राम स्वराज व्यवस्था के अंतर्गत 50 लाख से भी अधिक लोग सीधे गांव के विकास में सरकार की भूमिका निभा रहे हैं।

ग्राम संपर्क अभियान : प्रशासन के लोगों को करीब लाने के लिए ग्राम संपर्क अभियान के रूप में अभिनव पहल की गई है इससे प्रशासन में बैठे लोगों को ग्रामीणों की समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने के लिए उपाय करने का अवसर मिलता है तथा इस कदम से प्रशासन और ग्रामीणों के बीच की खाई कम हुई है। प्रदेश में ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की संबंधित गांव में ही जाकर समीक्षा की जाती है तथा देखा जाता है कि योजनाएं कार्य रूप में परिणत हो रही हैं या केवल कागजों पर चल रही हैं। ग्रामीणों की छोटी-छोटी समस्याओं का निदान स्थल पर ही कर दिया जाता है तथा बड़ी समस्याओं के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा जाता है। ग्राम संपर्क अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का निदान कर उन्हें शून्य स्तर पर पहुंचाना होता है। इस अभियान के चलने से ग्रामीण क्षेत्र में तैनात शासकीय अमला (तंत्र) भी सजग होकर कार्य करता है। प्रदेश सरकार का यह एक अभिनव कदम है जिसे ग्रामीणों के हित में निरंतर जारी रखा जाना चाहिए।

शिक्षा गारंटी योजना : प्रदेश में हर व्यक्ति शिक्षित और साक्षर बने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। इसे एक मिशन का रूप दिया गया है और गांव-गांव में सुनिश्चित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत हर एक किलोमीटर पर प्राथमिकस्कूल खोलने के बाद अब माध्यमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण किया जा रहा है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा वर्ष 1994 में प्रारंभ

की गई इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 32 हजार प्राथमिक स्कूल खोले जा चुके हैं। जिसमें 26 हजार स्कूल दूर बसाहटों में समुदाय के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। आज शिक्षा गारंटी योजना को राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय साक्षरता स्तर के समकक्ष है जबकि पुरुष साक्षरता के मामले में राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से अधिक है। विभाजित मध्य प्रदेश में साक्षरता का स्तर 64.11 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 76.80 प्रतिशत और महिला साक्षरता 50.28 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता का स्तर (1991 से 2001 के बीच) 20.93 प्रतिशत बढ़ा। इस प्रकार 22 लाख महिलाएं निरक्षरता की गुलामी से आजाद हुई हैं। महिला सशक्तीकरण वर्ष में महिला साक्षरता में वृद्धि के लिए राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्य प्रदेश को 'महिला साक्षरता दशकीय उपलब्धि का राष्ट्रीय पुरस्कार' अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। वर्ष 1991 में पुरुष साक्षरता 58.54 एवं महिला साक्षरता 29.35 थी।

स्वस्थ जीवन सेवा गारंटी योजना : स्वस्थ एवं निरोग रहने से समाज में सुख और समृद्धि बढ़ती है। प्रदेश में सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में 'स्वस्थ जीवन सेवा गारंटी योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षक और दाई को प्रशिक्षित कर उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिसंबर 2002 तक प्रत्येक गांव में इनकी नियुक्ति की योजना है। इसके अलावा गांवों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं।

संयुक्त वन-प्रबंधन : देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में वनों के विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी आम लोगों को सौंपी गई है। वन विभाग के सहकारी अमले को ग्रामवन समितियों के सहयोगी के रूप में कार्य करने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश मे लगभग 10 हजार 500 ग्रामवन समिति, वन सुरक्षा समिति और ईको विकास समितियों का गठन किया है। इनमें 10 लाख से अधिक सदस्य हैं। ये समितियां 39 हजार वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र की सुरक्षा और वनों के विकास का कार्य कर रही हैं। यह कुल वनक्षेत्र का 41 प्रतिशत है। वर्ष 1997 से 1999 के बीच मध्य प्रदेश के वन आवरण में 376 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है। लघु वनोपज समितियों के सदस्य के रूप में 18 लाख संग्राहकों को लाभ मिल रहा है।

राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन: मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे कार्यक्रमों को मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत 15 जिलों के 2650 ग्रामों में अन्न बैंक स्थापित किए गए हैं। इनके मार्फत लगभग 1 लाख 83 हजार गरीब परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा मिली है। प्रत्येक अन्न बैंक में 20 से 30 क्विंटल अनाज उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रत्येक सदस्य परिवार को जरूरत के वक्त 50 किलोग्राम तक अनाज उपलब्ध हो सकता है। फसल आने के बाद ये परिवार उनके द्वारा लिए गए अनाज को अन्न बैंक में वापस लौटाते हैं और इस प्रकार अन्न का यह कोष अन्न बैंक में हमेशा बना रहता है।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र-प्रबंधन मिशन : जलग्रहण प्रबंधन मिशन द्वारा पर्यावरण पुनर्जीवित करने और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसके तहत सूखा उन्मुख क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका की सुरक्षा देना, कृषि उत्पादकता और गरीबों के संसाधनों में वृद्धि करना, पारिस्थितिकीय और खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। मिशन ने समुदाय आधारित जलग्रहण प्रबंधन की रणनीति को अपनाया तथा स्थानीय लोगों को जलग्रहण समितियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

मिशन का विस्तार प्रदेश के 45 जिलों में सभी विकास खंडों में हैं। जलग्रहण क्षेत्र विकास का कार्य 5047 वॉटरशेड्स, जो 7343 गांवों में फैले हैं में किया जा रहा है। मिशन की गतिविधियों के फलस्वरूप 43 हजार उपयोगकर्ता समूह, 14 हजार स्व-सहायता समूह और 7500 महिला बचत और साख समूह संगठित हुए हैं। जलग्रहण क्षेत्र विकास की गतिविधियों से गांवों में खरीफ और रबी क्षेत्रों में क्रमश: 21 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। और भी महत्वपूर्ण इन गांवों के सिंचित रकबे में 59 फीसदी वृद्धि है। मिशन कार्य क्षेत्र में गांवों में बंजर भूमि में 34 प्रतिशत की कमी हुई है। चारा उत्पादन भी 37 हजार टन हुआ है। इसके अलावा 3294 गांवों में भू-जल स्तर भी बढ़ा है। मिशन में शामिल अधिकांश गांवों में सूखे की स्थिति का सामना करने की क्षमता का भी विकास हुआ है। मध्य प्रदेश के जलग्रहण विकास के मिशन मॉडल को आंध्र प्रदेश ने वर्ष 1999 में, उड़ीसा ने वर्ष 2000 में और राजस्थान ने वर्ष 2001 में अपनाया है।

जलग्रहण क्षेत्र मिशन ने पानी रोको अभियान के जरिये समुदाय आधारित विकास की अवधारणा की असीम संभावनाओं को प्रकट किया है। मिशन ने पानी के संरक्षण और संवर्धन के आसान तरीकों को विकसित किया। राज्य सरकार ने अभूतपूर्व सूखे के मद्देनजर विभिन्न स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर पूरे राज्य में जलसंरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिए पानी रोको अभियान प्रारंभ किया। इतने बड़े पैमाने पर जलसंरक्षण के कार्य कभी नहीं किए गए थे। इसके परिणाम उम्मीद

से कहीं अधिक आए। लोगों में पानी संरक्षण के प्रति एक नई जागरूकता उत्पन्न हुई। पांच माह की अवधि में प्रदेश ने 415 करोड़ रुपये के निवेश से सात लाख से अधिक जलसंरक्षण संरचनाएं निर्मित हुईं। जनसमुदाय द्वारा सौ करोड़ रुपये का योगदान किया गया। अभियान के दौरान 1290 लाख घनमीटर मिट्टी खोदी गई जिससे 9480 लाख घनमीटर जलसंरक्षण की क्षमता निर्मित की गई।

पढ़ना-बढ़ना आंदोलन : राजीव गांधी शिक्षा मिशन ने साक्षरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक राज्य विशिष्ट कार्यक्रम पढ़ना-बढ़ना आंदोलन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए साक्षरता के कार्यक्रम से यह कई मामलों में भिन्न है। 'पढ़ना-बढ़ना आंदोलन' में निरक्षर व्यक्तियों ने स्वयं की समितियों का गठन किया और किसी भी स्थानीय पढ़े-लिखे व्यक्ति को अपना गुरुजी चुना। समिति में शामिल नामों की जांच के बाद गुरुजी के प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री की व्यवस्था मिशन द्वारा की गई। साक्षरता के इस आंदोलन में 50 लाख से अधिक निरक्षर लोग अपनी दो लाख 17 हजार समितियों के माध्यम से शामिल हुए। तीन साक्षरता की प्रायमर और एक अधिकारों पर आधारित प्रायमर द्वारा शिक्षण दिया गया। एक वर्ष बाद 7-9 दिसंबर, 2000 के दौरान सभी शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया गया। प्रत्येक सफल शिक्षार्थी की तरफ से सौ रुपये की गुरुदक्षिणा गुरुजी को दी गई। अब पढ़ना-बढ़ना समितियों को आर्थिक बेहतरी की ओर ले जाने के उद्देश्य से उन्हें स्व-सहायता समूहों में परिवर्तित किया जा चुका है। पढ़ना-बढ़ना आंदोलन ने एक वर्ष में 30 लाख लोगों को साक्षर किया। जनगणना के नतीजों ने मध्य प्रदेश में रणनीति में किए गए इन परिवर्तनों को पूरी तरह से सही सिद्ध कर दिया है।

अधोसंरचनात्मक विकास : अधो-संरचनात्मक विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने के प्रयास तेजी से जारी हैं तथा नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति गरीबी रेखा के नीचे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को दी जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति : आम आदमी की भलाई और प्रदेश के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई गई है तहसील मुख्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है धार जिले में लागू स्टाक होम पुरस्कार पा चुकी 'ज्ञानदूत परियोजना' का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रमों में आई.टी. आधारित शिक्षा का समावेश किया जा रहा है।

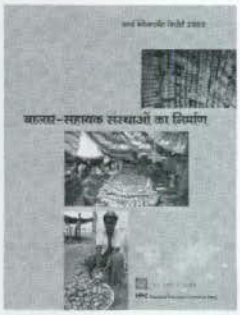

बाजार-सहायक संस्थाओं का निर्माण

-Hindi Edition of
World Development Report 2002
-Building Institutions For Markets

Price for India: Rs.475.00
Other countries: US$26.00

Over 6380 UN reports & books on ***environment*** by

- United Nations Environment Programme **(UNEP)**
- International Institute for Environment and Development
- United Nations Children's Fund -Research Center
- International Service for National Agricultural Research
- International Plant Genetic Resources Institute
- International Commission on Non-Ionizing radiation

Order your copy per VPP or DD in advance. Postage free.

License:
The World Bank
Washington D. C.

इस रिपोर्ट में बाजार-सहायक संस्थाओं के निर्माण से संबंधित मुद्दों की चर्चा की गई है। वर्ल्ड बैंक के आन्तरिक एवं बाह्य शोधों एवं अनुभवों को आधार बनाकर तैयार किया गया वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट का यह २४ वां संस्करण यह जानकारी देता है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण लोग कैसे करते हैं। बाजार-सहायक संस्थाओं का निर्माण उन वर्ल्ड डेवेलपमेंट सूचकों से पुष्ट है जिनसे विश्व में विकास के हालिया रूझानों की झलक मिलती है। कुल मिलाकर यह रिपोर्ट नीति निर्देशकों, शोधकर्त्ताओं, तथा अन्य विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए अमूल्य जानकारी तथा मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है।

UNEP

Representative
India Nepal B'desh

Distributors wanted

hindustan publishing corporation
4805 Bharat Ram Road, 24 Darya Ganj, New Delhi – 110002
Tel (011) 3254401 fax (011) 3274405 email: hpc@vsnl.com
Download our catalogues from www.hpc.cc

महिला सशक्तीकरण : वर्ष 2001 पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रदेश में एक सुविचारित महिला नीति बनाकर उसे पूरी तरह प्रयोग में लाने के बाद अब नए संदर्भों में समायोजित किया जा रहा है। पंचायत, नगरीय निकाय और सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है और वे बखूबी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसी प्रकार शासकीय नौकरियों में भी 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।

जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार : चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा मनमानी करने की दशा में मतदाताओं को उन्हें वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है जो कि प्रजातंत्र की मजबूती की दिशा में अद्वितीय कदम है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर चुने गए पंचायतों के पदाधिकारियों को वापस बुलाने का अधिकार ग्रामवासियों को दिया गया है और इसका प्रयोग मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर किया भी जा चुका है। इससे चुने गए पदाधिकारियों में जिम्मेदारियों की भावना बलबती हुई है।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के चलते ग्रामीण विकास की एक नई तस्वीर देखने को मिलती है। प्रदेश में सत्ता संचालन की प्रक्रिया में जनता को हिस्सेदार बनाया गया है। जो वास्तव में जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन देखने को मिलता है। समुदाय की भागीदारी और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में मिशन पद्धति का प्रयोग एवं अभिनव कदम रहा है। मध्य प्रदेश में हुए नवाचार से प्रजातंत्र तो मजबूत हुआ ही है लोगों ने विकास के हाथ बंटाने की भारतीय परंपरा को फिर से अपनाया है। सहकारिता की इस भावना से निश्चित ही विकास का मार्ग प्रशस्त होगा तथा सरकार के सहयोग एवं प्रेरणा से सामाजिक जन जागरण का यह नया अध्याय मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से ले जाएगा किंतु सरकार को समय-समय पर इन नए-नए प्रयोगों का मूल्यांकन भी करना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में इन नए प्रयोगों का लाभ वांछित व्यक्तियों को मिल रहा है या नहीं। ❑

(व्याख्याता (एम.ओ.एम.) सहोद्राराय शासकीय महिला पॉलीटेकनिक, सागर (म.प्र.)।)

मध्य प्रदेश सरकार की 'भाग्योदय' योजना

मध्य प्रदेश में अल्पबचत को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 जून, 2002 से 'भाग्योदय' योजना शुरू की जा रही है। यह योजना 31 मार्च, 2003 तक लागू रहेगी।

इस योजना में निवेशकों, अल्पबचत एजेंटों डाकघरों, बैंकों और योजना के क्रियान्वयन में भागीदारी करने वालो को कुल 12 करोड़ 37 लाख रुपये के 72 हजार 188 पुरस्कार दिए जाएंगे। योजना में पहली बार 25 लाख रुपये का बम्पर पुरस्कार रखा गया है। साथ ही प्रत्येक सीरीज में पांच लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। योजना में प्रत्येक लाख कूपनों पर एक एक लाख रुपये का एक पुरस्कार होगा।

जनमानस में अल्पबचत को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से 'भाग्योदय' योजना में दो मिनी ड्रा और एक मुख्य ड्रा का प्रावधान रखा गया है। प्रथम मिनी ड्रा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवम्बर, 2003 को इंदौर में संपन्न होगा। इसमें कुल एक करोड़ 49 लाख 78 रुपये के 1832 पुरस्कार दिए जाएंगे। दूसरा मिनी ड्रा एक फरवरी 2003 को जबलपुर में आयोजित होगा। इसमें कुल एक करोड़ 84 लाख 50 हजार रुपये के 2288 पुरस्कार दिए जाएंगे। तीसरा और अंतिम मुख्य ड्रा एक मई 2003 को भोपाल में होगा। इसमें कुल नौ करोड़ 3 लाख 10 हजार रुपये के 68 पुरस्कार दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में अल्पबचत के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए राज्य शासन ने गत वित्तीय वर्ष में एक फरवरी से 31 मार्च 2002 तक निशुल्क उपहार कूपन योजना चलाई थी। इस योजना को मिली भारी सफलता को देखते हुए इस वर्ष एक जून 2002 से 'भाग्योदय' योजना शुरू की जा रही है।

'भाग्योदय' योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पबचत योजनाओं, किसान विकास पत्र, छह वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र, आठवां निर्गम राष्ट्रीय बचत योजना खाता 1992, पांच वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, 1 जून, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक की अवधि में खोले गए नए खातों में जमा राशि पर दो तीन एवं पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता, पंद्रह वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना 1991 में से किन्हीं योजनाओं में निवेश करना होगा।

उक्त योजना में जहां निवेशकों को करोड़ों रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे वहीं अल्पबचत एजेंटों, कूपन वितरणकर्ताओं और योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

'भाग्योदय' योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक संग्रहण करने वाले जिलों के जिला कलेक्टरों और उत्कृष्ट संग्रहण के लिए उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों और कर्मचारियों को भी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में लक्ष्य का सर्वाधिक प्रतिशत संग्रहण करने वाले प्रथम तीन जिलों और सर्वाधिक धनराशि संग्रहण करने वाले जिलों तथा एजेंटों को भी पुरस्कृत किया जाएगा।

जिला सरकार के दो वर्ष एक मूल्यांकन

○ संजीव निकुंम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकेन्द्रीकृत, लोकोन्मुख, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासकीय व्यवस्था निर्मित करने की दृष्टि से 'जिला सरकार' की कल्पना की गई है। लेखक के अनुसार जिला सरकार की यह अवधारणा आकस्मिक रूप से पैदा नहीं हुई अपितु इसका स्वरूप प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं से प्रेरित रहा है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकेन्द्रीकृत, लोकोन्मुख, संवेदनशील एवं जवाबदेह, प्रशासकीय व्यवस्था निर्मित करने की दृष्टि से 'जिला सरकार' की कल्पना की गई है। जिला सरकार की यह अवधारणा आकस्मिक रूप से पैदा नहीं हुई अपितु इसका स्वरूप प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं से प्रेरित रहा है। वैदिक काल की 'सभा' हो या मौर्य काल की ग्रामीण नेतृत्व वाली 'ग्राम सभा' ये प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का ही स्वरूप थीं। वर्तमान 'जिला सरकार' का वास्तविक प्राचीनतम स्वरूप हमें पल्लवकालीन तथा चौलकालीन विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में दिखाई पड़ता है जहां जिलाधिकारी के लिए जिले के प्रतिनिधियों की एक स्वायत्त संस्था 'नाडू' का गठन किया गया था जिसे जिले की योजनाओं एवं वित्तीय स्थिति संबंधी विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान जिला सरकार योजना लगभग वर्ष 1972 के मुकर्जी-प्लान में प्रस्तावित योजना जैसी है। इससे पूर्व वर्ष 1955 में जिला योजना समिति अधिनियम द्वारा भी जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई थी। इसी आधार पर स्वर्गीय राजीव गांधी की जिला योजना संबंधी अवधारणा में जिला सरकार की स्थापना को मूर्तरूप देने का प्रयत्न किया गया।

'विकेन्द्रीकरण' का अर्थ है सरकार के आकार को छोटा कर उसे स्थानीय स्वरूप प्रदान करना जिससे निर्णय प्रक्रिया में सामान्य नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। सहभागिता का अर्थ केवल मतदान करना नहीं अपितु नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाना भी है। स्वशासन से जनता की राजनीतिक चेतना और सामाजिक विकास का प्रशिक्षण होता है। शासन 'शिक्षा' का साधन है जबकि 'स्व-शिक्षा' सर्वोत्तम है। जिला योजना समिति के गठन के समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर विकास की योजना बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश जिला योजना समिति विधेयक 1955 विधानसभा में पारित किया गया। इस संवैधानिक प्रावधान के आधार पर राज्य सरकार ने जिला योजना संबंधी नियम संशोधित किए। जिला योजना समिति को जिला सरकार का संस्थागत आधार बनाया गया।

प्रशासन विकेन्द्रीकृत, लोकोन्मुख और संवेदनशील हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर हो और उन समस्याओं पर फैसला लेने में जनता की सक्रिय भागीदारी हो— इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 1999 से जिला सरकार व्यवस्था लागू की गई।

सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य जिनका निर्णय पहले राज्य शासन के मंत्रालय या विभागाध्यक्ष स्तर पर किया जाता था उनका जिला स्तर पर विभिन्न विभागीय समितियों द्वारा संपादन करने की व्यवस्था ही 'जिला सरकार' है।

संरचना

जिला सरकार की संपूर्ण योजना के

अंतर्गत 'जिला योजना समिति' एक महत्वपूर्ण संस्था है। प्रत्येक जिले की योजना समिति में 15 से 25 सदस्य होते हैं जिनमें 4-5 सदस्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुने जाते हैं। जिला योजना समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व शहरी और ग्रामीण आबादी के आधार पर सुनिश्चित होता है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिले के प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर सचिव हैं। जिला सरकार के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यत: 5 वर्ष का है। जिला योजना समिति की बैठक प्रत्येक माह कम से कम एक बार अवश्य होगी। अत: इस हेतु बैठक की सूचना संबंधित व्यक्ति को बैठक की तारीख के न्यूनतम 5 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से दे दी जाएगी। बैठक हेतु प्रस्तावित विषय-सूची सदस्य-सचिव द्वारा अध्यक्ष के अनुमोदन से ही तैयार की जाएगी। जिला सरकार की बैठकों में इसके विचारार्थ वे सभी विषय लाए जा सकेंगे जो धारा '7' एवं धारा '7' (क) के अंतर्गत आते हैं।

कार्य

जिला सरकार के कार्यों की सूची विस्तृत है। लगभग 31 विभागों को जिला सरकार की परिधि में लाकर कई राज्य स्तरीय कार्य जिला सरकार को सौंपे गए हैं। संक्षेप में जिला सरकार के निम्नलिखित कार्य हैं:—

(1) स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन एवं जिले की प्राकृतिक तथा मानवीय संस्थाओं एवं उपलब्ध संरचनाओं का संकलन।

(2) विकास की प्राथमिकताओं का निर्धारण।

(3) जिले की आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, स्थानीय एवं समसामयिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना।

(4) रोजगार योजनाओं का निरूपण।

(5) जिला स्तर पर संचालित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।

(6) अशासकीय संस्थाओं के अनुदान का नवीनीकरण, कैदियों के उपयोग की सामग्री का क्रय, अधिशेष भूमि का आवंटन, स्मारकों एवं संग्रहालयों की निगरानी, भू-राजस्व वसूली का स्थान, उसकी माफी इत्यादि।

वित्तीय व्यवस्था

प्रत्येक विभाग अपने बजट के विषय में प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी के लिए माहवार राशि का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार किए गए माहवार आवंटन की सूचना वित्त विभाग एवं समस्त कोषालय अधिकारियों को उपलब्ध करानी होंगी। प्रशासकीय विभाग का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उनके आहरण एवं वितरण अधिकारी किसी माह के लिए निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही राशि का आहरण करें। यदि किसी माह में कोई आहरण एवं वितरण अधिकारी उसे सौंपे गए आवंटन के अनुसार राशि आहरित नहीं करता तो वह अवशेष राशि का आहरण आगामी माह में कर सकेगा।

ऐसे विभाग में, जो कोषालयों के माध्यम से आहरण नहीं करते, पूर्व-प्रचलित व्यवस्था लागू रहेगी तथा उनके द्वारा एन.ओ.सी. प्राप्त करने के उपरांत आवश्यक राशि का आहरण किया जा सकेगा। वेतन, निराश्रित पेंशन, न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में भुगतान, राहत कार्य आदि ऐसे व्यय हैं जिन्हें अन्य मुद्दों की अपेक्षा वरीयता देनी होगी। इसलिए प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संबंधित विभागों के इन्हीं मदों के देयक कोषालय में स्वीकार किए जाएंगे।

जिला स्तर पर ऐसे प्रस्ताव जो जिला स्तरीय कार्यालय प्रमुखों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, के विषय में जिला योजना समिति अथवा चेयरमैन से उन्हें आवंटित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव करने से पूर्व संबंधित विभाग के जिला प्रमुख का दायित्व होगा कि वह प्रमुखत: सात बिंदुओं पर अपनी संतुष्टि कर ले:

(1) अवकाश स्वीकृति,

(2) अर्जित अवकाश,

(3) अर्द्धवैतनिक और लघुकृत अवकाश,

(4) अदेय अवकाश,

(5) असाधारण अवकाश,

(6) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश,

(7) प्रसूति अवकाश।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य

यह प्रश्न चिन्तनीय है कि 'सरकार' क्या है और कैसी हो? सरकार एक अमूर्त व्यवस्था है जिसका कोई आकार नहीं होता। यद्यपि उसके नियम-कानून होते हैं या बनाए जाते हैं जिन्हें लागू करने वाला सरकारी अमला होता है। सरकार की पुरानी पद्धति को बदलने का संकल्प 'जिला सरकार' है जो एक साहसपूर्ण कदम है।

विगत दो वर्षों में जिला सरकार की व्यवस्था पूरी तरह क्रियाशील और स्थाई हो गई है लेकिन वांछित फायदे तत्काल दिखाई नहीं देते। सालों से जो व्यवस्था इस देश और प्रदेश में कायम थी उस व्यवस्था से विकास और प्रबंधन असंतुलित हुआ। आज भी ऐसे कई इलाके हैं जिनमें 'स्कूल' बच्चों की पहुंच से दूर हैं और पानी के लिए लोगों को खानाबदोश की जिंदगी बसर करनी पड़ती है।

विकास यात्रा

जब संयुक्त संचालकों के कार्यालय समाप्त कर उनसे नए जिलों में काम लेने की कोशिश शुरू हुई तो वह व्यवस्था के अंदर जीर्ण हो चुके तत्वों को प्रशासनिक री-डिजाइन में प्रयुक्त करने की कम खर्चीली कोशिश थी। यहीं से जिला सरकार की विकास यात्रा शुरू होती है। इससे जो प्रक्रियात्मक पुनर्गठन चला वह समय और ऊर्जा के मान से बचत वाला सिद्ध हुआ।

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 1999 से लागू जिला सरकार का जो रूप सामने आया, उसकी सफलता इस प्रकार है:

(1) **आलोचक भी अभिभूत**—मध्य प्रदेश में दो साल पहले जिला सरकार व्यवस्था का अभिनव प्रयोग लागू किए जाने के समय कई तरह की शंकाएं व्यक्त की गई थी। परंतु जिला सरकार के दो वर्ष पूरे होने के साथ ही इसके आलोचक भी इसकी महत्ता को स्वीकारने लगे हैं। यह जिला सरकार की सबसे बड़ी सफलता है। इस व्यवस्था के 2 वर्ष पूर्ण होते-होते जिलावार बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। सभी जिलों में 1 अप्रैल, 2001 से बैठकें आयोजित कर जिला सरकार के काम-काज के 'सोशल ऑडिट' की शुरुआत की गई।

(2) **शासकीय अमले का युक्तियुक्तकरण**—जिला सरकार ने युक्तियुक्तकरण द्वारा 153 स्कूल खोले जो पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण और प्रेरणा बने। आज इंदौर संभाग के 5 जिलों में 568 स्कूल हैं (वर्ष 2000 के अनुसार)। पूरे प्रदेश की संख्या का अनुमान करें तो प्रत्येक जिला अपनी विशिष्ट स्थिति के परिप्रेक्ष्य में भिन्न-भिन्न संख्या रख सकता है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का स्वप्न इस युक्तियुक्तकरण से तत्काल हकीकत में बदल गया है 16 स्वास्थ्य-केंद्र खोले गए जो जिला सरकार की एक महत्वपूर्ण सफलता है।

(3) **भू-जल संबंधी सफलता**—भू-जल स्तर में गिरावट की चुनौती के मुकाबले को भी जिला सरकारों में सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। शहडोल, देवास और रायपुर जैसे जिलों में तालाब के जीर्णोद्धार का काम अभियान के तहत पूरा किया गया। सभी जिलों में तालाबों के जीर्णोद्धार का अभियान चलाया गया। नगरपालिकाओं और नगर निगमों की सीमा में परिवर्तन भी स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अब आसान हुआ है। पहले यह परिवर्तन शासन स्तर पर होता था। इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती थी कि सीमा में परिवर्तन होने का निर्णय होने में वर्षों लग जाते थे। पीथमपुर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। शहडोल, सिवनी और राजनंद गांव में नगरपालिकाओं की सीमा में जरूरत के अनुसार परिवर्तन किया गया है।

(4) **थानों का परिसीमन**—पूर्व में जहां थानों की सीमा का पुनर्निर्धारण मुख्यालय स्तर पर होता था, जिला सरकार में यह अधिकार हस्तांतरित होने से अनेक जिलों में थानों की सीमा का परिसीमन किया गया। गांवों को कम दूरी वाले थाना मुख्यालयों से जोड़ा गया है। राजनंद गांव जिले में 34 ग्रामों और सरगुजा जिले में 47 गांवों के थाना क्षेत्रों का परिवर्तन किया गया।

(5) **मितव्ययिता**—मध्य प्रदेश में जिला सरकार विभिन्न विभागों से अनुदान प्राप्त करने वाली फर्जी संस्थाओं के अनुदान रोकने में सफल रही है। ग्वालियर जिले में 45 अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के अनुदान का नवीनीकरण नहीं किया गया। इससे शासन को एक ही जिले में लाखों रुपये की बचत हुई। मंडला जिले में 13 संस्थाओं के लगभग 13 लाख रुपये के अनुदान रोके गए। साथ ही सीमित वित्तीय संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया गया। 1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 की समयावधि में जिला योजना समिति छिंदवाड़ा द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु 10,592,352 लाख रुपये खर्च किए गए जिसमें निविदाओं की स्वीकृतियां, वित्तीय स्वीकृतियां, दवाई एवं ड्रेसिंग मेटेरियल के क्रय की स्वीकृतियां इत्यादि से संबंधित कार्यों का निष्पादन सम्मिलित है।

(6) **भ्रष्टाचार में कमी**—पूर्व में केंद्रीकृत व्यवस्था होने के कारण हर छोटा-बड़ा व्यक्ति मंत्रालय तक आता था और वहां बाबुओं द्वारा की जाने वाली लूट-खसोट से सरकार की छवि भ्रष्ट सरकार की बन जाती थी, लेकिन अब मंत्रालय सूना है। इससे सरकार के ठप्प होने का आभास मिलता है, परंतु इसकी नींव में जिला सरकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के लागू होने के पूर्व अर्थात् 1998 से 1999 के बीच 1,34,000 लोग विभिन्न प्रयोजनों से मंत्रालय आए। अब यह आंकड़ा 1,04,000 तक सीमित रह गया है। देखने में यह कभी केवल 20 प्रतिशत दिखाई देती है लेकिन हर वर्ष जो 20-25 प्रतिशत की वृद्धि होती थी, यदि उसे ध्यान में रखा जाए तो कहना पड़ेगा कि, सफल हो गई 'जिला सरकार'।

असफलताएं

वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जो जिला योजना समितियां अस्तित्व में हैं वे योजना के बजाय दीगर मामलों मसलन— तबादले आदि में ज्यादा रुचि प्रदर्शित कर रही हैं। सही मायने में देखा जाए तो प्रदेश में जिला योजना समिति के नाम पर 'जिला सरकार' का लेबल चढ़ाकर सरकार केवल प्रभारी मंत्री के रुतबे को बढ़ाया है। इस लिहाज से संविधान संशोधन के मार्फत योजना समिति की जो परिकल्पना की गई थी, वह पूर्ण नहीं होती। मगर नाम बदल देने के बावजूद व्यवहारिकता के धरातल पर जिला सरकार फिलहाल अपना असर नहीं दिखा पा रही है। कारण कि योजनाओं के पर्यवेक्षण और निगरानी के कार्यों में जिला योजना समिति की उपसमिति के सदस्य गंभीर दिखलाई नहीं दे रहे हैं। यदि गंभीर होते तो जिला कार्यालयों के निरीक्षण में जो अनियमिताएं प्रभारी सचिवों ने पकड़ी हैं, उनका इलाज किया जाता।

सुझाव

1 अप्रैल, 1999 के बाद जिला सरकार के संचालन में कतिपय समस्याओं का अनुभव किया गया है जिन्हें उचित नियंत्रण द्वारा दूर किया जा सकता है। कुछ जिलों में शिक्षकों की नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में समायोजन हेतु जो सूचियां तैयार की गई हैं उनमें निष्पक्षता एवं औचित्य का अभाव एक बड़ी सीमा तक रहा। अपने लोगों को

नगरीय तथा शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित और पदस्थ किया गया तथा अन्य लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया। इससे विरोध, अव्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा खींचतान की स्थितियां निर्मित हुई। जिला योजना समितियां राजनीति का अखाड़ा बनने लगीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव होने लगा है। प्रस्तावों को औचित्य तथा आवश्यकता के स्थान पर राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगा है। इससे बचा जाना चाहिए, असहमति तार्किक और औचित्य पर आधारित होनी चाहिए। बजाय राजनीतिक गुटबाजी के एक ऐसी कार्य-संस्कृति राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे जिले के विकास और जनहित में सभी लोग आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर योगदान करें और जो लोग इसमें बाधा डालें उन्हें पहले समझाना चाहिए और चेतावनी दी जानी चाहिए। इस पर भी सुधार न हो तो उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए और उनके विरोध में जनमत तैयार किया जाना चाहिए।

इस व्यवस्था में 'नोडल ऑफिसर' को प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन अधिकारियों से अधिक जिला सरकार के सही संचालन विषयक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता राजनेता, जनप्रतिनिधियों और सदस्यों को है। जिन विभागों के कार्य आपातकालीन खरीदी, राहत और आपूर्ति से जुड़े हैं जैसे— अस्पताल आदि, उनके द्वारा या तो तत्काल दवाईयों की खरीद और राहत सामग्री क्रय करने की आपातकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए। इनकी स्वीकृति जिला योजना समिति की आगामी मासिक बैठक में ले ली जाए ताकि जनहित में अविलंब निर्णय लिए जा सके। इससे जिला प्रशासन की छवि भी बेहतर होगी। साथ ही जिला योजना समिति का बेहतर उपयोग करने के लिए इसे एक 'समन्वय समिति' के रूप में कार्य करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों ही क्षेत्रों में समान हित के जो विषय हैं उन पर 'समन्वय समिति' का निर्णय यथोचित माना जा सकता है।

निष्कर्ष

राजनीति से लोकनीति की ओर तथा प्रशासन को जनोन्मुखी बनाने की एक नई पहल के रूप में जिला सरकार 31 मार्च, 2002 को अपनी स्थापना के 2 वर्ष पूरी कर चुकी। जिला योजना समिति के माध्यम से जिला प्रशासन के स्तर पर और प्रजातंत्र की दीवार पर एक नई इबारत लिखने का प्रयास किया गया है। इस व्यवस्था की सफलता अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधियों पर भी निर्भर करती है। इसलिए जनता को भी चाहिए कि वह अच्छे, ईमानदार व कर्मठ लोगों का निर्वाचन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करे। असल में समस्या इरादों, कार्यक्रमों और व्यवस्था की नहीं है। अभाव है 'दृढ़ संकल्प' के साथ उनके क्रियान्वयन के लिए ईमानदारी के साथ निरंतर काम करने वालों की। यदि नागरिक, नेता और अधिकारी सामाजिक और राष्ट्रीय हितों से आवश्यक और अपेक्षित सरोकार नहीं रखते तो कोई भी व्यवस्था विकास के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकती। यही बात जिला सरकार के संबंध में भी लागू होती है। इसलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने सत्य कहा था कि—

"यदि निर्वाचित लोग चरित्रवान, निष्ठावान और योग्य व्यक्ति हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान का भी बढ़िया इस्तेमाल कर सकेंगे, परंतु उनमें ये कमियां हुईं तो संविधान देश की सहायता नहीं कर सकेगा।" ❑

(लेखक डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विकास संस्थान, महू (म.प्र.) में शोधछात्र हैं।)

'काम के बदले अनाज' योजना के लिए राज्यों को 50 लाख टन अनाज मुफ्त

केंद्र सरकार की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेशों को काम के बदले अनाज योजनाएं शुरू करने के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा। वर्ष 2002-2003 में लगभग 35 लाख टन अनाज, जिसका मूल्य 3801 करोड़ रुपये है, का आवंटन किया गया है।

खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों के अथक परिश्रम से हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, ऐसे में लोगों का भूखा रह जाना अत्यंत चिंता का विषय है। इससे पहले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 36 करोड़ लोगों को प्रति परिवार दस किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जा रहा था। इसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने पहले 20 किलोग्राम किया, फिर 25 किलोग्राम किया और पिछले महीने इसे 35 किलोग्राम कर दिया है। इन अति गरीब लोगों को ध्यान में रखकर ही 25 दिसम्बर, 2000 से अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई और उसे मीडिया की तमाम आशंकाओं के बावजूद रिकार्ड समय में लागू कर दिया गया। इन अति गरीब पांच करोड़ लोगों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उनको गेहूं दो रुपये प्रति किलोग्राम और चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम दिया जा रहा है। पूरे देश में चल रही इस योजना के अंतर्गत इस समय 96 लाख 40 हजार परिवारों को प्रतिमाह 3.38 लाख टन अनाज आवंटन हो रहा है।

राशन की 4.62 लाख दुकानों पर समय से राशन पहुंचने और वह गरीबों में ठीक से वितरित हो तथा इसकी देख-रेख के लिए केन्द्र ने राज्यों से विचार-विमर्श किया है और कई निर्देश जारी किए हैं। पिछले वर्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश जारी कर अब गरीब का राशनकार्ड बनाना, उस तक अन्न पहुंचाना और इस संबंध में सारी व्यवस्था करना कानूनी अनिवार्यता बना दिया गया है। आदेश में गड़बड़ी करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।

प्रागैतिहासिक काल से ही कला और संस्कृति का संगम है मध्य प्रदेश

○ अनंत मित्तल

पश्चिमी यूरोप के 14 देशों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर भी उससे आकार में बड़े बैठने वाले भारत देश के ठीक केंद्र में बसा मध्य प्रदेश कला और संस्कृति से लेकर प्राकृतिक सैरगाहों और ऐतिहासिक स्थलों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा ने जन्म लेकर अपनी कला को परवान चढ़ाया वहीं प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से यहां आदिमानव की मौजूदगी का भी एहसास होता है। पुरानी रियासतों के राज महलों में भी कला और संस्कृति का खजाना बिखरा हुआ है, प्राकृतिक स्थलों में पहाड़ी सैरगाह पचमढ़ी जहां गुजरात और महाराष्ट्र से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, वहीं बाधवगढ़ और कान्हा के विशाल और घने जंगलों के बीच दुर्लभ बाघों के अभ्यारण्य देखने भी देश भर से घुमक्कड़ यहां आते हैं। चंदेरी और माहेश्वर में हथकरघों पर बुनी जाने वाली साड़ियां भी यहां कला की समृद्ध परम्परा का हिस्सा हैं। महाकाल और ओंकारेश्वर दो ज्योतिर्लिंग तथा उज्जैन, चित्रकूट एवं अमरकन्टक में नर्मदा नदी का उद्गमस्थल की गिनती देश के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में होती है। धार और झाबुआ में आदिवासी जहां आज भी अपने मूल परिवेश में मौजूद हैं, वहीं खुजराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कामकेलिरथ प्रतिमाएं आज भी अपने मूल परिवेश में मौजूद है, वहीं खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित कामकेलिरथ प्रतिमाएं आज भी तत्कालीन आधुनिक संस्कृति की मूक गवाह हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की स्थापना यों तो 11वीं सदी में राजा भोज ने की थी, मगर उसके मौजूदा स्वरूप को अफगान योद्धा दोस्त मोहम्मद की देन माना जाता है। राजा भोज के जमाने में यह भोजपाल कहलाता था। दोस्त मोहम्मद ने भोपाल को गौड़ रानी कमलावती से जीता था। दोस्त मोहम्मद के बाद भोपाल पर कई बेगमों ने और नवाबों ने राज किया जिनके बनाई इमारतें ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद गौहर महल और मोती मस्जिद तथा चौकबाजार आदि मौजूद हैं। नई इमारतों में विधान सभा भवन देखने लायक जगह है इसके अलावा वन विहार और भोपाल का लंबा-चौड़ा ताल भी शैलानियों को बोटिंग के लिए आकर्षित करता है।

भोपाल से पहाड़ी सैरगाह पचमढ़ी के रास्ते में बमुश्किल 45 किलोमीटर दूर भीमबैठका में प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं की पहाड़ियों पर आदिमानव द्वारा अंकित 'पावर' नाम के जंगली पशु हाथी, हिरण, शिकार करते मनुष्यों आदि के चित्र पर्यटन और इतिहास दोनों ही दृष्टियों से बहुमूल्य है। यहां पर पहाड़ों में लगभग ऐसी 130

पश्चिमी यूरोप के 14 देशों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर भी उससे आकार में बड़े बैठने वाले भारत देश के ठीक केंद्र में बसा मध्य प्रदेश कला और संस्कृति से लेकर प्राकृतिक सैरगाहों और ऐतिहासिक स्थलों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा ने जन्म लेकर अपनी कला को परवान चढ़ाया वहीं प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से यहां आदिमानव की मौजूदगी का भी एहसास होता है।

गुफाएं हैं। जिनमें आदिमानव के रहने के सबूत मिले हैं। उन्होंने वहां पहाड़ी को सपाट करके पत्थर के फर्श बनाए थे और साथ ही पत्थर की कुल्हाड़ी, और खुरचनी भी रखते थे। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि वे यहां एक लाख वर्ष तक रहे थे। भीमबैठका के इन पहाड़ियों पर पानी से कटाव के निशान भी साफ दिखते हैं। एक अंदाज के मुताबिक यह चित्रकारी 35000 हजार वर्षों से भी पुरानी है। ऐसे ही भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद तथा सागर जिले में भी प्रागैतिहासिक काल की पहाड़ी चित्र शृंखलाएं मौजूद हैं।

भीमबैठका से 167 किलोमीटर दूर मध्य भारत की अकेली पहाड़ी सैरगाह पचमढ़ी है। जहां कभी ठिठुराने वाली सर्दी नहीं पड़ती और गर्मी का तो सवाल ही नहीं है। सेना की छावनी होने के कारण यह हिल स्टेशन आज भी हरियाली से सराबोर और कंक्रीट के ढांचों से अछूता है। यहां अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना चर्च अपने खूबसूरत रंगीन शीशों और स्मारक पत्थरों के साथ मौजूद है इसके अलावा भस्मासुर और भगवान शिव से संबंधित कई दर्शनीय स्थल, पांडवों की अज्ञातवास काल की कथित पांच पक्की कोठरिया, प्रियदर्शनी सनसेट पॉइंट, धूप घर, हांडी कोह, रीछ घर तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलते दर्जनों सनसनाते झरने भी सैलानियों को लुभाते हैं। यह देश के सबसे सस्ते हिल स्टेशनों में शुमार है।

कला और संस्कृति की झलक जबलपुर के किले और रानी दुर्गावती संग्रहालय में भी भरपूर मिलती है। इसके साथ-साथ जबलपुर में भेड़ाघाट पर प्रकृति के नायाब करिश्मे दूधिया संगमरमरी चट्टानों पर से हहराकर घाटी में गिरता नर्मदा का जल और दूर तक पानी में दिखते इन चट्टानों के अक्स का नजारा दुनिया भर से पर्यटकों को खींचता है। भेड़ाघाट के मुहाने पर ही एक छोटी टेकरी पर बना चौंसठ योगिनी मंदिर भी मूर्ति कला के दर्शन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। संदर्भ के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में आता है। इसी प्राचीन राज्य के नाम पर किसी जमाने में उस विशाल महाद्वीप का नाम गोंडवानालैंड पड़ा था, जिसके बारे में माना जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप भी उसी का हिस्सा था कभी उस महाद्वीप से प्राकृतिक कारणों से अलग होकर यूरेशिया के साथ जुड़ गया था और तभी से हमारा वर्तमान भूगोल हो गया है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति भी हमारी द्रविड़ प्रजाति 'गोंड' से हुई है।

भीमबैठका से 167 किलोमीटर दूर मध्य भारत की अकेली पहाड़ी सैरगाह पचमढ़ी है। जहां कभी ठिठुराने वाली सर्दी नहीं पड़ती और गर्मी का तो सवाल ही नहीं है। सेना की छावनी होने के कारण यह हिल स्टेशन आज भी हरियाली से सराबोर और कंक्रीट के ढांचों से अछूता है। यहां अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना चर्च अपने खूबसूरत रंगीन शीशों और स्मारक पत्थरों के साथ मौजूद है।

जबलपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा किला, गोंड राजा मदन शाह ने 1116 में बनाया था। दरअसल यह किला एक पहाड़ी के भीतर गुंथा हुआ है इसलिए भी यह 'प्रकृतिक वास्तुकला' की मिसाल भी है। इस पद्धति को बीसवीं सदी में अमेरिका में भी मान्यता मिली। इसके अंतर्गत पहाड़ी आदि के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना ही उसकी बनावट के अनुरूप नया निर्माण किया जाता है। इसीलिए जबलपुर के किले को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह पहाड़ी में से ही उगा हो। इसी तरह मध्य भारत के इस सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शहर में रानी दुर्गावती संग्रहालय भी सदियों पहले महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सूझ-बूझ की झलक देता है। रानी दुर्गावती सोलहवीं शताब्दि में गोंडवाना की शासक थीं, और इस सदी के मध्य में मुगल सम्राट अकबर की फौजों से उन्होंने डटकर लोहा लिया था, मगर बाद में हार जाने पर जौहर कर लिया था। संग्रहालय में कलचुरि राजवंश से जुड़ा इतिहास भी सजीव हो जाता है। साथ ही देवताओं की अपनी जीवनसंगिनियों के साथ भावपूर्ण मुद्राओं को पूरी संवेदना से उकेरने में कलचुरि मूर्तिकारों के कौशल का भी अंदाजा लगता है।

जबलपुर के दूसरे कोने पर प्रकृति का चमत्कार भेड़ाघाट का जल प्रपात है। यहां मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा एकदम झागदार दूधिया दिखती है। इस प्रपात को देखकर ही इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहाड़ी पर किनारे से थोड़ा नीचे उतरने पर घाट है जहां से नाव लेकर नदी में उल्टे चप्पू खेते हुए प्रपात के काफी नजदीक तक पहुंचकर वहां का रोमांच उठाया जा सकता है। भेड़ाघाट के मुहाने पर बनी एक टेकरी के ऊपर चौंसठ योगिनी मंदिर है और विभिन्न मुखमुद्राओं वाली उनकी मूर्तियां शिव मंदिर को घेरे हुए हैं। मंदिर के भीतर पुराना शिवलिंग है।

जबलपुर से ही मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य कान्हा-किसली पहुंचते हैं। कुल 940 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला कान्हा अभ्यारण्य, 1005 वर्ग किमी. के किसली क्षेत्र से घिरा हुआ है। किसली से ही अधिकतर पक्षी और हिरण, सांभर, चीतल, और दूसरे छोटे जंगली पशु दिखने शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता जंगल का राजा बाघ

कान्हा के घने शाल वन और बांस के गोल-गोल झुरमुटों के बीच रहता है। कान्हा-किसली में पक्षियों की 175 प्रजातियां हैं। इसलिए यह पक्षी प्रेमियों का भी प्रिय अड्डा है। इन्हीं जंगलों में घूमकर नोबेल पुरस्कार विजेता एंग्लो एंडियन लेखक रूडयार्ड किपलिंग ने भेड़िया बालक की कथा लिखी थी। कान्हा देश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है, जहां बाघ सबसे आसानी से और अक्सर दिखाई दे जाता है।

कान्हा की तरह ही बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य है। यहां भी बाघ के संरक्षण के बहाने सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में सांभर, लंगूर, जंगली सूअर, गीदड़, चीतल, हिरण, चीते, आदि निडर होकर विचरण करते हैं। इनके साथ ही पक्षियों, पौधों-पेड़ों और वनस्पतियों की सैकड़ों दुर्लभ प्रजातियां भी बाघ की रक्षा के बहाने बांधवगढ़ में सुरक्षित हैं। यहां बाघ को देखने के लिए जंगल के भीतर और बांस के झाड़ों के बीच जाना पड़ता है, जिनकी आड़ लेकर जंगल का राजा या तो सुस्ताता हुआ मिलता है या फिर अपने शिकार को भंभोड़ता हुआ। यदि रात में बारिश हो जाए तो बाघ के पंजों के निशान से उसकी शरणस्थली का अंदाजा आसानी से लग जाता है और उसके दर्शन भी हो जाते हैं। बाधवगढ़ में बाघ दर्शन का सबसे उपयुक्त साधन हाथी की सवारी है। यहां ठहरने के लिए है व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज इस इमारत के अहाते में सवेरे से पक्षियों का कलरव इस विशाल घने जंगल की नीरवता को भंग करता है और जंगल के भीतर बस बंदरों की घुड़कियां ही सुनाई देती है। यह अभ्यारण्य कटोरे जैसा है, जिसके चारों तरफ ढालू चट्टानें और घने वृक्षों से लदी पहाड़ियां हैं।

मध्य प्रदेश के और दो प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं— पन्ना और शिवपुरी। पन्ना का राष्ट्रीय अभ्यारण्य खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध शृंगारिक मूर्तियों के स्मारकों से महज 35 किमी. दूर स्थित है। मीलों फैला पन्ना का घना जंगल खजुराहो के उत्तेजक माहौल से होकर आए सैलानियों को शांति और स्थिरता का अहसास कराता है। इसके बीच में केन नदी बहती है, जो जाहिर है कि बारिश में उफन आती है। बहुमूल्य रत्न पन्ना की खानों के लिए प्रसिद्ध पन्ना से सटा यह जंगल अपने भीतर बड़ी तादाद में पेड़-पौधों के साथ ही नीलगाय, चिंकारा, चीतल, लंगूर, मोर आदि कई दुर्लभ जंतुओं और पक्षियों को समाए हुए है। यहां एक खूबसूरत झरना भी है, जो थके हुए सैलानियों को ठंडक पहुंचाता है।

शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन और पशु-पक्षी अभ्यारण्य की संरक्षित हरियाली और जीव-जंतुओं की प्रजातियां ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजपरिवार की देन हैं। यह जंगल इस शाही खानदान की आरामगाह और शिकारगाह दोनों ही रहा है। देश भर में ऐसी कुल 616 शिकारगाह आज राष्ट्रीय वन एवं पशु-पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए जा चुके हैं। शिवपुरी के इस अभ्यारण्य में हिरणों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं।

शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय वन और पशु-पक्षी अभ्यारण्य की संरक्षित हरियाली और जीव-जंतुओं की प्रजातियां ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजपरिवार की देन हैं। यह जंगल इस शाही खानदान की आरामगाह और शिकारगाह दोनों ही रहा है। देश भर में ऐसी कुल 616 शिकारगाह आज राष्ट्रीय वन एवं पशु-पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए जा चुके हैं। शिवपुरी के इस अभ्यारण्य में हिरणों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं। इसके अंदर एक झील भी है, जिसके किनारे दुर्लभ पशु-पक्षियों को काफी आसानी से देखने का मौका मिल जाता है। ग्वालियर की भीड़-भाड़ से 112 किमी. दूर और कुल 156 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली घने वृक्षों से लदी पहाड़ियों और घाटियों वाला यह अभ्यारण्य बारह महीने, तीसों दिन खुला रहता है। इस अभ्यारण्य में पौ फटते हुए देखना सबसे आनंददायक अनुभूति मानी जाती है। इसके हरी घास के विशाल मैदानों पर हिरणों की अलग-अलग प्रजातियों के झुंड के झुंड चरते दिखाई देते हैं। इनमें प्रमुख हैं चिंकारा, चीतल, नीलगाय, सांभर, चौसिंधा और बारासिंघा। इसके अलावा वहां के मशहूर राजा माधेराव सिंधिया की छतरी की स्थापत्य कला तथा उसके चारों तरफ बना बाग भी देखने लायक है।

शिवपुरी घूमने के लिए पर्यटक ग्वालियर के ऐतिहासिक किलों, उनकी स्थापत्य कला और बेहतरीन नक्काशी तथा सजावट का जायजा लेने के बाद ही आते हैं। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में कई देखने और सराहने लायक स्थान अभी तक अक्षुण्ण हैं। ऐसी ही एक शानदार इमारत है जयविलास पैलेस। इतालवी करीने से बनी इस सफेद इमारत के भीतर ऐशो आराम और अमीरी की भव्य दास्तान है। इसे अब जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय बना दिया गया है। इसके भीतर खूबसूरत मूर्तियों के साथ ही बेल्जियम स्फटिक जड़ित फर्नीचर, हाथ से डुलाया जाने वाला विशाल पंखा है। इसके दालान में स्फटिक जड़ित फव्वारा है और वहीं चांदी की बग्घी है। इसके डाइनिंग रूम में विशाल डाइनिंग टेबल और उसके ऊपर सारे मेहमानों तक खाना पहुंचाने वाली चांदी और स्फटिक की ट्रेन रखी है जो बाकायदा घूमती रहती है। यहां

का ड्राइंग रूम भी भव्य है। यहां की हर वस्तु सुनहरी है, फर्नीचर से लेकर परदे तक, इसकी छत पर लगे झाड़फानूस दुनिया के सबसे विशाल फानूस माने जाते हैं। इसके अलावा यहां तोमर वंश के राजाओं द्वारा पहाड़ी पर बनाया गया ग्वालियर का किला है। किले की पहाड़ी को तराशकर बनाई गई 15वीं सदी की जैन तीर्थांकरों की विशालकाय मूर्तियां, जो अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा मदांध होकर ढहाई गई बामियान की बुद्ध मूर्तियों का अहसास कराती हैं। किले की पहाड़ी से पहले ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक भी दर्शनीय है। किले की खड़ी चढ़ाई के रास्ते में ही ये जैन मूर्तियां है। किले के भीतर मानसिंह महल, सास-बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, गूजरी महल का संग्रहालय आदि देखने लायक हैं। शहर में सूफी मुहम्मद गौस का मकबरा, जो सुर सम्राट तानसेन के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। इसी खूबसूरत इमारत के दालान में स्वयं कला और संस्कृति के शीर्ष पुरुष तानसेन की साधारण-सी समाधि है। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शुमार तानसेन को ग्वालियर ही नहीं पूरे देश का गौरव माना जाता है। इसलिए पर्यटक उनकी समाधि को देखने अवश्य आते हैं।

मध्य प्रदेश की कला-संस्कृति और पर्यटन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव खजुराहो है। पराक्रमी चंदेल राजाओं की राजधानी रहा खजुराहो अपनी शृंगारिक मूर्तियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।

यह मंदिर चंदेल राजाओं की समृद्धि, आभिजात्य और जीवन के अबूझ पहलुओं को सबके सामने लाने तथा संभोग से समाधि की ओर ले जाने वाली भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। कामकेलि के विलक्षण रूप इन खूबसूरत मूर्तियों के माध्यम से यहां कुछ मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए हैं। यहां कुल 21 मंदिर हैं, जिनमें ज्यादातर की दीवारों पर शृंगारिक मूर्तियां बनी हुई हैं। अलबत्ता कुछ दीवारों पर युद्ध को तैयार घुड़सवार, हथियारबंद योद्धाओं की कतारें, अपने राजदरबार में दरबारियों से घिरे राजा, नृत्यांगनाओं की कमनीय मुद्रा में मूर्तियां भी हैं।

इसके अलावा मांडू का किला, ओरछा के महल, इंदौर में होलकर राजपरिवार का कांच महल, सांची के बौद्ध स्तूप और विजयी होकर भी हिंसा से पराजित होने तथा अहिंसा की शरण में चले जानेवाले सम्राट अशोक की भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शेर वाली लाटों के साए में उनके द्वारा बनाया गया स्तूप स्मारक और बौद्ध मठ आदि भी मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन के प्रतीक हैं। उससे 32 किमी. आगे उयरगिरि और बेसनगर में जैन तीर्थंकरों की पहाड़ी में तराशी गई 32 ऊंची-ऊंची मूर्तियां भी चौथी और छठी शताब्दि की कला और संस्कृति का झरोखा है। इसी तरह माहेश्वर में नर्मदा किनारे रानी का अहिल्या बाई होलकर का किलानुमा मंदिर और उसके विशाल पक्के घाट से नर्मदा नदी में नौकाविहार के लिए भी पर्यटक आते हैं।

माहेश्वर के पास ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसका नाम ओंकार मान्धाता मंदिर है। इसी तरह इंदौर के दूसरी तरफ उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे और एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है। राजाविक्रमादित्य और महाकवि कालिदास की कला और संस्कृति की धरोहर वाली इस उज्जयिनी नगरी में सती की सिद्ध पीठ भी है और समुद्र मंथन के बाद अमृत कुंभ से छलके अमृत की बूंद गिरने की किंवदती के आधार पर यहीं शिप्रा नदी के तट पर हर बारह साल के अंतराल पर पूर्ण कुंभ सिंहस्थ का मेला भी लगता है। इस मेले में जहां लाखों की तादाद में लोग पुण्य कमाने आते हैं, वहीं मेले के दौरान भारत की विलक्षण संस्कृति का विहंगम दृश्य भी देखने को मिलता है।

माहेश्वर और उज्जैन की तरह ही मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के उद्गमस्थल अमरकंटक और तीर्थ चित्रकूट धाम भी पूरी दुनिया से सैलानियों को आकर्षित करते हैं। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में पड़ता है। यहां से नर्मदा के अलावा सोन नदी भी फूटती है जो घूमती-फिरती पटना पहुंचकर उसके पास गंगा में मिल जाती है। नर्मदा का उद्गमस्थल को कुंड माने जाते हैं, उन्हीं से बाहर आकर इसकी धारा फूटती है। इनमें से छोटे कुन्ड में स्नान करके लोग आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित नर्मदा की प्रतिमा को शीश नवाते हैं। यहीं से आगे जाकर नर्मदा 45 मीटर ऊंची पहाड़ी से झरने की शक्ल में धरती पर उतरती है। इसी तरह सतना से आगे चित्रकूट धाम है, जहां के बारे में मान्यता यह है कि वहां मंदाकिनी नदी के तट पर ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। मान्यता यह भी है राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से लंबा समय चित्रकूट में बिताया था। यहां कदमगिरि पर्वत की परिक्रमा और पुराने मंदिरों को देखने तथा मंदाकिनी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। यहां से जुड़ी इतनी सारी मान्यताओं के कारण पर्यटक भी चित्रकूट देखने से अपने को रोक नहीं पाते।

कुल मिलाकर मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक कला और संस्कृति का संगम बना हुआ है। जिसके प्रतीक प्राचीन भीमबेटका के शैलचित्र और आधुनिक भारत भवन में चित्रकारी और मूर्तिशिल्प संग्रहालय तो हैं ही साथ ही हैं अनगिनत मंदिर, महल और मूर्तियां तथा चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों को बनाने की अनूठी कला भी है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ज्ञानदूत परियोजना
सूचना क्रांति से जन क्रांति

○ राहुल देव

भारत जैसा विकासशील देश जो जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश है सभी को सही सूचना सही समय पर प्रदान नहीं कर पाता है परंतु मध्य प्रदेश के 'धार' जिले में आम आदमी के हित के लिए किए गए सूचना प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोग ने आशा की एक किरण दिखाई है। सूचना प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम का नाम 'ज्ञानदूत परियोजना' है।

सूचना क्रांति के इस युग में वही व्यक्ति शक्तिशाली है जिसके पास सूचनाएं हैं। जब हम सूचनाओं की बात करते हैं तो यह प्रश्न भी हमारे जेहन में कौंधता है कि किस तरह की सूचनाएं हमें शक्ति प्रदान करती हैं। जब हम इस प्रश्न का उत्तर तलाशते हैं तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि सूचनाएं वही अधिक उपयोगी हैं जो हमारे हित-अहित से जुड़ी हों। यदि हमसे जुड़ी सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं तो हमें सशक्त बनाती है। देश-विदेश से जुड़ी ऐसी सूचनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे संबंधित नहीं हैं हमें मानसिक संतुष्टि तो दे सकती हैं किन्तु हमारे सशक्तिकरण में उनकी भूमिका कितनी होगी यह सदैव विचारणीय रहता है।

हमारे हितों को प्रभावित करने वाली सूचनाएं यदि हमें सशक्त बनाती है तो फिर वे हमें प्राप्त क्यों नहीं हो पाती तथा हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने पर हमारी नजर जाती है कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने उन सूचनाओं को स्वार्थवश दबाकर रखने का प्रयास किया है। उनके एकाधिकार का ही परिणाम है कि ये उपयोगी सूचनाएं कुछ गिने-चुने लोगों तक ही पहुंच पाती है। जिसके फलस्वरूप उनका लाभ सीमित रह जाता है।

भारत जैसा विकासशील देश जो जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। सभी को सही सूचना सही समय पर प्रदान नहीं कर पाता है। परंतु मध्य प्रदेश के 'धार' जिले में आम आदमी के हित के लिए किए गए सूचना प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोग ने आशा की एक किरण दिखाई है। सूचना प्रदान करने वाले इस कार्यक्रम का नाम 'ज्ञानदूत परियोजना' है।

'ज्ञानदूत परियोजना' ग्रामीण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके उपयोग की सूचनाएं बिना भेद-भाव और कम खर्च में उन तक पहुंचाने का काम करती है। सूचनाओं का महत्व देखिए कि आधुनिक तकनीक का ज्ञान का न होना भी ग्रामवासियों के लिए सूचना प्राप्ति में बाधक नहीं बन पा रहा है। धार जिले में इस सूचना क्रांति ने भौगोलिक दूरियां और समय-सीमा समाप्त कर दी हैं तथा दूसरों के सामने एक मिसाल कायम की है।

धार जिला

मध्य प्रदेश के 45 जिलों में से एक धार जिला है जिसकी कुल आबादी 13,67,412 है। इस जिले में 7 तहसीलों में 13 विकास खंड हैं जिनका साक्षरता प्रतिशत 34.54 है। इसमें पुरूष साक्षरता तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत अलग-अलग समझने का प्रयास करें तो यह क्रमश: 67.42 तथा 29.36 है।

सूचनालय

इस परियोजना के अंतर्गत धार जिले के पांच विकास खंडों के 21 बड़े केन्द्रों को इंटरनेट नेटवर्क के साथ कंप्यूटर से जोड़ा गया है। ये कंप्यूटर ग्राम पंचायत में स्थापित किए गए हैं तथा इस स्थान को 'सूचनालय' का नाम दिया गया है। इन 21 सूचनालयों पर पेंटियम-3 मल्टीमीडिया कलर कंप्यूटर डॉट मेट्रिक्स प्रिंटर के साथ लगाए गए हैं तथा जिला पंचायत के कंप्यूटर कक्ष में पी 3 रेण्डम एक्सेस सर्वर लगाया गया है। ये

21 सूचनालय जिले की 3 तहसीलों, 5 ब्लॉकों, 311 ग्राम पंचायतों, 600 गांवों और लगभग 5 लाख की आबादी तक पहुंच रखते हैं।

सूचनालय स्थापित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यह कम से कम 15 ग्राम पंचायतों या 25-30 गांवों को कवर कर सकें। ये या तो ऐसी ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए हैं जो विकास खंड मुख्यालय हों या फिर ऐसे गांवों में जो प्रमुख सड़कों पर स्थित हों ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा रहे।

सुविधाएं

इस परियोजना द्वारा कम से कम एक दर्जन मंडियों के अनाज और सब्जियों के भाव जाने जा सकते हैं। ग्रामवासी क्षेत्र की लगभग 15 प्रमुख फसलों तथा सब्जियों के भाव मात्र 5 रुपया शुल्क देकर जान सकते हैं। इसमें स्थानीय मंडियों के साथ ही मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद की मंडियों के भाव भी प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही राजस्व नक्शे और खसरे की प्रतिलिपियां भी 15 रुपये शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा आय, जाति एवं स्थाई निवासी होने के प्रमाण-पत्र एवं भू-धारकों की ऋण-पुस्तिका संबंधी आवेदन-पत्र इस पर 'ऑन लाईन' भेजे जा सकते हैं। जब मांगा गया प्रमाण-पत्र या ऋण-पुस्तिका संबंधित विभाग द्वारा तैयार कर दी जाती है तो इसकी सूचना ई-मेल द्वारा संबंधित सूचनालय को भेज दी जाती है। इस कार्य के लिए अधिकतम समय-सीमा 10 दिन निर्धारित की गई है।

शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों, संस्थाओं और कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें भी इस माध्यम से भेजी जा सकती हैं जिनका निराकरण सात दिनों के अंदर किया जाता है।

ज्ञानदूत परियोजना के इस कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा धार के जिला अस्पताल तथा साथ ही तिरला, नालदा और बदनावर— इन तीन प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों पर भी कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं जिनकी सहायता से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन अस्पतालों को इंदौर के महाराज यशवंत राव चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ जोड़ा गया है। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं सर्वसुविधायुक्त अस्पताल है। इससे सीधे ही विभिन्न बीमारियों के संबंध में विशेषज्ञ डाक्टर्स की राय या फिर उनसे मिलने का समय तय किया जा सकता है।

सूचक

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इन सूचनालयों को चलाने के लिए जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है वे उसी गांव के स्थानीय निवासी होते हैं। उन्हें इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और 'सूचक' के नाम से पुकारा जाता है। 'सूचक' के लिए चुने गए युवकों ने इससे पूर्व कंप्यूटर कभी देखा भी नहीं था।

आर्थिक स्त्रोत

ज्ञानदूत परियोजना के 21 केन्द्रों को स्थापित करने का खर्च पंचायतों ने वहन किया है और इस पर कुल 25 लाख रुपये खर्च आया है। प्रत्येक नए सूचनालय को स्थापित करने का खर्च लगभग 75,000 रुपये आता है। चूंकि इस योजना का सारा खर्च पंचायतों से आ रहा है अत: सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आता। निजी निवेशकर्त्ता या अन्य कोई व्यक्ति भी लोन आदि लेकर सूचनालय स्थापित कर सकते हैं। सूचनालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले चूंकि उपयोगकर्त्ता से शुल्क लिया जाता है उससे सूचक अपनी आजीविका चलाता है। दूसरी ओर वह सूचनालय का रख-रखाव और मरम्मत भी सुचारू रूप से कर लेता है। इस प्रकार यह व्यवस्था पूर्णरूपेण स्वतंत्र है तथा शासन पर आर्थिक रूप से कोई भार नहीं आता।

उपयोगकर्त्ता

- धार की जनसंख्या में 70 प्रतिशत लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। आज कुल उपयोगकर्त्ताओं में 59 प्रतिशत लोग वे हैं जो कृषि से जुड़े हैं।
- ज्ञानदूत के उपयोगकर्त्ताओं में 80 प्रतिशत पुरुष एवं 16 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- धार की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं किन्तु कुल उपयोगकर्त्ताओं में 34 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 3,000/- रुपये से कम है।
- उपयोगकर्त्ताओं में 49 प्रतिशत लोग वे हैं जो एक किलोमीटर से कम दूरी तय करके तथा 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर या अधिक की दूरी तय करके सूचनालय पहुंचते हैं।
- इस परियोजना के 7 प्रतिशत उपयोगकर्त्ता ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं।

अच्छे परिणाम

- लोगों को एक ही स्थान पर पहुंचकर सारी जानकारियां मिल जाती हैं। इससे उनके समय की बचत होती है।
- सूचनाओं के बदले में लिया जाने वाला शुल्क उसके महत्व की तुलना में बहुत कम है।
- सेवाएं प्रदान करने वाला गांव का ही नागरिक होता है।
- उच्च अधिकारियों तक ग्रामीणों की पहुंच आसान हो गई है।
- कंप्यूटर को एक ग्रामीण भी आसानी से चला सकता है।
- 'सूचक' स्थानीय भाषा में बात कर उनकी समस्याओं का सही तरह निराकरण करता है।

समस्याएं

- सूखे की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई हैं। इस वजह से लोगों का ध्यान पानी और रोजगार की समस्याओं की ओर ज्यादा है।
- कनेक्टिविटी नहीं मिल पाना भी कई बार बाधक होता है।
- लगातार बिजली की कटौती की वजह से भी समस्याएं आती हैं।
- अधिकांश आबादी गरीबी रेखा के नीचे है जिसकी क्रय क्षमता कम है।
- आवागमन के साधनों का विकसित न होना भी बाधक है। ❑

(शोध छात्र, जनसंपर्क विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विभाग, भोपाल।)

लोक प्रशासन

By Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

लोक प्रशासन ही क्यों?

क्योंकि आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं।

— परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विषय
— इसकी महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी
— भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना
— वर्तमान समय में भी **अंकों के खेल** में सबसे आगे –
आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप हल कर सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्न
(वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + साक्षात्कार
— और अब **परिणाम में भी सबसे आगे** –
IAS 2001 के TOP-20 में सर्वाधिक (7) लोक प्रशासन से
— लोक प्रशासन न पढ़ें, तब भी उसका 60-70 प्रतिशत सिलेबस सामान्य अध्ययन के भाग के रूप में हर परीक्षार्थी के लिए पढ़ना अनिवार्य।
— प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलग कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

क्या है कोई विकल्प इससे बेहतर?

लोक प्रशासन का चयन - उचित निर्णय और व्यावसायिक दृष्टिकोण

तो आइये करें - लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरूआत, 'अतुल लोहिया' के साथ।

अतुल लोहिया ही क्यों?

क्योंकि केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन।

— **अध्यापन की शैली** - विशिष्ट व वैज्ञानिक
(दो घंटे से लेकर 200 घंटे तक एक कड़ी के रूप में पढ़ाने का दावा)
— **नोट्स** - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित व परिमार्जित Pre. और Mains के लिए अलग-अलग। संदर्भ : 80 से 85 स्रोत।
— केवल हमारे नोट्स से UPSC (Pre.) और UPPCS (Pre.) 2001 एवं 2002 में लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न आए।
— **Revision Notes** - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक।
— हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय **विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच** के विकास में।
— मुख्य परीक्षा के पहले प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत रूप से पूरे सिलेबस का रिवीजन
— इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं –
प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Admission going on

नया बैच - U.P., P.C.S. (Pre.) एवं U.PS.C. (Pre.) *के रिजल्ट से तीन दिन बाद*

दो नियमित कक्षायें निःशुल्क

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-

M.P., P.S.C. (Mains) के लोक प्रशासन (द्वितीय प्रश्न पत्र) की निःशुल्क तैयारी

IAS TUTORIALS

103, Jaina House, Behind Safal Mother Dairy, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph. : (O) 7651392 (R) 7252444

एक जंग शिक्षा के नाम

○ ऋषिका खरे

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था 'शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जो हमें अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करा सकेगा और एक खुशहाल समाज का निर्माण कर शोषण, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाएगा।' लेखक के अनुसार— 54 वर्षों के बाद भी इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित तो की गईं, मगर उनसे हम वह सफलता हासिल नहीं कर सके जिसका सपना महात्मा गांधी ने देशवासियों को दिखाया था।

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद हुआ और स्वतंत्रता की खुली हवाओं में पलने-बढ़ने लगा। प्रत्येक भारतवासी के मन में खुशहाल, समृद्धिशाली और मजबूत भारत की परिकल्पना आकार लेने लगी। सब चाहते थे कि उनका भारत इतना विकसित हो जाए कि वहां अभाव और असुविधा जैसी कोई चीज न रहे। देश रक्षा मामलों में इतनी मजबूती हासिल कर ले कि दुश्मन आंख उठाकर देखने का साहस न जुटा सके। कृषि, उद्योग-धंधों को इतना विकसित किया जाए कि कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े।

इन्हीं इरादों और सपनों को देखते हुए वक्त की मांग थी कि देश को विकास की उस मुख्य धारा से जोड़ा जाए जिससे चहुमुंखी विकास संभव हो सके। समय के साथ चलना और आगे बढ़ना ही विकास है। या, यों कहा जाए कि विकास प्रथम सीढ़ी है और इस सीढ़ी का पहला पायदान है— शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो मंजिल हासिल करने तथा समाज में सम्मान दिलाने में सहायक है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा था 'शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जो हमें अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करा सकेगा और एक खुशहाल समाज का निर्माण कर शोषण, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से मुक्ति दिलाएगा।' इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था 'किसी भी अभियान की शुरुआत गांव से की जानी चाहिए क्योंकि हमारा हिंदुस्तान गांवों में बसता है। गांव के विकास से ही देश का विकास संभव होगा।'

शिक्षा के महत्व के बारे में इतना कहने सुनने के बाद भी हम पिछले 54 वर्षों के बाद भी इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित तो की गईं, मगर उनसे हम वह सफलता हासिल नहीं कर सके जिसका सपना महात्मा गांधी ने देशवासियों को दिखाया था।

1 नवंबर, 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। इस प्रदेश की मुख्य समस्या यह थी कि यहां की आबादी का 80 प्रतिशत भाग ग्रामीण था। अत: विकास हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी इस हेतु सतत प्रयास शुरू किए गए। समय बीतता गया और शिक्षा के क्षेत्र में गांव में तो 'ना' के बराबर जबकि शहरों में जरूरत से ज्यादा विकास नजर आने लगा। मतलब साफ था। जिस जगह से शुरुआत की जानी थी उसे भुला दिया गया था और विकास मापदंडों में कोई नियम-कानून जैसी चीज नहीं रही थी।

पिछले लगभग सात-आठ वर्षों में यह महसूस किया गया कि इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता से सोचना शुरू किया है। वह इस बात को समझ चुकी है कि चूक कहां हुई। तय किया गया कि सबसे पहले प्रदेश के गांवों का समुचित विकास किया जाएगा और वहां बुनियादी

सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। यह भी महसूस किया गया कि गांव के लोगों को जागरूक बनाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गांव के प्रत्येक बच्चे और बड़े को शिक्षित किया जाए। मात्र शहरों तक बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेज खोल देने से काम नहीं चलने वाला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी, 1997 से पूरे प्रदेश में 'शिक्षा गारंटी योजना' शुरू की। इतना ही नहीं, इस योजना का सफल क्रियान्वयन हो, इसका जिम्मा पंचायती राज व्यवस्था को सौंपा गया।

प्रदेश सरकार की इस अभिनव योजना को सही अंजाम देते हुए पंचायती राज व्यवस्था ने आदिवासी इलाकों में जहां 25 बच्चे हों, या सामान्य गांवों में जहां 40 बच्चे हों, प्राथमिक पाठशाला खोलने का दायित्व निर्वहन करते हुए अब तक पूरे प्रदेश में 25 हजार से ज्यादा प्राथमिक पाठशालाएं खोल दी हैं। यह काम बहुत ही कम समय में पूरा किया गया। आज इन स्कूलों में प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिल रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किए गए इन प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। नतीजा, शहरों पर बढ़ता दबाव एक बार फिर कम होने लगा तथा मीलों पैदल चलने के बजाय गांव के बच्चों को अपने ही गांव में प्राथमिक शिक्षा सहज ढंग से मिलने लगी।

यह क्रम यहीं नहीं रुका। प्रदेश सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी कि विकास का आधार क्या है। अब तक किए गए प्रयासों से मिली सफलताओं से वह भविष्य के प्रति और दृढ़संकल्प हो चुकी थी। उसने तय कर लिया था जो बीड़ा उसने उठाया है उसे थमने नहीं दिया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं की सफलता के बाद लक्ष्य रखा गया मिडिल स्कूल खोलने का।

प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक तीन किलोमीटर की दूरी पर एक मिडिल स्कूल खोलने की योजना बनाई और एक बार फिर यह जिम्मेदारी पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी गई। पूरे प्रदेश में 7500 माध्यमिक पाठशालाएं खोलना तय किया गया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश बन जाने के बाद शेष 2674 स्कूल इस वित्तीय वर्ष खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके तहत 1613 स्कूल सामान्य क्षेत्रों में, 409 विशेष घटकों पर तथा 652 आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में खोलने का प्रावधान किया गया।

पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किए गए इन प्रयासों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। नतीजा, शहरों पर बढ़ता दबाव एक बार फिर कम होने लगा तथा मीलों पैदल चलने के बजाय गांव के बच्चों को अपने ही गांव में प्राथमिक शिक्षा सहज ढंग से मिलने लगी।

वर्ष 2001-02 के पंचायत तथा ग्रामीण विकास बजट में सामान्य क्षेत्रों में खुलने वाले 1613 स्कूलों के लिए 6 करोड़ रुपये की धनराशि सुलभ कराई गई तथा विशेष घटकों में खुलने वाले 409 स्कूलों के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

आदिम जाति कल्याण विभाग के बजट में 652 नई पाठशालाओं के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे इन प्रयासों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह योजना होशंगाबाद, हरदा, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर तथा बालाघाट जिलों में संचालित की जाएगी। इस योजना पर होने वाले कुल व्यय का 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा शेष 15 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रदेश सरकार लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयासरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित समाज का निर्माण हो सके। पिछले दस वर्षों से सरकार द्वारा संचालित 'राजीव गांधी मिशन' की अपार सफलता ने वर्ष 2001 की जनगणना में साक्षरता के प्रतिशत में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। वर्ष 1991 में प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 44.07 था, जो बढ़कर 65.00 प्रतिशत हो गया है। पुरुषों में यह प्रतिशत 58.54 से बढ़कर 76.8 प्रतिशत, तथा महिलाओं में 29.35 से बढ़कर 50.28 प्रतिशत हो गया जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है।

राजीव शिक्षा मिशन ने 15 वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से 'पढ़ना-बढ़ना' आंदोलन की शुरुआत की। 1 नवंबर, 1999 से अब तक इसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा लोगों को साक्षर बनाया जा चुका है।

काश! आज महात्मा गांधी जीवित होते और इस प्रदेश में सरकारी एवं जनभागीदारी प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सफल प्रयासों से अपना सपना पूरा होते देख सकते। 'शिक्षा गारंटी योजना', 'पढ़ना-बढ़ना आंदोलन' तथा 'राजीव गांधी मिशन' के संयुक्त प्रयासों से अब राज्य में अज्ञानता और अशिक्षा की बेड़ियों से मुक्ति पाने का समय आ गया है।

अब आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये लक्ष्य केवल माध्यमिक शाला तक सीमित नहीं रहेंगे। इस जंग को आगे बढ़ाया जाएगा और राष्ट्रपिता के सपने को पूरा होता देखा जा सकेगा। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना

○ विनोद मोदी

इंदौर मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है। उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र होने के कारण आस-पास के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में इंदौर आकर बसते जा रहे हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और बड़ी संख्या में आस-पास के क्षेत्रों से इंदौर की ओर पलायन के कारण यहां तंग बस्तियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तंग बस्तियों की लगातार वृद्धि उपलब्ध स्रोतों पर दबाव डालती हैं। फलत: स्थानीय नगर निगम तथा अन्य स्थानीय संस्थाएं जो नगर में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था या रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं, मांग के अनुसार कार्य निष्पादन में असमर्थ हैं। सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने की पुरानी व्यवस्था के विफल साबित होने पर एक नई नीति और एक नई पहल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी कड़ी में तंग बस्तियों के परिवेश में विद्यमान दशाओं को सुधारने के लिए 'इंदौर विकास प्राधिकरण' द्वारा युनाइटेड किंगडम के समुद्रपारीय विकास प्रशासन (ओडीए) की अनुदान वित्तीय सहायता से 'इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना' का प्रारंभ किया गया।

मध्य प्रदेश का 'इंदौर महानगर' भारत का दूसरा सौभाग्यशाली नगर था जिसे ब्रिटिश हाई कमिश्नर द्वारा तंग बस्ती सुधार परियोजना के लिए चुना गया। इस संदर्भ में 29 जुलाई, 1989 को 5 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसकी समयावधि वर्ष 1990 से 1995 तक तय की गई। अत: इंदौर की 183 तंग बस्तियों में रहने वालों की जीवन-शैली सुधारने के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये इस वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर किए गए। बाद में इसकी समयावधि मार्च 1997 तक बढ़ा दी गई तथा पुनरीक्षित बजट 60 करोड़ 50 लाख स्वीकृत हुआ।

परियोजना में सम्मिलित कार्यक्रमों की पहली प्राथमिकता है इन बस्तियों में रहने वालों का सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधारना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी में कमी की दिशा में व्यावहारिक कार्यक्रम संचालित करना। दूसरी प्राथमिकता में तंग बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के निवास को अधिक सुविधासंपन्न कर व्यवस्थित करना, सड़कों की दुरुस्ती, कचरा पेटियों की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, कम्युनिटी हाल, स्कूल की व्यवस्था आदि कार्यक्रम भी शामिल किए गए।

इस प्रकार योजना में भौतिक विकास, सामुदायिक, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों का समावेश किया गया।

उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र होने के कारण आस-पास के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में इंदौर आकर बसते जा रहे हैं। इस कारण यहां तंग बस्तियों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। तंग बस्तियों के परिवेश में विद्यमान दशाओं को सुधारने के लिए 'इंदौर विकास प्राधिकरण' द्वारा युनाइटेड किंगडम के समुद्रपारीय विकास प्रशासन (ओडीए) की अनुदान वित्तीय सहायता से 'इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना' का प्रारंभ किया गया है।

भौतिक विकास

इस कार्यक्रम के तहत शहर की 183 तंग बस्तियों में से 22 बस्तियों में पर्यावरण सुधार के भौतिक कार्य पूर्व में ही विश्व बैंक परियोजना के तहत नगर निगम द्वारा सम्पन्न किए जा चुके हैं। शेष 161 बस्तियों में ही भौतिक कार्य किए गए। भौतिक कार्यों के अंतर्गत निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया— सड़क निर्माण एवं गलियों को पक्का करने का कार्य, सीवर लाइन एवं सैप्टिक टैंक संबंधी कार्य, स्ट्रीट लाइटें एवं

घरेलू विद्युत प्रदाय कार्य, कम्युनिटी हाल के अंतर्गत प्राथमिकशाला की व्यवस्था, जल प्रदाय, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्नानागार, कचरे के डिब्बे लगाना, भौतिक सर्वेक्षण; साथ ही उच्चस्तरीय इलाज के लिए नई डिस्पेंसरियों का निर्माण।

सामुदायिक विकास

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलना, रोजगारमूलक प्रशिक्षण देना, कार्यकुशलता हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न हितग्राहियों को आवश्यक ऋण प्रदान करना, विशेषकर महिलाओं को घर में ही रोजगार उपलब्ध कराना, तकनीकी शिक्षा हेतु प्रायोजक तैयार करना आदि कार्यक्रम आते हैं। इन सबके अलावा सामाजिक कार्य जैसे— सामाजिक जागृति कार्यक्रम, शैक्षिक टूर, यूथ क्लब बनाने में सहायता, सहकारिता के माध्यम से अखाड़ों को सहायता पहुंचाना आदि प्रमुख हैं।

स्वास्थ्य विकास

इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रमुख गतिविधियां हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिक चिकित्सा, चाइल्ड-मदर केयर, टीकाकरण, बस्ती के लोगों में दवाईयां बांटना तथा छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज आदि आते हैं। इसके अलावा समुदाय की आवश्यकतानुसार विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाए गए।

विभागीय प्रशिक्षण शाखा

इसके अंतर्गत परियोजना में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आवश्यकतानुसार अधिकारियों को उच्चस्तरीय अध्ययन हेतु विदेशों में भी भेजा जाता रहा है।

'इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना' के लिए प्राप्त अनुदान राशि 60 करोड़ 50 लाख थी जबकि वास्तविक व्यय 61 करोड़ 23 लाख हुआ। मदवार कुल खर्चे का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

परियोजना के तहत जिन तीन मदों पर राशि खर्च की गई, उसमें सर्वाधिक संरचनात्मक विकास कार्यों पर (5153.97 लाख) व्यय हुई जो कुल व्यय का 84.17 प्रतिशत है। सामुदायिक विकास एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर 651.03 लाख खर्च हुए जो कुल व्यय का 10.63 प्रतिशत है। प्रशासकीय कार्यों पर मात्र 317.70 लाख व्यय हुए जो कुल व्यय का 5.18 प्रतिशत ही है। विश्लेषण से यह भी विदित होता है कि परियोजना में 73 लाख प्राधिकरण द्वारा अपनी निधि से खर्च किए गए।

परियोजना के कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण के हर स्तर पर बस्ती निवासियों की सहभागिता परियोजना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रही। परियोजना के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं, बस्ती निवासी स्वयं-सेवकों की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता के विकास तथा उन्हें परियोजना की अभिनव कार्य प्रणाली, उद्देश्यों के प्रति प्रशिक्षित करना परियोजना के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया रही।

ओ.डी.ए. परियोजना की वित्तीय सहायता एवं इंदौर विकास प्राधिकरण के प्रयासों से शहर में तंग बस्तियों के लोगों के रहन-सहन और सुविधाओं के स्तर सुधारने की दृष्टि से काफी प्रयास किए गए हैं जिससे 183 तंग बस्तियों के परिवारों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकीं जिसके कारण उनकी बसाहट स्वास्थ्य दशाओं के अनुकूल हो सकी। इस क्षेत्र के निवासियों में भी जागरूकता आई लेकिन अभी भी आवास की समस्या, स्वाच्छता का अभाव, खेलकूद का मैदान, विद्यालय एवं चिकित्सालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के संदर्भ में दिए गए प्रयास पर्याप्त नहीं है। फलतः तंग बस्तियों से संबंधित जो समस्याएं गंभीर रूप ग्रहण कर चुकी हैं उनके स्वरूप को देखते हुए किए गए प्रयासों से लगभग एक-चौथाई का ही समाधान हो सका है। अभी इस क्षेत्र में काफी कुछ किया जाना है।

वर्तमान में शहर में इन तंग बस्तियों में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि इन बस्तियों का उन्मूलन तो असंभव है लेकिन तंग बस्तियों में समुचित सुधार अवश्य संभव है। इन तंग बस्तियों को सुविधानुसार तथा प्राथमिकता के स्तर पर कसकर उन्मूलन तथा पुर्नवास समय-समय पर करते रहने से हालात में सुधार के साथ-साथ किसी हद तक समस्या से छुटकारा भी पाया जा सकता है बशर्ते शासन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें कि इस प्रकार की तंग बस्तियों का आगे निर्माण ही न हो।

कुल व्यय एवं प्रतिशत

विवरण	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
संरचनात्मक विकास कार्यों पर व्यय	5153.97	84.17
सामुदायिक विकास एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर व्यय	651.03	10.63
प्रशासकीय कार्यों पर व्यय	317.70	5.18
कुल योग	6122.70	99.98

नगरों का विकास, औद्योगिक विकास पर केन्द्रित योजनाएं एवं भारतीय ग्रामों में फैलती बेरोजगारी से इन तंग बस्तियों का निरंतर विकास होता रहा है। अत: यह परम आवश्यक है कि हमारी विकास योजनाओं में शहरों के साथ-साथ गांवों पर भी उचित ध्यान दिया जाए। यदि ग्रामीण शहरों में आएंगे ही नहीं तो इन तंग बस्तियों का विकास होगा ही नहीं। इस हेतु ग्रामों में वे सब सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जो शहरों में उपलब्ध हैं। गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे, शिक्षा के लिए स्कूल, चिकित्सालय आदि की समुचित व्यवस्था करनी होगी।

तंग बस्तियों की आवास समस्या सुलझाने का उपाय है शहर में समुचित आवास सुविधा उपलब्ध कराना, तंग बस्तियों में रहने वालों को उचित मकान बनवाकर देना। आवास की कमी तंग बस्तियों के उन्मूलन हेतु की गई अधिकांश सामाजिक व्यवस्था को निरस्त कर देती हैं। इस हेतु इन बस्ती निवासियों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाने आवश्यक हैं। यद्यपि इ.वि.प्रा. द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास सराहनीय हैं परंतु इन प्रयासों को निरंतर जारी रखा जाना आवश्यक है। इसके लिए प्राधिकरण को साधन एवं अधिकारसंपन्न बनाया जाना भी अनिवार्य है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'इंदौर तंग बस्ती सुधार परियोजना' आवश्यकताओं पर आधारित विकास कार्यक्रम रहा। विभिन्न विकास गतिविधियों के नियोजन, प्राथमिकताओं के निर्धारण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन के हर स्तर पर समुदाय की भागीदारी निश्चित करना परियोजना का प्रमुख लक्ष्य रहा। तंग बस्तियों में विकास प्रक्रिया में बस्ती निवासियों को हर स्तर पर निर्णय के अवसर उपलब्ध कराना परियोजना की एक अन्य विशेषता रही जिसके अंतर्गत बस्तियों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का रख-रखाव बस्ती निवासियों के सामूहिक प्रयासों से किया जा रहा है।

विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर एवं जनता की सहभागिता अर्जित कर विकास के लाभ अधिकतम निर्धन परिवारों तक कम खर्च में पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस प्रकार परियोजना सुविधाओं, सेवाओं और स्त्रोतों तथा उनके लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत समुदाय के मध्य एक सेतु की तरह रही एवं उस सेतु के निर्माण का कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

RAO IAS

THE MOST POPULAR INSTITUTE FOR IAS AND PCS

विशेषताएं - 96% सफलता IAS/PCS (Pre) में
56% FINAL SELECTION

• IAS/PCS (Pre & Main) बैच 4 जून से प्रारम्भ विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, मानव शास्त्र, भूगोल, जन्तु विज्ञान।

ALLAHABAD हिन्दी माध्यम पत्राचार कोर्स एवं क्लास कोचिंग, छात्रावास उपलब्ध
• IAS/PCS (Pre/Main) का सम्पूर्ण पत्राचार कोर्स उपलब्ध
निकट हनुमान मन्दिर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद फोन: 601624
नया पता - 14/1, स्टैनली रोड, (लोक सेवा आयोग के सामने), इलाहाबाद

LUCKNOW HINDI AND ENGLISH MEDIUM
• Pre and Pre cum Main Courses are Available • 18 months package for full course
36, Ravindra Garden, Aliganj, Lucknow. Ph. 331548 (Hostel Available for Boys & Girls)

VARANASI हिन्दी माध्यम
• छात्रावास एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध • PCS (J) Course available
चित्रगुप्त होटल, निकट कैन्ट रेलवे स्टेशन, वाराणसी फोन: 208061 Mobile 9839087054

विवरण पुस्तिका हेतु रू० 50/- M.O. से भेजें

NOTE - We have branches at ALLAHABAD, LUCKNOW & VARANASI Only.

RAO IAS, भारत की हिन्दी माध्यम की सबसे पुरानी एवं प्रतिष्ठित संस्था है। कुछ लोग RAO IAS के नाम को तोड़ मरोड़कर अनावश्यक रूप से छात्रों को भ्रमित कर रहें है। कृपया उनसे सावधान रहें।

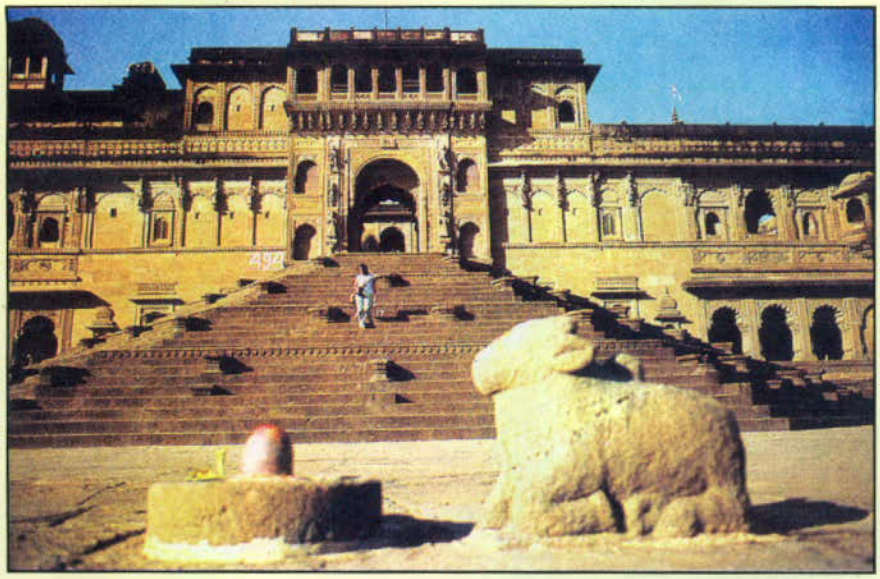

माहेश्वर के किलों जैसे घाट

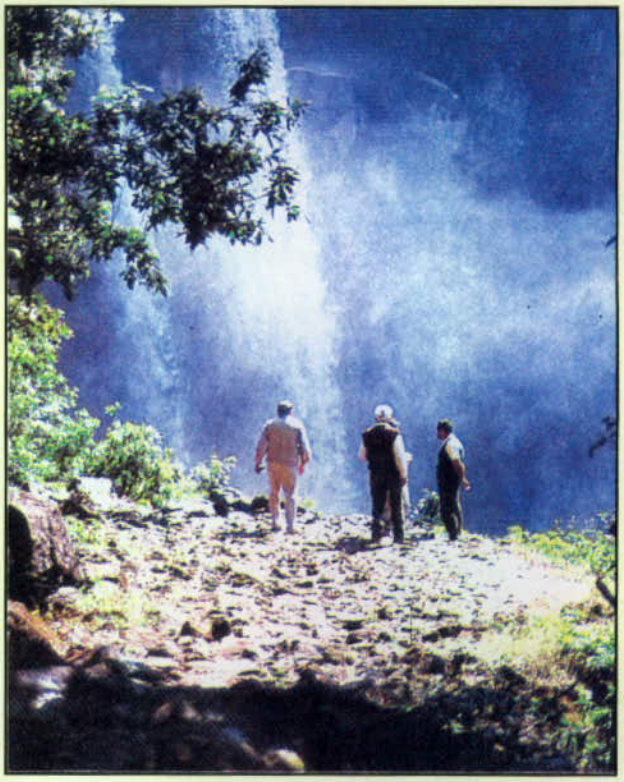

अमरकंटक के आकर्षक चश्में

भेड़ाघाट स्थित उषाकालीन संगमरमरी दर्रे का एक दृश्य

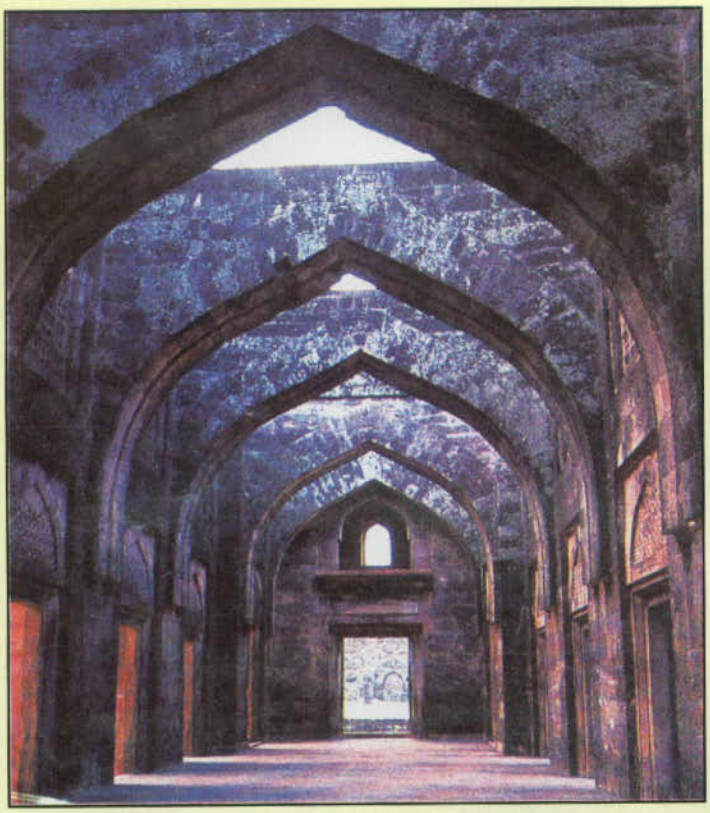

मांडू स्थित हिंडोला महल

पंचमढ़ी स्थित प्रियदर्शि

इंदौर के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी एक मूर्त्ति

भोपाल झील में सूर्यास्त

ग्वालियर किले की एक चित्रवल्लरी

सेट प्वाइंट

मय नौकायन

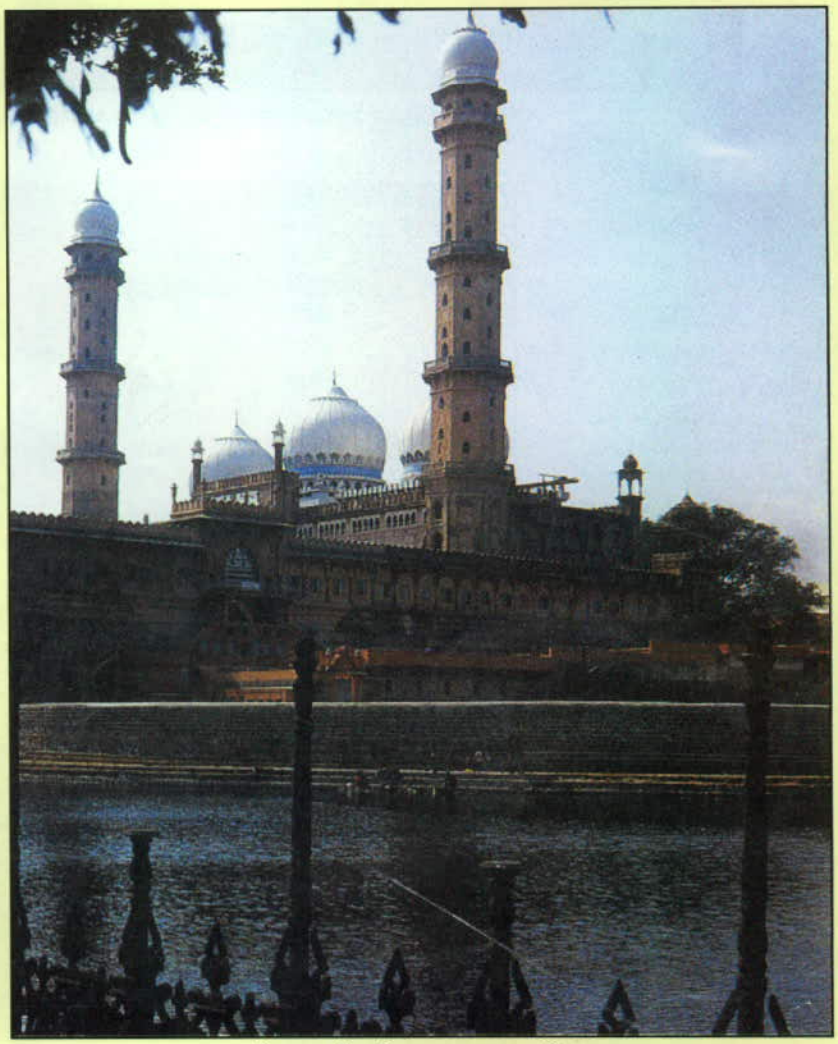

भोपाल की प्रसिद्ध ताज-ऊल मस्जिद

भीमडेटका स्थित खूबसूरत रंगीन शीशों और स्मारक पत्थरों वाला पुराना चर्च

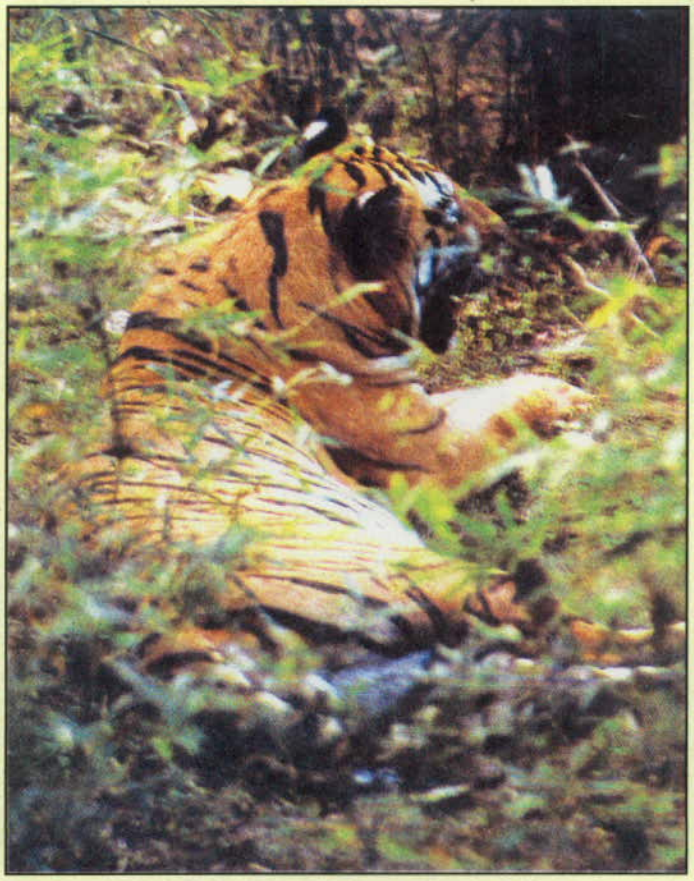

बांस की झाड़ियों के पीछे शिकार के इंतजार में बाघ

दिल्ली मेट्रो रेल यातायात का सुलभ साधन

○ गरिमा संजय

तेजी से बढ़ते आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और बढ़ती जनसंख्या के साथ जब सही तालमेल बिठाने की बात आती है तब सरकार को अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। तेज़ रफ्तार से भागती आधुनिक जिंदगी को उतनी ही तेज रफ्तार से एक से दूसरी जगह पहुंचाने का मुद्दा अपने-आप में खास अहमियत रखता है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां हर क्षेत्र में लगातार अभूतपूर्व विकास हो रहा है वहीं वर्षों से इसे यातायात से जुड़ी अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। चहुंमुखी विकास और सत्ता के केन्द्रीयकरण ने इस शहर का आकर्षण इतना बढ़ा दिया कि यहां जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती गई। जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप शहर में यातायात से जुड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई। एक ओर यातायात के सार्वजनिक साधनों में अत्यधिक भीड़ और मारामारी नजर आने लगी, तो दूसरी ओर सड़कों पर निजी वाहनों की भरमार ने ट्रैफिक नियंत्रण को एक समस्या बना दिया। इन हालातों में प्रदूषण और सड़क-दुर्घटना जैसी अनेक समस्याओं ने भी जन्म लिया। समस्या यहां तक बढ़ गई कि दिल्ली एशिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया और यहां के निवासियों के लिए वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बीमारी के प्रमुख कारण बन गए। ट्रैफिक जाम भी रोजाना की परेशानी का एक और कारण बना।

इन समस्याओं के मद्देनजर लगभग 1486 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस शहर के लिए एक वैकल्पिक यातायात व्यवस्था आवश्यक समझी जाने लगी और 1969-70 में केन्द्रीय सड़क संस्थान ने दिल्ली की यातायात-व्यवस्था और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया। सभी विकल्पों पर विस्तार से विचार करने के बाद इसने दिल्ली के लिए एक तीव्र गति और अधिकाधिक वहन क्षमता वाली यातायात व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसे 'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' कहा गया। तदुपरांत भारतीय रेल के महानगर यातायात दल ने इस व्यवस्था की समीक्षा करके उसमें कुछ फेरबदल किए और यातायात की एक सुदृढ़ प्रणाली की योजना बनाई। इस योजना के तहत दिल्ली में 36 किलोमीटर भूमिगत और 96 किलोमीटर सतही रेल-मार्ग का ऐसा जाल बिछाने का प्रावधान किया गया जो दिल्ली की सभी दिशाओं को आपस में जोड़ सके। 1984 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी अपनी योजना के तहत दिल्ली के लिए 200 किलोमीटर लंबी रेल यातायात प्रणाली, 10 किलोमीटर लंबे ट्राम-मार्ग और सड़क-मार्ग का व्यापक जाल बनाने का सुझाव दिया। शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में तेजी से होते विकास को देखते हुए रेल मंत्रालय ने एक ऐसे अध्ययन दल और टास्क फोर्स का गठन किया जिसका काम था पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने वाले मार्ग की रूपरेखा तैयार करना और उसके लिए सही तकनीक का चयन करना।

राइट्स द्वारा तैयार की गई 'इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ऑफ देलही' नामक रिपोर्ट में रेल-मार्ग,

लगभग 1486 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दिल्ली शहर के लिए एक वैकल्पिक यातायात व्यवस्था आवश्यक समझी गई और 1969-70 में केन्द्रीय सड़क संस्थान ने दिल्ली की यातायात-व्यवस्था और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया। सभी विकल्पों पर विस्तार से विचार करने के बाद इसने दिल्ली के लिए एक तीव्र गति और अधिकाधिक वहन क्षमता वाली यातायात व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसे 'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' कहा गया।

भूमिगत रेल मार्ग

मेट्रो-मार्ग और सड़क-मार्ग को मिलाकर 198.5 किलोमीटर लम्बा यातायात-मार्ग बनाने का सुझाव दिया गया। वर्तमान में इस सुझाव के प्रथम चरण का काम चल रहा है और 2005 तक इसे पूरा करने की योजना है। इसके अंतर्गत 41 किलोमीटर लंबे सतही या उपरिगामी रेल-मार्ग और 11 किलोमीटर लंबे भूमिगत मेट्रो-मार्ग का प्रावधान है। स्थान, हालात और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तीन तरह के रेलमार्गों का ऐसा प्रावधान किया गया जिसमें कहीं रेलमार्ग भूमिगत है, कहीं सड़क के समानान्तर और कहीं उपरिगामी सेतुओं पर पटरियां बिछाई गई हैं।

आवश्यकता क्यों और कब?

सरकारी मापदंड बताते हैं कि जब किसी मार्ग पर किसी एक दिशा में जानेवाले यात्रियों की संख्या प्रति घंटा 20 हजार व्यक्ति से ज्यादा हो जाए तो यातायात के सार्वजनिक साधन ही बेहतर विकल्प माने जाते हैं, क्योंकि इससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ऐसे में यातायात के ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है जिनकी रफ्तार तेज हो और जिनमें एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढोने की क्षमता हो। इससे लोगों के आवागमन में ज्यादा समय नहीं लगता और सड़क पर ट्रैफिक जाम, दुर्घटना और प्रदूषण जैसी समस्याएं भी कम हो जाती हैं।

'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है, जो पटरी पर आधारित कम लागत वाली और ज्यादा टिकाऊ प्रणाली है। ये परियोजनाएं पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल होती हैं क्योंकि ये यात्रियों को भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराती हैं। इसके जरिए प्रदूषण, दुर्घटना दर और ईंधन खर्च आदि में भी कमी लाई जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन औसतन पांच लोगों की मृत्यु होती है और 13 लोग घायल होते हैं। गौरतलब है कि इन दुर्घटनाओं में प्रमुख भूमिका शहर में दौड़ने वाली बसों की होती है। इसी प्रकार जहां तक प्रदूषण का प्रश्न है, आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं:

घरेलू प्रदूषण	— 8%
औद्योगिक प्रदूषण	— 12%
मोटर गाड़ियां	— 64%
ऊर्जा संयंत्र	— 16%

(स्रोत: डी.एम.आर.सी.)

रोचक तथ्य यह है कि मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई— इन तीनों महानगरों में कुल मिलाकर जितनी मोटर गाड़ियां चलती हैं, अकेले दिल्ली में उससे कहीं ज्यादा संख्या में गाड़ियां चलती हैं। इन हालातों में बसों और निजी वाहनों के बेहतर विकल्प की आवश्यकता स्पष्ट है।

आम तौर पर विकासशील देशों में किसी शहर की आबादी जैसे ही 10 लाख से ज्यादा हो जाती है वहां 'मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' की योजना तैयार होने लगती है और जब तक यह आबादी 20-30 लाख तक पहुंचती है, यह प्रणाली पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है।

इस नजरिए से देखा जाए तो दिल्ली शहर के लिए इसकी आवश्यकता काफी पहले उत्पन्न हो चुकी थी। 1981 में दिल्ली की जनसंख्या 57 लाख थी, जो 2001 में 132 लाख हो गई। यही नहीं, मोटर वाहनों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई। आंकड़ों के अनुसार— 1981 में जहां मोटर वाहनों की संख्या 5.4 लाख थी, वहीं 2001 तक यह तकरीबन 40 लाख हो गई। जाहिर है मापदंडों के अनुसार दिल्ली में मेट्रो सुविधा की शुरुआत अब तक हो जानी चाहिए थी किन्तु देश के आर्थिक हालातों के कारण इस योजना का समय से कार्यान्वयन आरंभ नहीं किया जा सका।

अनुमानित है कि मार्च 2005 में जब यह परियोजना पूरी होगी, इस पर लगभग 8 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके होंगे। परियोजना का खर्च भारत सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण मिलकर उठा रहे हैं। साथ ही जे.बी.आई.सी. से ऋण भी लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल

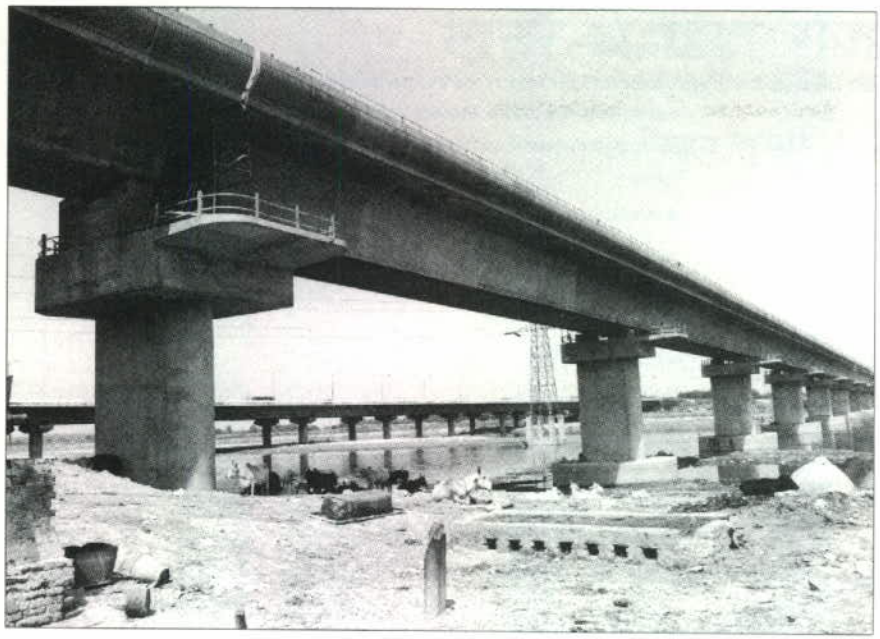

ऊपरिगामी रेल मार्ग

कॉरपोरेशन को दिल्ली में वर्ष 2005 तक 52 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल के निर्माण का काम सौंपा गया है। पूरी दिल्ली में फैले इस जाल में भूमिगत, सतही और उपरिगामी रेल मार्ग हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

चित्र-1 से इस विवरण को और स्पष्ट समझा जा सकता है। इनमें से 11 किलोमीटर लंबे भूमिगत मेट्रो मार्ग में 10 स्टेशन होंगे। परियोजना के अनुसार प्रति 3 मिनट पर रेल सेवा उपलब्ध होगी जिसकी रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके तहत प्रतिदिन 4.5 लाख यात्रियों को यातायात का साधन सुलभ कराया जा सकेगा। इसी प्रकार 41 किलोमीटर लंबी सतही और ऊपरिगामी रेलमार्ग में 31 स्टेशन होंगे और प्रति तीन मिनट पर मिलने वाली ट्रेन की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह यह ट्रेन प्रणाली 15 लाख सवारियां ढो सकेगी।

सुविधाएं

यातायात के इस सुलभ और सुविधाजनक साधन को यात्रियों की आवश्यकता के सर्वाधिक अनुरूप बनाने के उद्देश्य से इसमें अनेक प्रावधान किए गए हैं। सारे भूमिगत स्टेशन वातानुकूलित होंगे और भूमिगत रेल मार्ग को आवश्यकतानुसार हवादार बनाया जाएगा। भूमिगत स्टेशनों में लिफ्ट और एस्केलेटर्स की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था की गई है। हर स्टेशन पर विकलांग व्यक्तियों के पहुंचने के लिए दो स्थान सुनिश्चित किए गए हैं, जिनमें से एक पर बसें आएंगी और दूसरे पर निजी वाहन। यहां तक कि स्टेशन पर उनके लिए पहिएवाली कुर्सी तक की व्यवस्था की गई है। जहां आम लोगों के लिए सीढ़ी और एस्केलेटर्स की सुविधा है, वहीं वृद्धों, विकलांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। इतना ही नहीं हर ट्रेन में इंजन के साथ वाला डिब्बा विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित होगा और हर ट्रेन में एक पहिएदार कुर्सी की व्यवस्था होगी। पूर्ण वातानुकूलित, विद्युत से चलने वाले यातायात के इस अत्याधुनिक साधन के लिए विद्युत आपूर्ति एक अहम् मुद्दा है।

अनुमानित है कि वर्ष 2005 तक इस परियोजना के पूरा होने तक इसमें 75 मेगावाट विद्युत की खपत होने लगेगी। इसमें लिफ्ट, रोशनदान, वातानुकूलन और लिफ्ट आदि पर होने वाली खपत भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 45 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता उन व्यावसायिक केन्द्रों के लिए होगी जो स्टेशनों के पास लगाए जाएंगे। विद्युत की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही सुनियोजित तैयारी की गई है। वर्तमान समय में दिल्ली को तीन स्रोतों से बिजली मिलती है— दिल्ली विद्युत बोर्ड, बदरपुर ताप विद्युत गृह और उत्तर क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड। दिल्ली में विद्युत की कमी को देखते हुए और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के औरैय्या स्थित बिजलीघर के फेज दो से 120 मेगावाट विद्युत की व्यवस्था की गई है। इतनी व्यवस्था के बावजूद उत्तरी ग्रिड के पूरी तरह फेल हो जाने की स्थिति में भूमिगत मेट्रो मार्ग के लिए इंद्रप्रस्थ गैस टरबाइन पावर स्टेशन से बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सामान्य हालातों में

विवरण	लंबाई	मार्ग
दिल्ली वि.वि. - केन्द्रीय सचिवालय (वाया-पुराना सचिवालय, सिविल लाइन्स, आई.एस.बी.टी., दिल्ली मेन, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, कनॉट प्लेस, पटेल चौक)	11 कि.मी.	भूमिगत मेट्रो
शाहदरा-बरवाला (वाया तीस हजारी, त्रीनगर)	28 कि.मी.	सतही मेट्रो एवं उपरिगामी मेट्रो
त्रीनगर-नांगलोई	13 कि.मी.	

जल-क्रीड़ा का आनंद लेता गजराज

कुछ वर्षों से भारतीय वनों में बिजली का करंट लगाकर हाथियों की हत्या करना इनके शिकार का सबसे प्रचलित तरीका बन गया है। कुछ शिकारी बंदूक से बेहोश करने वाली गोली दाग कर हाथी को बेसुध कर देते हैं। फिर बेदर्दी से इसके दांत उखाड़ लिए जाते हैं। गहरे गड्ढे में गिराकर हाथी की हत्या करने का तरीका अब पुराना होता जा रहा है। इसके अलावा कटहल, केला आदि में जहर भरकर हाथी अभ्यारण्यों में रख देने का भी प्रचलन इधर बढ़ने लगा है। उड़ीसा में शिकारी हाथी को घेर कर लोहे की जहरीले कीलें चुभोकर उसे मार देते हैं। भारत में हाथियों की संख्या में आ रही कमी की एक और वजह है छोटे हाथियों का शिकार।

भारत में इस सदी की शुरुआत में हाथियों की संख्या में नर-मादा का अनुपात 1:1 था जो 90 के दशक में 5 मादा 1 नर हो गया। अब यह अनुपात 10 मादा 1 नर या उससे भी कम है। देश के वयस्क हाथियों में नर-मादा का अनुपात नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। इससे उनकी जनन-प्रक्रिया प्रभावित होती जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व 'ए गॉड इन डिस्ट्रेस' नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि भारत में दांत वाले हाथियों की संख्या लगभग 8-9 सौ के आसपास होगी। कुछ समय पूर्व किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में 29160 हाथी थे। हाथियों की संख्या के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है। वहां के जंगलों में 6088 हाथी बचे हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर केरल और असम राज्य हैं जहां क्रमश: 5737 और 5312 हाथी थे। इसी प्रकार तमिलनाडु में 2971, अरुणाचल प्रदेश में 2102, उड़ीसा में 2044, उत्तर प्रदेश में 1984, मेघालय में 1980, बिहार (झारखंड सहित) में 618, पश्चिम बंगाल में 260, नगालैण्ड में 147 और आंध्र प्रदेश में 57 हाथी पाए गए थे।

हाथियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1991-92 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तर्ज पर 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' शुरू किया। इसके तहत देश में कई स्थानों पर हाथियों के लिए विशाल शरणस्थली बनाई गई जहां वे स्वच्छंद विचरण कर सकें और जहां उन्हें वर्ष भर आहार की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं: (1) दक्षिण-पश्चिम बंगाल और दक्षिण-पूर्व बिहार (अब झारखंड), (2) कामेंग (अरूणाचल प्रदेश) से सोनितपुर (असम) तक, (3) डिब्रू (असम) से देवमाली (अरूणाचल प्रदेश) तक, (4) बैरेल (असम) से सैफुंग (मेघालय) तक, (5) कांजीरंगा-कारबी अंगलोंग (असम) से इंटांकी (नागालैंड) तक, (6) नीलगिरि (तमिलनाडु) से पूर्वी घाट केरल एवं कर्नाटक, (7) नालांबर साइलेंट वैली (केरल) से कोयंबटूर, अन्नामलाई (तमिलनाडु) और परांबीकूलम (केरल) तक, (8) पेरियार (केरल) से मदुरई (तमिलनाडु) तक और (9) राजाजी से जिम कार्बेट अभ्यारण्य तक। बावजूद इन तमाम अभ्यारण्यों और कानूनी प्रावधानों के हर साल देश में सैकड़ों हाथियों को बेदर्दी से मार दिया जाता है।

गांवों पर कहर

वनों के कटाव के कारण जंगल हाथी के

जीवित रहने की जरूरत को पूरा करने में विफल होने लगे। इससे हाथियों के सामने भोजन की समस्या पैदा हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि एक हाथी को अपना पेट भरने के लिए हर रोज औसतन 250 किलोग्राम चारा और 190 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब हाथियों के सामने दो ही विकल्प थे। पहला, भूख से तड़पकर दम तोड़ दें और दूसरा, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करें। हाथियों ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप दूसरा मार्ग चुना। जंगल में अपना जीवन संकट में देख हाथियों ने राह पकड़ी गांव-बधारों की। वहीं ग्रामीणों ने गांवों की ओर हाथियों के रुख को अपने ऊपर हमला मान लिया। और शुरू हो गया इंसान-हाथी का परस्पर संघर्ष।

जहां हर साल लगभग सौ हाथियों की हत्या होती है वहीं औसतन 200 लोग हाथियों के पैरों तले रौंद दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की फसल हाथी खेतों में बर्बाद कर देते हैं। 1993-94 में हाथियों द्वारा फसल उजाड़े जाने के 103 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 1994-95 में यह संख्या बढ़कर 312 हो गई। वर्ष 1995-96 में ऐसे मामलों की संख्या 969 पहुंच गई। वर्ष 1996-97 में इन मामलों में कमी आई और यह संख्या 670 रही जबकि 1997-98 में भी यह संख्या 500 से ज्यादा रही। गत वर्ष नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा के अलावा धर्मजयगढ़ और घरघोडा आदि क्षेत्रों में हाथियों का कहर टूट पड़ा। इन क्षेत्रों के 36 गांवों के 263 किसानों के गन्ना, केला, धान और मूंगफली की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कोरबा जिले में हाथियों ने कुचल कर 2 लोगों को मार डाला। इससे नाराज ग्रामीणों ने रायगढ़ से 24 किलोमीटर दूर बलभद्रपुर ग्राम में एक हाथी की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार असम में वर्ष 1997 से 2000 के बीच लगभग 250 लोगों की मौत हाथियों के पैरों से कुचल जाने से हो गई।

लगातार सिकुड़ते वन-क्षेत्र के कारण हाथियों का उत्पात रिहायशी क्षेत्र में काफी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से झारखंड राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग 150 लोगों की मौत हाथियों के पैरों तले कुचल जाने से हो गई। गत वर्ष दिसंबर माह में झारखंड राज्य के रांची जिले के कोठाटोली गांव में काफी उत्पात मचा। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हाथियों के पैरों से कुचल जाने से हो गई। वहीं वर्ष 2002 अप्रैल माह में झारखंड के कुजरुम जंगल में तेनो पहाड़ी के पास एक हाथी की सूंड़ कटी लाश मिली। माना गया कि शिकारियों ने दांत निकालने के दौरान उसकी सूंड़ भी काट दी होगी।

कई बार ग्रामीण हाथियों को रोकने के लिए पटाखों का प्रयोग करते हैं ताकि इसकी आवाज से डरकर वे गांवों की ओर नहीं फटके। लेकिन जब कभी पटाखे उनके शरीर पर लग जाते हैं, उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हाथियों का रुख गांव की ओर हो जाए तो विनाश तय है।

हाथियों का कहर बढ़ाने में उन उपायों की भी बड़ी भूमिका है जो इन्हें रोकने के लिए किए जाते हैं। कई बार ग्रामीण हाथियों को रोकने के लिए पटाखों का प्रयोग करते हैं ताकि इसकी आवाज से डरकर वे गांवों की ओर नहीं फटके। लेकिन जब कभी पटाखे उनके शरीर पर लग जाते हैं, उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हाथियों का रुख गांव की ओर हो जाए तो विनाश तय है। इसी प्रकार कुछ गांवों में आवासीय क्षेत्र के चारों ओर गहरी खाई खोद दी जाती है। यह अन्य उपायों की अपेक्षा कुछ हद तक सुरक्षित तो है पर काफी खर्चीला भी है। वहीं अगर हाथियों के बच्चे इसमें गिर गए तो उग्र हाथियों का उत्पात खेतों में ज्यादा हो जाता है। कुछ गांवों में बिजली के तारों के सहारे भी हाथियों को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अक्सर बिजली के तेज झटके से हाथियों की मौत हो जाती है। मतलब साफ है हाथियों को रोकने के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं, वे इतने अवैज्ञानिक है कि इससे समस्या और गंभीर हो जाती है।

हाल ही में हाथियों में एक और समस्या देखने में आई है। झारखंड राज्य के एक हाथी की मौत इसी वर्ष अप्रैल माह में एंथ्रेक्स से हो गई। बाद में वन अधिकारियों ने उसके शव का तीन चिकित्सकों के दल से अन्त्यपरीक्षण कराकर उसे जला दिया। इस मामले के बाद झारखंड सरकार ने पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में अन्य जानवरों को एंथ्रेक्स से बचाने के लिए 12 हजार टीके मंगाए। देश में वन रक्षकों की कमी के कारण भी हाथियों को बचाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर जहां वनरक्षक हैं भी वहां उन्हें हथियारों, वॉकी-टॉकी, जीप आदि की कमी के कारण गश्ती में परेशानी हो रही है।

सरकारी प्रयास

अब राज्य सरकारें अपनी सीमाओं के भीतर हाथियों और अन्य वन्य-जीवों को बचाने के लिए कमर कस रही हैं। झारखंड सरकार ने इसके तहत सिंहभूम वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मुहिम छेड़ी है। हाथियों के लिए संरक्षित यहां के वन-क्षेत्र के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार ने एक करोड़ रुपये की सहायता दी है। यहां के सारंडा, कोलन और पोरहट वन-क्षेत्रों में लगभग 260 हाथी रहते हैं। झारखंड सरकार आदिवासियों को हाथियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए दलमा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में

(शेष पृष्ठ 40 पर)

महिलाओं की स्थिति एवं विकास

○ रत्ना श्रीवास्तव

देश की प्रगति में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी अत्यावश्यक है। वे देश के कल्याण एवं विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। चूंकि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, महिलाओं के बिना अपेक्षित विकास नहीं किया जा सकता। पाया गया है कि ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाओं में विकास अधिक हुआ है। इक्कीसवीं सदी आने पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास में अनेक तत्व बाधक हैं:—

- हमारा सामाजिक ढांचा समाज में पुरुष और महिलाओं की अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित करता है। विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है।
- स्त्री-पुरुष भिन्नताओं का प्रारंभ पुरुष वरीयता और पितृसत्ता से प्रारंभ हुआ। यह एक ऐसी विचारधारा है जो पुरुषों को श्रेष्ठ मानने पर आधारित है। इसलिए पुरुषों को अधिक अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परंपरागत भूमिकाएं सौंपी गई हैं— वे हैं माता, पत्नी बनाम गृहिणी, रसोईया और बाल देख-भालकर्त्री। फिर भी महिलाओं ने अपनी परंपरागत भूमिकाओं के साथ समाज में प्रत्येक क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया है जबकि उनके साथ कदम-कदम पर भेदभाव किया जाता रहा है।
- गांवों में महिलाएं खेती का अधिकांश कार्य-बीज छींटना, पौधारोपण, निराई-गुड़ाई, खाद-पानी, फसल की कटाई एवं घर लाने तक सभी कार्य करती हैं। इसके बावजूद महिलाओं को कृषक श्रेणी में नहीं रखा गया है, केवल पुरुष ही कृषक श्रेणी में आते हैं।
- एक समान कार्य के लिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन, कम मजदूरी दी जाती है। (बीड़ी बनाने वाले, ईंट-भट्ठा आदि पर कार्यरत पुरुष-महिला मजदूरों की मजदूरी में अंतर।)
- नौकरियों में भर्ती/पदोन्नति में भी भेद-भाव किया जाता है।
- सरकारी नौकरी में भी समान पद पर कार्य करने वाली महिलाओं के साथ भेद-भाव किया जाता है यहां तक की पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकांश महिलाओं को ऑफिशियल कार्यों पर ही संलग्न किया जाता है।
- जिंदगी भर मां-बाप की सेवा के बावजूद मुखाग्नि देने का अधिकार केवल पुरुषों को है।
- समान शैक्षिक योग्यता, समान पद के बावजूद विवाह के समय दिया जाने वाला दहेज समाज में महिलाओं की स्थिति स्वयं चरितार्थ करता है। साथ ही महिला उत्पीड़न, बलात्कार, भ्रूण हत्याओं का सिलसिला समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति का द्योतक है।
- असमान स्तर के कारण उन्हें शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है।
- आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी घर के मुख्य निर्णयों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी जाती। यद्यपि निर्णय लेने वाले निकायों और राजनीति में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है, तथापि इन स्थितियों में अभी भी महिलाओं का प्रतिशत कम है।

देश की प्रगति में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भागीदारी अत्यावश्यक है। वे देश के कल्याण एवं विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। चूंकि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, महिलाओं के बिना अपेक्षित विकास नहीं किया जा सकता।

आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं

- अमेरिका जैसे विकसित देश तक में अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनाई गई हैं। वहां महिलाओं और पुरुषों के वेतन के बीच अंतर का अनुपात पिछले एक सौ वर्षों में नहीं बदला है। जबकि महिलाओं द्वारा अवैतनिक 'घर के काम' की कीमत आंकी गई है। 1995 की 'ह्यूमन डेवलपमेंट' रिपोर्ट के अनुसार सालाना कीमत 11 ट्रीलियन डालर अर्थात 11 हजार बिलियन डालर आंकी गई है।
- एक अन्य रिपार्ट के अनुसार महिलाएं सारी दुनिया में किए गए काम के घंटों में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती हैं, जबकि उन्हें दुनिया की कुल आय का मात्र 10 प्रतिशत प्राप्त होता है और वे केवल 1 प्रतिशत संपत्ति की मालिक हैं।
- पूरे विश्व में सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं उच्च प्रबंधकीय पदों पर हैं (1995 संयुक्त राष्ट्र परिषद विकास रिपोर्ट के अनुसार)।
- विश्व के 70 प्रतिशत सबसे गरीब और अनपढ़ लोगों में महिलाएं आती हैं।

जनसंख्या एवं साक्षरता अनुपात

पिछली एक शताब्दी में लिंगभेद का अनुपात घटा है। जहां वर्ष 1911 में प्रति एक हजार पुरुष 973 महिलाएं थीं, वहीं 2001 की जनगणना में यह संख्या 933 हुई है। गौरतलब है कि देश के महानगरों में स्थिति और भी विस्फोटक है। दिल्ली में प्रति एक हजार पर 813, पंजाब में 886, हरियाणा में 869, गुजरात में 927 और बिहार राज्य में 921 की सभी संख्याएं राष्ट्रीय औसत से कम हैं।

- वर्तमान 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख 15 हजार 247 है। इनमें महिलाओं की संख्या 49 करोड़ 57 लाख 38 हजार 169 है, और पुरुषों की जनसंख्या 53 करोड़ 12 लाख 77 हजार 78 है।
- संपूर्ण भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है। केरल में यह सर्वाधिक 87.86 प्रतिशत तथा बिहार में निम्नतम यानी 33.57 प्रतिशत है। अर्थात वहां 66.43 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं जबकि बिहार जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है और कुल जनसंख्या का 8.07 प्रतिशत है।

संख्या में कमी के कारण

- बिहार में 63.6 प्रतिशत विवाहित महिलाएं पौष्टिक आहार न मिलने के कारण खून की कमी से ग्रसित हैं। संपूर्ण भारत में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं।
- अधिकांश की 15 से 18 वर्ष की आयु में विवाह होने के कारण अपरिपक्व अवस्था में मां बनने के कारण मृत्यु हो जाती है, जिससे संख्या में कमी आती है। एन.एफ.एच.एस.2 1998-99 के अनुसार बिहार में 84 प्रतिशत लड़कियों

की शादी 18 वर्ष की उम्र तक, 51 प्रतिशत की 15 वर्ष तक एवं 33 प्रतिशत की 15 से 18 वर्ष की आयु के मध्य हो जाती है।

- सर्वविदित है कि देश के विभिन्न भागों में बालिका-शिशु हत्या होती है। इसके कारण महिलाओं की संख्या में काफी कमी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 0-6 वर्ष तक लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 927 बनी हुई है।
- हमारे देश में 92 प्रतिशत महिलाएं स्त्री रोग संबंधी विसंगतियों से पीड़ित रहती हैं। यहां प्रतिवर्ष प्रसूति से संबंधित कारणों से 1,20,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 5 लाख मृत्युएं होती हैं जिनमें से 99 प्रतिशत विकासशील देशों में होती हैं। 99 प्रतिशत में आधे से अधिक दक्षिण एशिया में होती हैं जिसमें भारत भी शामिल है।

- बालिका की हत्या के संबंध में अध्ययन करने पर कई आश्चर्यजनक एवं घृणित तथ्य उभरकर सामने आए हैं जैसे— तमिलनाडु में शिशु हत्या की प्रथा संबंधी सालेम जिले के पांच खंडों में एक स्वैच्छिक संस्था ने अध्ययन कर बालिका शिशु हत्या की काफी संख्या दर्ज की। वहां 51 प्रतिशत परिवार हत्या करते हैं। वह भी दिल दहलाने वाले तरीके अपनाकर। बालिकाओं को पीले कलेर पौधे का दूध पिला देते हैं अथवा सिरसफल की लेई दे दी जाती है। कुछ नवजातों को घाव के दानों में उबलता पानी दे दिया जाता है, कुछ की नाक दबाकर सांस रोककर हत्या की जाती है (रुस्तम-ए-हिंद के अनुसार)
- 10 सितंबर, 1999 को *टाइम्स ऑफ इंडिया* में समाचार छपा था कि राजस्थान के देवरा नामक गांव में 110 वर्षों में पहली बारात आई क्योंकि वहां बालिकाओं को जन्म के बाद तुरंत मार दिया जाता है। मारने के लिए या तो बच्ची को दूध के टब में डुबो दिया जाता है या अफीम खिलाकर या तकिये से दबाकर मार दिया जाता है। यह बच्ची ननिहाल में पैदा होकर पली-बढ़ी थी इस कारण बची रह गई।
- आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 101 मिनट में दहेज के कारण मृत्यु होती है। पूरे देश में हर वर्ष लगभग 5000 महिलाओं की दहेज के कारण मौत की सूचना पाई गई है। उत्तर प्रदेश में दहेज के कारण औसतन 100 मौतें होती हैं जो देश में सर्वोपरि है। तत्पश्चात महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश तथा तत्पश्चात बिहार का नाम लिया जाता है।
- भारत में हर वर्ष 67 लाख महिलाएं गर्भपात कराती हैं जिनमें से जानकारी तथा तकनीकी अभाव के कारण चालीस से पचास फीसदी महिलाओं की अकाल मौत हो जाती है।

अन्य असमानताएं

- कर्नाटक के एक गांव बट्टीवाला में 1985 में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि महिलाएं दिन भर में पुरुषों से कम कैलोरी हासिल कर उनसे अधिक काम करती हैं। यहां तक कि गर्भवती व प्रसूता महिलाओं तक को अधिक कैलोरी नहीं मिलती।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय की 1996-97 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ 30 लाख की कुल श्रम आबादी में सिर्फ 9 करोड़ महिला श्रमिक थीं।
- राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1972 से 1994 तक कराए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कृषि क्षेत्र में पुरुष श्रम संख्या लगातार कम हो रही है। पुरुषों की कृषि श्रम में भागीदारी 83.3 से घटकर 74.1 फीसदी रह गई है। इसके विपरीत महिला श्रम में मामूली अंतर आया है, जो 87.7 से घटकर 86.2 फीसदी रह गई है।
- अधिकांश महिलाएं स्वरोजगार या दैनिक भत्ते के आधार पर श्रम करती हैं। हालांकि संगठित क्षेत्रों में सिर्फ 4.4 मिलियन महिलाओं को रोजगार मिलता है, जिनमें से निजी क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या दो-तिहाई से अधिक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एक महिला दस वर्ष से 59 वर्ष तक औसत 24.6 वर्ष काम करती है, इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में एक महिला औसतन 11.6 वर्ष काम करती है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्र 25 से 59 वर्ष मानी गई है। हालांकि यह पाया गया है कि कम पढ़ी-लिखी महिला अधिक काम करती है।

साक्षरता पर एक दृष्टि

वर्ष	पूरी धनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत		
	महिला	पुरुष	कुल
1951	8.9	27.16	18.33
1961	15.34	40.40	28.31
1971	21.97	45.95	34.45
1981	29.75	56.37	43.56
1991	39.29	64.13	52.21
2001	54.16	75.85	65.38

(**स्रोत** : समाचारपत्र एवं प्रतियोगिता पुस्तकें)

लोकसभा एवं राज्य सभा में महिलाओं की उपस्थिति पर एक नजर

सामान्य चुनाव	वर्ष	लोकसभा में कुल		महिला	
		सीटों की संख्या	उम्मीदवारों की संख्या	कुल उम्मीदवारों की संख्या	विजयी उम्मीदवारों की संख्या
प्रथम	1952	489	1874	—	23
द्वितीय	1957	494	1518	45	27
तृतीय	1962	494	1985	70	35
अष्टम	1984	542	5574	164	42
एकादश	1996	543	13952	599	40
द्वादश	1998	539	4708	271	43
त्रयोदश	1999	543	—	277	48

स्रोत : भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

- रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। एवं 85 प्रतिशत महिलाएं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अनभिज्ञ हैं। 68.26 प्रतिशत महिलाएं सीटी बजाने, कटाक्ष, कामुक टिप्पणी तथा यौन-संकेतों के कारण मानसिक उत्पीड़न का सामना करती हैं; 25.17 प्रतिशत स्पर्श जैसे शारीरिक उत्पीड़न का सामना करती है।

बढ़ते कदम

इससे शोषण एवं उत्पीड़न के बावजूद महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर फेहरिस्त लंबी की है। चाहे बेरोजगारी का क्षेत्र हो या युद्ध का मैदान, वे सभी स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उनके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद ही कोई विभाग उनसे अछूता रहा हो।

केरल राज्य में तो 87.86 प्रतिशत साक्षरता है। महिलाओं के आत्मविश्वास को देखते हुए सरकार को 30 प्रतिशत आरक्षण हेतु लोकसभा में विधेयक लाना पड़ा। साथ ही वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में घोषित करना पड़ा।

1993 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन करके पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर-निकायों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। बिहार प्रदेश में वर्ष 1978 के पश्चात 2001 में पंचायत चुनाव कराए गए और ग्रामीण महिलाएं बहनें वार्ड सदस्या, उपमुखिया, मुखिया, ब्लॉक प्रमुखों के पदों को सुशोभित कर विकास की नई क्रांति लाने में अग्रणी बनीं।

पंचायत समितियों में सबसे अधिक महिला सदस्य उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। ग्रामीण पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था जिला परिषद में सबसे ज्यादा महिला सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश का तथा तृतीय स्थान कर्नाटक का है। महिला अध्यक्ष (प्रधान, सरपंच या मुखिया) सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में तथा आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 1995 में करीब दस लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों में थीं, जिनमें से करीब 75000 महिलाएं अध्यक्ष रूप में थीं।

रोजगार के क्षेत्र में जहां 1981 में उनकी भागीदारी 19.7 प्रतिशत थी वहीं 1991 में वह बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई। आज और भी वृद्धि हुई है।

संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदत्त करता है तो अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देता है चाहे महिला हो या पुरुष। अनुच्छेद 39 सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन की वकालत करता है।

महिलाओं के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने महिलाओं को विशेष ध्यान में रखकर उनसे संबंधित अनेकों कानून बनाए हैं ताकि उन्हें शोषण-उत्पीड़न से बचाकर पूरा सम्मान प्राप्त हो। जैसे— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, हिंदू विवाह अधिनियम (1966 में संशोधित), देह व्यापार निवारण अधिनियम (1956 में निर्मित, पुन: 1986 में संशोधित) दहेज निवारण अधिनियम 1961, संशोधित 1986 में, 1986 का महिलाओं के अभद्र चित्रण रोकने संबंधी कानून, 1986 का सती प्रथा निवारण अधिनियम, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 1994 जो भ्रूण पहचान को अवैध घोषित करता है।

इसके अतिरिक्त सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास को महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास की धारणा कल्याणोन्मुख थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाज के निचले स्तर पर महिला मंडल बनाम उनके विकास का प्रयास किया गया है। तृतीय एवं चौथी योजनाओं में महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विकास पर विशेष बल दिया गया। छठी योजना में महिलाओं के विकास वाले क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना महिलाओं के विकास कार्यक्रम के साथ उनके आर्थिक आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार का लक्ष्य भी शामिल किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत उन्हें शक्ति एवं

अधिकारसंपन्न बनाकर उनके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और विकास का लक्ष्य हासिल करना तय किया गया।

इनके अतिरिक्त महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु 'समेकित बाल विकास योजना' तथा आर्थिक विकास हेतु 'ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 'स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार' योजनांतर्गत स्वसहायता समूहों के माध्यम से उनके सशक्तिकरण का उपाय किया जा रहा है।

वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण' वर्ष घोषित कर महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की गई है।

महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करने के लिए पहली बार 5 स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरित किए गए। महिला सशक्तिकरण के लिए 'स्वयंसिद्धा' नामक एक समेकित योजना प्रारंभ की गई है जिसका लक्ष्य भी महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण करना है। यह महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के निर्माण पर आधारित है। कामकाजी महिलाओं के लिए 'डे केयर सेंटर' युक्त 29 हॉस्टलों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है जिनसे 61,564 महिलाएं लाभान्वित होंगी।

समेकित बाल-विकास सेवा योजना को 4388 ब्लॉकों से बढ़ाकर अगले वर्ष के अंत तक 5000 ब्लॉकों में लागू किया जाएगा। प्रसव पश्चात 500/- रुपये की अनुग्रह राशि बालिका के नाम से बैंक में जमा करने के लिए 'बालिका समृद्धि योजना' में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर वार्षिक छात्रवृत्ति का पात्र भी उन्हें बनाया गया है।

महिलाओं में साक्षरता सुधारने के लिए 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन', 'महिला समाख्या कार्यक्रम' और सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ किए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2000-2001 में लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 3800 करोड़ रुपये तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर दो सौ करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है। 'राष्ट्रीय महिला आयोग' की स्थापना की गई है। साथ ही महिला नियोजनालय दो राज्यों में स्थापित किया गया है। महिला थाना स्थापित किए जा रहे हैं।

सरकार महिलाओं के वास्तविक विकास हेतु कृतसंकल्प है एवं विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है।

अब उन्हें स्वयं भी प्रयास करना होगा कि घर-परिवार और समाज में उनके योगदान की महत्ता को समझा एवं सराहा जाए। जब महिलाएं खुद के बारे में सोचने और व्यवहार करने के तरीकों में बदलाव लाएंगी, अपनी स्थिति सर्वोपरि करने में सजग होंगी तभी वे सशक्त बनेंगी। विश्वास है कि महिलाएं स्वयं के आत्मबल, कर्मठता, सक्रियता एवं सरकारी सहयोग का लाभ लेते हुए कामयाबी हासिल करेंगी एवं स्वयं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर में बदलाव के साथ-साथ समाज में विकास की एक नई क्रांति लाएंगी। ❑

(लेखिका भोरे, गोपालगंज, बिहार में महिला प्रसार पदाधिकारी हैं।)

(पृष्ठ 35 का शेष)

पोस्टरों और वृत्त-चित्रों के माध्यम से प्रचार कर रही है।

गत अप्रैल माह में राज्य सरकार ने राजाजी राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरने वाली मालगाड़ियों को रात में नहीं चलाने का अनुरोध रेल मंत्रालय से किया। इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक रेल-पथ के दोनों ओर कांटेदार तार लगाने की भी मांग रेल मंत्रालय से की गई है। उल्लेखनीय है कि देहरादून और हरिद्वार के बीच 1987 से अब तक रेल लाइन पर कटकर 20 से भी ज्यादा हाथियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा आए दिन हाथियों द्वारा रेल आवागमन भी बाधित किया जाता है।

इसी प्रकार केरल के इराविकुम राष्ट्रीय उद्यान में वन-रक्षक परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना के तहत सेना के भूतपूर्व कमांडो वन-रक्षकों को बगैर हथियार भी लड़ने का प्रशिक्षण देंगे। इसके तहत 40 वर्ष से कम उम्र वाले वन-रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

हाल ही में मिजोरम सरकार ने दम्पा बाघ संरक्षित क्षेत्र के जीवों को बचाने के लिए अभ्यारण्य के आस-पास के गांवों के सभी परिवारों को दो गैस सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया है ताकि गांव वाले जलावन की समस्या से निपटने के लिए वृक्षों को नहीं काटें। इस योजना के तहत हाल ही में मिजोरम के पश्चिम फेलेंग क्षेत्र में दम्पा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों के 1000 परिवारों के बीच गैस सिलेंडर वितरित किए गए। केन्द्र सरकार ने वहां इस योजना के मद में 35 लाख रुपये दिए हैं।

इसी प्रकार महाराष्ट्र में वन विभाग ने राज्य के जंगलों के आस-पास रहने वाले 15 हजार गांवों के विकास की योजना बनाई है ताकि जीवनयापन के लिए इन गांवों के आबादी की जंगलों पर निर्भरता कम हो। इन गांवों के अधिकांश लोगों का जीवनस्तर गरीबी रेखा से नीचे है। महाराष्ट्र वन विभाग अब इन परिवारों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास करेगा। बदले में इन गांवों के लोगों से वन-संरक्षण में सहयोग मांगा जाएगा। अब जरूरत मिजोरम और महाराष्ट्र में चलाई जा रही इन योजनाओं के समान ही विकासपरक योजनाओं को देश में हाथी उपलब्धता वाले सभी राज्यों में चलाने की है।

बहरहाल, हाथियों को बचाने के लिए अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है। सभी प्रयास अभी से शुरू कर दिए जाने चाहिए। अन्यथा अगले कुछ दशकों में हाथी सिर्फ कहानियों में ही शेष बचेंगे। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

स्वास्थ्य एवं समृद्धि हेतु जैविक खेती

○ बी.एस. मीना
○ जी.एम. माथुर

बढ़ती जनसंख्या को अनाज उपलब्ध कराने हेतु घटते जोत के साथ-साथ संसाधनों की कमी को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक किसानों को सघन खेती पद्धति अपनाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस आधुनिक ऊर्जा-आधारित कृषि पद्धति ने, जिसमें उन्नत किस्मों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग मुख्य है, आज खेती को एक विवादास्पद मोर्चे पर ला खड़ा किया है जिसमें उत्पादन बनाम प्रदूषण, उत्पादकता बनाम टिकाऊपन, उत्पादन बनाम ऊर्जा आदि पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। असंतुलित कृषि गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण विघटन का खतरा पैदा हो गया है जिसने कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान ऐसी कृषि पद्धति की तरफ खींचा है जो पर्यावरण-अनुकूल तथा टिकाऊ हो। इस समस्या से निजात पाने में कार्बनिक खेती एक अच्छा विकल्प साबित हो रही है जो मृदा को स्वस्थ बनाए रखती है तथा पर्यावरण को हानिकारक प्रभावों से बचाती है।

असंतुलित कृषि गतिविधियों के परिणामस्वरूप पर्यावरण विघटन का खतरा पैदा हो गया है जिसने कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान ऐसी कृषि पद्धति की तरफ खींचा है जो पर्यावरण-अनुकूल तथा टिकाऊ हो। इस समस्या से निजात पाने में कार्बनिक खेती एक अच्छा विकल्प साबित हो रही है जो मृदा को स्वस्थ बनाए रखती है तथा पर्यावरण को हानिकारक प्रभावों से बचाती है।

कार्बनिक खेती सामान्यतया 'प्रकृति की तरफ झुकाव' आंदोलन के एक हिस्से के रूप में जानी जाती है। यह खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के उपयोग के स्थान पर मृदा की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फार्म-वेस्ट, कम्पोस्ट, सीवेज, पौधों के बचे भाग आदि का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक कार्बनिक खेती की शुरुआत ब्रिटेन से हुई जहां एक प्रकार की कृषि-पद्धति में मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए कम्पोस्ट पर अधिक जोर दिया गया। सर अलबर्ट होवार्ड (ब्रिटेन) को इस पद्धति का जनक माना जाता है। कार्बनिक किसान वे लोग थे जो मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति खेत अवशिष्ट तथा हरी खाद से करते थे तथा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते थे।

फायदे

आज कार्बनिक खेती अपनाने के कई फायदे हैं तथा आज कार्बनिक उत्पादों का दाम भी अधिक मिल रहा है।

1. **कम प्रदूषण**—चूंकि इस कृषि पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, अतः मृदा प्रदूषण एवं पानी प्रदूषण कम होता है। अवशेष की समस्या भी कम होती है।
2. **कम ऊर्जा**—इस कार्बनिक खेती में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। अतः लागत भी कम आती है।
3. **कम अवशेष समस्या**—खेत से प्राप्त अवशेष को कम्पोस्ट बनाकर वापस काम में ले लिया जाता है।
4. **अधिक मूल्य**—कार्बनिक उत्पादों का दाम भी अधिक मिलता है। ये उत्पाद स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। अतः लोग इसे अधिक खरीदने लगे हैं।
5. **कम मशीनीकरण**—इस पद्धति में कृषि क्रियाएं अधिक नहीं की जाती। अतः

कम मशीनों को उपयोग से खेती सम्भव हैं तथा छोटे किसान भी इसको आसानी से अपना सकते हैं।

6. **अच्छी गुणवत्ता**—कार्बनिक उत्पाद में अधिक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता। अत: इसमें 'हेल्थ हेजार्ड' की समस्या नहीं होती।

अवरोधक

अकार्बनिक खेती से कार्बनिक खेती अपनाने में शुरुआत में निम्न रुकावटें आ सकती हैं जो किसानों को हतोत्साहित कर सकती हैं:

1. भूमि संसाधनों को कार्बनिक खेती से अकार्बनिक खेती की तरफ बदलने में अधिक समय नहीं लगता लेकिन विपरीत दिशा में जाने में समय लगता है।
2. शुरुआती समय में फार्म उत्पाद में कुछ गिरावट आ सकती है जो कि किसान सह नहीं सकते। अत: उन्हें कार्बनिक खेती अपनाने के लिए अलग से प्रोत्साहन देना जरूरी है।
3. आधुनिक अकार्बनिक खेती ने मृदा में उपस्थिति सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर दिया है। अत: उनके पुनर्निर्माण में 3-4 वर्ष लग सकते हैं।
4. सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में किसान इस नए आयाम एवं बाजार में प्रवेश से भयभीत हैं।

अवयव

कार्बनिक खेती मुख्यतया फसल चक्र, उर्वरकों का उपयोग, कीट एवं व्याधियों की नियंत्रक विधियों के संदर्भ में अकार्बनिक खेती से भिन्न हैं। इस पद्धति के मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं:—

1. **जैविक खाद (आर्गेनिक मेन्योर)**—कार्बनिक पदार्थ जैसे फार्म यार्ड मेन्योर (गोबर की खाद), स्लरी, कम्पोस्ट, भूसा एवं फसल अवशेष अन्य फसल उत्पाद, जीवाणु खाद, हरी खाद, अवशेष फसल आदि के माध्यम से भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न के बराबर किया जाता है जो पर्यावरण गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक होती हैं। इनके अलावा कार्बनिक किसान (आर्गेनिक किसान) समुद्री खरपतवार, जलीय खरपतवार, खली एवं मछली खादों का भी उपयोग करते हैं। आर्गनिक खादों के उपयोग से भूमि में कार्बनिक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी जो इसकी जलधारण क्षमता में भी वृद्धि करेगी। मृदा-क्षरण एवं वाष्पोत्सर्जन दर भी कार्बनिक तत्वों द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। फसल चक्र में दालों वाली फसलों को शामिल करने से मृदा उर्वरकता बनाए रखने में सहायता होती है।
2. **अ-रासायनिक-खरपतवार नियंत्रण**—अकार्बनिक खेती की बजाय आर्गेनिक किसान खरपतवार नियंत्रण हेतु अधिक यांत्रिक विधियों का प्रयोग करते हैं। खरपतवारनाशियों का उपयोग कम से कम किया जाता है क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।
3. **जैविक कीट नियंत्रण (प्रबंधन)**—कृषि में कीट व व्याधियों का नियंत्रण किसानों व कृषि वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक विकट समस्या है यहां अरासायनिक जैविक कीट नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाता है। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वानस्पतिक कीटनाशक (बायोपेस्टीसाईड्स) जैसे— नीम आधारित उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ चुने हुए सूक्ष्म जीवाणु कीटनाशक (बी.टी. आधारित स्ट्रेन) भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

शुरुआत कहां से?

जैविक खेती अपनाने हेतु समुचित व्यवस्था व प्रबंधन के लिए रुके रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे सभी कृषक आसानी से अपना सकते हैं। इस हेतु जैविक खेती की विधि/विधियों का अपनी सुविधानुसार कहीं से भी अनुसरण आरंभ करें। छोटे स्तर पर किए गए उपाय ही इस विधा को अपनाने में सहायक होते हैं। अपनी जोत का कुछ हिस्सा जैविक विधियों द्वारा आधारित खेती के लिए निर्धारित करें तथा उसके लिए अलग से कार्ययोजना अपनाएं तथा फसलों का चुनाव, कार्बनिक खादों की उपलब्धता तथा कीट एवं व्याधियों के जैविक नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल करें, तथा उपलब्ध आदानों का समुचित प्रबंध करें। शुरू में इस विधि को अकार्बनिक खेती के संदर्भ में जांच हेतु अपनाएं तथा अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ें।

कार्य-योजना

जैव स्त्रोतों से पौध-पोषण

- **मिट्टी परीक्षण/भूमि का स्वास्थ्य**

—भूमि की सजीवता बनाए रखें।

—फसल चक्र—दलहन-अनाज/तिलहन/नकदी फसल चक्र, भूमि की उर्वरकता बनाए रखती है।

—अन्तरवर्तीय, मिश्रित, बहुफसल, बहुस्तरीय फसल, प्रकृति के पूरक सिद्धांतों/सहअस्तित्व के सिद्धांत को प्रोत्साहित करती है।

—जीवाणु कल्चरों का प्रयोग लाभदायक है।

- **जीवांश खाद/कम्पोस्ट**

उपलब्ध जीवांश को संवर्धित करें—

(अ) जीवांश को कदापि न जलाएं।

(ब) आवश्यक रूप से कम्पोस्ट बनाने की कोई भी विधि अपनाएं।

(स) नेडप कम्पोस्ट विधि एक वरदान है। इस विधि से उपलब्ध कम्पोस्ट की मात्रा जीवांश में मिट्टी के

संमिश्रण से दोगुनी करना संभव हो गया है।

(द) बायो गैस अपनाएं; जीवांश बनाएं खेत के लिए।

(ध) कम्पोस्ट की गुणवत्ता की वृद्धि हेतु खनिज रॉक, फास्फेट व नत्रजन स्थिर करने वाले व स्फुट घोलक जीवाणु का उपयोग करें।

- **वर्मीकम्पोस्ट**

केंचुए शीघ्रता से जैव पदार्थों को कम्पोस्ट में बदल देते हैं।

रासायनिक पौध पोषण : (यदि अति आवश्यक हो तो)

— जैव पौध पोषण की कमी की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों से की जाए।

— उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ाने हेतु इसे विभाजित एवं उपयुक्त स्थान पर दिया जाए।

एकीकृत भूमि व जल प्रबंध

- **भूमि-प्रबंध**

— भूमि को शोषण, क्षरण, लवणीयता व जल जमाव से बचाएं।

— खेत की मिट्टी खेत में ही रहे, इस हेतु खेत के चारों तरफ नाली व हल्की मेढ़ बनाएं।

— अनावश्यक रूप से गहरी जुताई को निरुत्साहित करें।

— न्यूनतम जुताई पद्धति अपनाएं। ऐसा करने से जमीन में आश्रय पा रहे कार्बनिक जीवांश, जीव सूक्ष्माणु, केचुंए आदि संरक्षित रहते हैं।

— भूमि पर किसी भी जीवांश, इत्यादि को जलाएं नहीं, अन्यथा भूमि की जैव क्रिया विपरीत रूप से प्रभावित हो जाती है।

— कटाई उपरांत बचे हुए पौध अवशेष (गेहूं, धान इत्यादि) को जमीन में रोटोवेटर/कृषि कार्य कर मिला दें या उसका कम्पोस्ट बनाएं।

— जैव पदार्थ क्षारीय व लवणीय भूमि सुधार का सशक्त माध्यम हैं, उनका उपयोग भूमि को स्वस्थ बनाए रखने में करें।

- **जल-प्रबंध**

— खेत का पानी खेत में रहे, इस हेतु खेत की हल्की मेढ़बंदी करें व जैव अवरोधक वनस्पति का उपयोग करें।

— फड़ सिंचाई पद्धति अपनाएं।

— प्रयास करें कि प्रत्येक खेत में एक छोटा पोखर हो।

— भूमि जल का क्षमता के आधार पर दोहन करें।

— वर्षा निर्भर कृषि में उपलब्ध जल का उपयोग सही बीज अंकुरण एवं जीवनरक्षक सिंचाई हेतु करें।

पारिस्थितक संतुलन

— पक्षी, सर्पवर्ग, एवं मेंढक को संरक्षण प्रदान करें क्योंकि ये कीटों को नियंत्रण में रखते हैं।

— उपयुक्त परजीवियों एवं परभक्षियों का उपयोग कीट नियंत्रण में करें।

— प्रकाश प्रप्रंच व फिरोमेन प्रप्रंच का उपयोग करें। ये कीट तीव्रता का संकेत देते हैं।

— सूक्ष्माणुओं का उपयोग कीट व व्याधि नियंत्रण में करें।

— एन्टीफीडेन्ट, बायोपेस्टीसाइड्स एवं कम जहरीले रसायनों का उपयोग यदि आवश्यक हो तो उचित समय एवं मात्रा में करें।

जैविक खेती की नई धारणा को अब विश्व स्तर पर मान्यता मिलने लगी है। आज प्रत्येक पर्यावरण संरक्षक इस नई कृषि पद्धति को अपनाने की बात कर रहा है। असंतुलित कृषि प्रक्रियाओं एवं अनियंत्रित कृषि आदानों के उपयोग से आज पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। अत: जैविक खेती दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

जैविक खेती पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले कारक जैसे— रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी आदि का उपयोग कम हो जाएगा जो पर्यावरण प्रदूषण को संतुलित करने में सहायक होगा।

आर्गेनिक कृषि पद्धति को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र, श्रीगंगानगर ने गांव 3 एच.एच. को गोद लिया है जिसमें प्रत्येक कृषक परिवार अपनी कुल जोत का कम से कम एक एकड़ जमीन में पोषक तत्वों की पूर्ति जैविक तत्वों के माध्यम से करेगा। इसमें उनके द्वारा बनाए गए कम्पोस्ट पिट में तैयार कम्पोस्ट खाद मुख्य है तथा निर्धारित खेत में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। यह एक अच्छी शुरुआत है। इस छोटे से प्रयास से कृषक स्वयं जैविक एवं अकार्बनिक खेती पद्धति के बारे में फसलों की स्थिति का आकलन करेगा तथा आगे चलकर अपनी जोत का अधिक हिस्सा जैविक खेती हेतु आवंटन करेगा। ऐसी शुरुआत करने वाला राजस्थान राज्य का यह पहला गांव है, तथा भारत का आस्था (महाराष्ट्र) के बाद दूसरा गांव।

आज रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ने लगी हैं। इसके निवारण हेतु कार्बनिक खाद्य पदार्थ पैदा होने लगे हैं जो बाजार में 'आर्गेनिक उत्पाद' के लेबल के साथ मिलते हैं। एक तो इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, दूसरे ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं। अत: जैविक खेती की आवश्यकता एवं संभावनाएं अधिक प्रभावी होती जा रही हैं। ❑

(लेखकद्वय कृषि अनुसंधान केन्द्र, गंगानगर में क्रमश: सहायक प्रोफेसर (प्रसार) एवं सहायक प्रोफेसर (मृदा) हैं।)

राष्ट्रीय विकास में लोक सेवाओं की भूमिका

○ सुरेन्द्र कटारिया

आर्थिक नियोजन के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की राह चुनने वाले देशों में लोक-सेवाओं का आकार तथा दायित्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है क्योंकि योजना निर्माण से लेकर उनके सफल क्रियान्वयन तक लोक-सेवक ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर कड़ी कमजोर सिद्ध हुई है। इस स्थिति को समाप्त किए बिना न तो सरकारी कार्यक्रम सफल होंगे, और न ही राष्ट्रीय विकास के विशद लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे। ऐसा लेखक का मानना है।

आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों में शासन के दायित्वों का बोझ तथा दायरा असीमित होता जा रहा है। कानून व्यवस्था के निर्धारण से लेकर आम व्यक्ति की सुख-सुविधाओं से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं तक के संचालन में लोक प्रशासन की भूमिका निर्णायक है। शासन के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं जिन्हें बदनाम रूप में 'नौकरशाही' भी कह दिया जाता है। दरअसल लोक सेवाएं तथा नौकरशाही समानार्थक शब्द नहीं हैं बल्कि परिस्थितिवश समानरूपी हो गए हैं। नौकरशाही एक वैचारिक या सैद्धांतिक प्रतिमान है जो आधुनिक औपचारिक संगठनों की कार्यप्रणाली को बताता है। चूंकि नौकरशाही के दोष जैसे— लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अहंकार, नियमबद्धता तथा अकर्मण्यता इत्यादि बुराइयां लोक सेवाओं में भी व्याप्त हैं अत: लोक सेवाओं का ढांचा तथा कार्यप्रणाली न्यूनाधिक मात्रा में नौकरशाही प्रतिमान पर ही आधारित है। बहरहाल, समस्त प्रकार की विसंगतियों तथा कमियों के बावजूद कटु सत्य यह है कि नौकरशाही का कोई ठोस विकल्प किसी भी देश के पास उपलब्ध नहीं है।

आर्थिक नियोजन के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की राह चुनने वाले देशों में लोक सेवाओं का आकार तथा दायित्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है क्योंकि सार्वजनिक नीतियों, कानूनों तथा योजनाओं के निर्माण से लेकर उनके सफल क्रियान्वयन तक में लोक सेवक ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रशासन के शीर्ष से लेकर निम्नतम पद तक प्रवर्तित पद सोपान में प्रत्येक कार्मिक का कोई न कोई विशिष्ट दायित्व निर्धारित है जो विधि के शासन के सिद्धांतों तथा सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारियों के संदर्भ में जुड़ा है। लोक सेवाओं के इस पद सोपात्मक ढांचे में कहीं भी कोई कड़ी कमजोर हुई कि वहीं नियोजित विकास का स्वप्न बिखरने लगता है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर कड़ी कमजोर तथा अकर्मण्य सिद्ध हुई है। नियोजित विकास के इन पांच दशकों के उपरांत भी देश से बेरोजगारी, गरीबी भ्रष्टाचार, रूढ़िवादिता, अकर्मण्यता तथा अपराधों के प्रसार सहित शोषणकारी प्रवृत्तियों पर यथोचित अंकुश नहीं लग पाया है तो इसके लिए भारतीय लोक सेवाओं की असफलता ही एक सीमा तक उत्तरदायी है। इसी क्रम में प्रो. डोनहैम ने कहा था—''यदि हमारी वर्तमान सभ्यता का पतन हुआ तो ऐसा मुख्यत: प्रशासन की असफलता के कारण होगा।'' निस्संदेह प्रशासन की यह असफलता इसमें कार्यरत लोक सेवकों की ही असफलता है।

घटती प्रभावशीलता

प्राचीन काल तथा मध्य काल में प्रवर्तित राजशाही शासन व्यवस्थाओं से लेकर अद्यतन लोक कल्याणकारी एवं लोकतांत्रिक राज्यों में प्रवर्तित लोक प्रशासन तक सरकारी कार्मिकों की उपादेयता तथा उपलब्धता निर्विवाद रही है। यद्यपि लोक सेवाओं का आधुनिक स्वरूप चीन तथा इसके पश्चात

जर्मनी में बहुत पहले सामने आ चुका था किन्तु भारत में आधुनिक लोक सेवाओं का विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान विकसित हुआ। स्वतंत्रता के समय केन्द्रीय सरकार में लोक सेवकों की संख्या 14 लाख थी जो 1999 में 45 लाख से भी अधिक हो चुकी थी। यदि सभी राज्य सरकारों के लोक सेवकों की संख्या भी इसमें सम्मिलित कर ली जाए तो देश में इस समय लगभग 2 करोड़ सरकारी कार्मिक कार्यरत हैं जो देश की कुल जनसंख्या का 2 प्रतिशत हैं। भारत में राज्य सरकारों के कार्मिकों की संख्या केन्द्रीय कार्मिकों की तुलना में अधिक बढ़ी है।

ऐसा माना जाता है कि 'राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है'। इसी तर्क की आड़ में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं में नौकरी पाना चाहता है। यद्यपि भारत में भी अन्य विकासशील देशों की भांति लोक सेवकों की संख्या अत्यधिक मानी जाती है लेकिन विकसित देशों से तुलना करें तो यह संख्या काफी कम दिखाई देती है। स्वीडन तथा डेनमार्क में 16 प्रतिशत, ब्रिटेन में 13 प्रतिशत, कनाडा तथा अमेरिका में 8 प्रतिशत तथा जापान में 4 प्रतिशत नागरिक सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। दरअसल भारत की 2 करोड़ लोक सेवकों की संख्या बहुत अधिक है, भले ही वह कुल जनसंख्या के प्रतिशत में कम प्रतीत होती हो।

अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण कारक राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। सेवा क्षेत्र के दायरे में सरकारी कार्मिक से लेकर डाक्टर, वकील, प्रोफेसर तथा घरों में काम करने वाली नौकरानी भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा 54.4 प्रतिशत, उद्योगों का 12.8 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का 31.8 प्रतिशत था जो 1990-91 में क्रमश: 30.9, 25.4 तथा 43.7 प्रतिशत हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने सेवा क्षेत्र को नई दिशा दी है। यही कारण है कि वर्ष 1999-2000 की राष्ट्रीय आय गणना में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटकर 25.5 प्रतिशत, तथा उद्योगों का 22.1 प्रतिशत हो गया जबकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा 52.4 प्रतिशत तक जा पहुंचा। आज यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है कि उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बढ़े बिना ही सेवा क्षेत्र का हस्तक्षेप बढ़ना क्या शुभ लक्षण कहा जा सकता है?

ऐसा माना जाता है कि 'राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है'। इसी तर्क की आड़ में कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सरकारी सेवाओं में नौकरी पाना चाहता है। यद्यपि भारत में भी अन्य विकासशील देशों की भांति लोक सेवकों की संख्या अत्यधिक मानी जाती है लेकिन विकसित देशों से तुलना करें तो यह संख्या काफी कम दिखाई देती है।

केन्द्रीय कार्मिकों की संख्या

वर्ष	कार्मिकों की संख्या	टिप्पणी
1948	14.45 लाख	केन्द्रीय कार्मिकों में लगभग 19 लाख रक्षा सेवाओं के कार्मिक भी हैं जो वस्तुत: लोक सेवकों की श्रेणी में नहीं आते हैं।
1957	17.73 लाख	
1971	29.82 लाख	
1984	37.81 लाख	
1999	45.00 लाख	

सभी विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं क्रमश: कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र—इस क्रम में विकास की ओर अग्रसर हुई हैं।

इसमें दो राय नहीं कि सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में अपना एक विशिष्ट योगदान है किन्तु तस्वीर का दूसरा पक्ष भी कम धुंधला नहीं है। जिस गति से लोक सेवकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है तथा इससे सरकारी खजाने पर जो बोझ पड़ा है वह भी कम चिंतनीय नहीं है। पार्किन्सन नियम के अंतर्गत सामान्यत: यह माना जाता है कि नौकरशाही अपने आकार में प्रतिवर्ष औसतन 5-6 प्रतिशत वृद्धि इस आधार पर कर लेती है कि उसके कार्यबोझ में भारी विस्तार हो गया है। भारत में केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा केवल कार्मिकों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन पर व्यय हो जाता है। वर्तमान में राज्यों की खस्ता वित्तीय हालात के लिए यह कहा जा रहा है कि ऐसा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के कारण हुआ है। वर्ष 1993-94 में वेतन भत्तों पर जो राशि (56768 करोड़ रुपये) व्यय हो रही थी वह 6 वर्षों के पश्चात 1999-2000 में तीन गुणा (169962 करोड़ रुपये) हो गई। यह राशि देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7 प्रतिशत है। सबसे बड़ी चिंता पेंशन के भुगतान से संबंधित है। विगत छह वर्षों के दौरान पेंशन की राशि सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो चुकी है। अकेले रेलवे बोर्ड के अधीन ही 17 लाख कार्मिक कार्यरत हैं तथा शीघ्र ही रेलवे द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि वर्तमान वेतन-भत्तों की राशि से भी अधिक होने वाली है। प्रश्न यह उठता है कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर कोई भी विकासशील देश आखिर कब तक कर्ज लेकर घी पीता रहेगा? यदि लोक सेवकों ने ही विगत पांच दशकों में पूर्ण निष्ठा तथा परिश्रम से कार्य किया होता तो आज भारत की तस्वीर दूसरी होती। यहां

हमारा आशय यह कदापि नहीं है कि सभी लोक सेवक भ्रष्ट अथवा अकर्मण्य हैं बल्कि लोक सेवकों की एक बड़ी संख्या ने राष्ट्रीय विकास में अपेक्षित योगदान नहीं किया है।

भारत उन देशों में सम्मिलित है जहां उच्च प्रतिभा तथा कौशलयुक्त मानव संसाधन की प्रचुरता है। इनमें वैज्ञानिक, चिकित्सक, इंजीनियर, सांस्कृतिक कलाकार, शिक्षक, प्रबंधक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ इत्यादि सम्मिलित हैं। तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण पर अथाह राशि सरकार द्वारा व्यय करने के उपरांत जब कोई निष्णात प्रतिभा देश-पलायन करती है तो यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक परिवेश तक, जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। भारतीय प्रशासनिक तंत्र ने ब्रिटिश विरासत को ढोते हुए विशेषज्ञों को तुलनात्मक रूप से कम वरीयता प्रदान की है तथा इसका दुष्परिणाम लोक सेवाओं की संवेदनहीनता तथा अल्प प्रभावकता के रूप में दिखाई दिया है। यदि नियमों की कठोरता तथा प्रक्रियाओं की औपचारिकता (लाल फीताशाही) से बंधी नौकरशाही आम व्यक्ति के प्रति दायित्वों से अनभिज्ञ है या सत्ता के अहं से ग्रस्त है तो उसे सरकारी योजनाओं में जन सहभागिता कैसे प्राप्त हो सकती है? स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण तथा सामाजिक विकास की अधिसंख्य कल्याणकारी एवं विकासपरक परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों में पूर्ण सफलता इसीलिए नहीं मिल पाई कि लोक सेवकों ने न तो जनता का विश्वास हासिल किया और न ही सरकारी कार्यक्रमों की सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की।

अपेक्षाएं

20वीं सदी के अंतिम दशक में तेजी से प्रसारित हुई उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की प्रवृत्तियों ने विश्व की लगभग सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया तथा न्यूनाधिक तर्क-वितर्क के बाद यह तथ्य स्वीकार किया जा चुका है कि समाजवादी तथा साम्यवादी विचारधारा का ज्यादा औचित्य शेष नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य (सरकार) की भूमिका को सीमित करते हुए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देना आज की आवश्यकता है। विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित तथा विभिन्न देशों द्वारा स्वीकार्य 'नव लोक प्रबन्ध' का दृष्टिकोण यह मानकर चलता है कि सरकार को भी निजी उद्यमी की भांति बाजार में उतरकर प्रतिस्पर्धी व्यवहार करना चाहिए तथा लोक कल्याण के नाम पर निरंतर घाटा उठाने की परम्परागत आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। इसी क्रम में सुशासन (गुड गवर्नेंस) तथा स्मार्ट (सिम्पल या स्माल, मोरल, अकाउन्टेबल, रिलायबल या रेस्पोन्सिव, ट्रांसपेरेन्ट) शासन की अवधारणा लोकप्रिय हुई हैं जिसके अंतर्गत विश्वभर में नौकरशाही का आकार घटाने, नौकरशाही में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने, जनता के प्रति संवेदनशील बनने तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूचना का अधिकार तथा नागरिक अधिकार-पत्र इसी दिशा में उठाए गए व्यावहारिक कदम हैं। भारत में पांचवें वेतन आयोग ने लोक सेवाओं में छंटनी की सिफारिश को केन्द्र सरकार ने अमली जामा पहना दिया है तथा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों ने सफलतापूर्वक नौकरशाही की काया को स्मार्ट बनाया है। राजस्थान में सरकार ने भ्रष्ट कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करके न केवल जन विश्वास अर्जित किया है बल्कि लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों में 'राज्य की शक्ति' का सशक्त अहसास भी शुरू हुआ है। निस्संदेह सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में गुणात्मक सुधार भी परिलक्षित होने लगा है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 1991 की बैठक में लिया गया 10 प्रतिशत पदों में कटौती का निर्णय शनैः शनैः रंग दिखाने लगा है। केन्द्र सरकार के बजट (2002-2003) में भी 12200 पदों की समाप्ति का लक्ष्य है। प्रश्न यह है कि यदि लोक सेवाओं का आकार इसी तरह घटाया जाता रहा तो सरकारी कार्यक्रमों की सफलता कैसे सुनिश्चित होगी तथा राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे?

राष्ट्रीय विकास परिषद की 1991 की बैठक में लिया गया 10 प्रतिशत पदों में कटौती का निर्णय शनैः शनैः रंग दिखाने लगा है। केन्द्र सरकार के बजट (2002-2003) में भी 12200 पदों की समाप्ति का लक्ष्य है। प्रश्न यह है कि यदि लोक सेवाओं का आकार इसी तरह घटाया जाता रहा तो सरकारी कार्यक्रमों की सफलता कैसे सुनिश्चित होगी तथा राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे? दरअसल आज के युग में स्वचालन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के कारण 'बाबू राज' के कार्य सरलतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक कम्प्यूटर पर कम कार्मिकों की सहायता से संपादित हो रहे हैं तथा अनुभव यह बताता है कि नौकरशाही के कार्यक्रम में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने से उतनी कुशलता तुलनात्मक रूप से दिखाई नहीं देती जितनी कि कार्मिकों की छंटनी पर दिखाई देती है। संभवतः भय के कारण कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। भारत जैसे देश में जहां राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, वहां ऋणात्मक अभिप्रेरणा अधिक सफल दिखाई देती है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजनाएं भी इसी क्रम में नए प्रयास हैं।

(शेष पृष्ठ 52 पर)

उफरैखाल में जल और जंगल की खेती

○ जितेन्द्र गुप्त

हिमालयी पर्वतमालाओं की बर्फीली वादियों के हिमनदों और जल से लदे बादलों से जितना जीवन-रक्षक जल मिलता है वह नीचे जाकर मैदानी क्षेत्रों को तो उर्वर और खुशहाल बनाता है परन्तु खुद पहाड़ी इलाकों के लोगों को पीने का पानी का संकट झेलना पड़ता है। खेतों की सिंचाई भी भगवान भरोसे रहती है। कारण दो हैं: ऊंची-नीची भू-संरचना जो पहाड़ों की विशेषता है। इससे भी बड़ा कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई जिसकी वजह से वर्षा का पानी जल्द बह जाता है अत: जल- धाराएं और स्रोत बारहमासी नहीं रह गए हैं। हरिद्वार को छोड़ दिया जाए तो समूचे उत्तरांचल में औसत वर्षा होने पर 67 अरब 24 करोड़ घनमीटर पानी बरसता है। वनों की रक्षा और अन्य उपायों से इसका एक प्रतिशत भी संजोया जा सके तो कभी भी पानी का संकट न हो।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी की उपेक्षा के कारण दुनिया के दूसरे सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी (मेघालय) को भी गर्मियों में पानी के लाले पड़ जाते हैं, चल प्राकृतिक जल-स्रोतों में पानी नहीं रहता।

उत्तरांचल में पानी संजोने के कई प्रयास हुए हैं। इनमें एक उल्लेखनीय प्रयास है दूधातोली लोक विकास संस्थान का, जिसका मुकाम है उफरैखाल। यह एक पिछड़ा इलाका माना जाता है जो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिलों के केंद्र में है। यहां एक इंटर कॉलेज भी है। यह संस्थान एक तरह से चमोली जिले में गोपेश्वर के दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल का विस्तार है। इस भूभाग में वन रक्षा और वनारोपण की अनिवार्यता की चेतना सन सत्तर के दशक में स्वराज्य मंडल ने ही जगाई थी और 'चिपको आंदोलन' छेड़ा था। वनों की अंधाधुंध कटाई से आस-पास के इलाकों में पानी और ईंधन की तंगी हो गई थी। इसलिए आदमियों और औरतों ने पेड़ों से चिपककर पेड़ों को कटने से रोका। तब आंदोलनकारियों में 'चंडीप्रसाद भट्ट' और 'गौरादेवी' के नाम सुर्खियों में आए थे। इस आंदोलन में औरतों की विशेष भूमिका थी। वन रक्षा के बाद वनारोपण अभियान भी शुरू हुआ।

दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने उफरैखाल में दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल के नमूने पर की तथा लोगों और विशेषकर औरतों को संगठित और सक्रिय किया। उद्देश्य वही था जो दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल का था। सबसे पहले उन्होंने वन विभाग द्वारा नीलाम पेड़ों को बचाने के लिए ग्रामवासियों को एकजुट किया और फिर उफरैखाल के गांव गाडखर्क से दो किलोमीटर दूर ऊंचाई पर काटे गए घने जंगल के स्थान पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया। कठिनाइयों के बावजूद लगभग बंजर और झाड़ियों वाले स्थान को फिर से हरा-भरा बनाने में संस्थान को मिली सफलता उल्लेखनीय है, पर कैसे मिली यह जानने योग्य है।

संस्थान ने चंदा इकट्ठा करके अपना काम शुरू किया, लेकिन 1985-86 में उसे परती भूमि विकास बोर्ड से दस गांवों में दो लाख पौधे लगाने और दस पर्यावरण जागरूकता शिविर लगाने के लिए पांच लाख रुपये मिल गए। बस फिर क्या था। संस्थान के कार्यकर्ताओं का उत्साह चौगुना हो गया। दो की जगह चार लाख पौधे रोपे गए और दो लाख पौधे जिला प्रशासन को बेचकर चार लाख रुपये कमा भी लिए गए।

सबसे पहले पौधे गाडखर्क गांव के पास पुराने जंगल की बंजर जमीन पर रोपे गए। 1967 का वर्ष सबसे सूखे वाला वर्ष निकला। पानी के रहे-बचे स्रोत भी सूख गए। रोपे गए पौधे नमी के अभाव में सूखने लगे। कई तो मर भी गए। आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी जाती है। काफी सोच-विचार के बाद एक उपाय सूझा। रोपे गए हर पौधे के पास एक गड्ढा बनाया गया जिससे कि उसमें वर्षा का पानी जमा हो सके और काफी समय तक पौधे को नमी देता रहे। यह जुगत कारगर साबित हुई। पौधों के सूखने का प्रतिशत घट गया। सूखे पौधों की जगह नए पौधे रोपे गए। 1990-91 तक गाडखर्क के बंजर जंगल में हरियाली छा गई। अब तो वहां पूर्ण विकसित वन है। बांज, बुरास, जायफल, चीड़ आदि स्थानीय नस्लों के अलावा देवदार के पेड़ भी सिर उठाए खड़े हैं।

सूखे के बावजूद वृक्षारोपण को कामयाब बनाने की तरकीब एक नए अभियान का बीज-मंत्र साबित हुई। नया अभियान था— छोटे-छोटे तालाब या तलैया बनाना। यह सिलसिला अनुपम मिश्र के परामर्श और राजस्थान की पारंपरिक जलसंग्रह प्रणामियों के अध्ययन के बाद शुरू हुआ। अनुपम मिश्र दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के

पर्यावरण कक्ष के निदेशक हैं। उन्होंने तालाबों पर काफी काम किया है और पुस्तक भी लिखी है जिसका कई भारतीय भाषाओं और फ्रांसीसी में अनुवाद भी हो चुका है। श्री मिश्र के सुझाव पर श्री भारती ने राजस्थान में जलसंग्रह के तौर-तरीके देखे और अंततः तय पाया गया कि पर्वतीय क्षेत्र के जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए छोटे-छोटे तालाबों की शृंखला बनाई जाए।

सबसे पहले गाडखर्क के जंगल में तालाबों या तलैइयों की शृंखला बनाई गई। इस कार्य के लिए संस्थान को उत्तरांचल सेवा निधि से 50 हजार रुपये मिले। वन में 1500 जल तलाई बनीं। जहां ढाल दिखा वहीं खुदाई करके तलाई बना दी गई। खोदी गई मिट्टी से चारों ओर मेड़ बना दी जाती है। उसके ऊपर पेड़ और दूबड़ घास लगा दी जाती है जिससे कि वर्षा होने पर मेड़ सुरक्षित बनी रहे। पहाड़ी के शिखर से ही वर्षा जल का संग्रहण आरंभ हो जाता है और फिर तलाई का पानी रिस-रिसकर नालों और जलधाराओं में पहुंचता रहता है।

गाडखर्क वन को लगातार नमी मिलते रहने के बाद विभिन्न गांवों में तलाइयां बनाने का काम शुरू हुआ। उत्तरांचल सेवक निधि से हर साल 50 हजार रुपये की सहायता मिल रही है, जिसका उपयोग 27 गांवों में 7,000 से भी अधिक तलाइयां बनाने में किया गया है। संस्थान के प्रवक्ता के अनुसार इनका आकार न्यूनतम 4 घनमीटर और अधिकतम 100-150 घनमीटर है। 2 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी तलाई खोदने और उसकी मेड़ पर पांच पौधे रोपने के लिए संस्थान पारिश्रमिक के तौर पर ग्रामवासियों को केवल 50 रुपये देता है। यही काम सरकार कराए तो उसे कई गुना अधिक खर्च करना पड़ेगा। स्थानीय लोग पारिश्रमिक के लोभ में तलाई नहीं बनाते, अपने लाभ के लिए बनाते हैं। इसलिए उसकी देखभाल भी करते हैं।

सच्चिदानंद भारती का दावा है कि अगर संस्थान को हर साल 50-60 हजार रुपये मिलते रहें तो हम दस वर्ष में यह काम 300 गांवों में फैला सकते हैं। तब इन सब गांवों की जल, जंगल और मिट्टी के कटाव की समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

वित्तीय सहायता से अधिक महत्व स्वयंसेवी संगठन का है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है स्थानीय लोगों की भागीदारी। 130 महिला मंगल दल दूधातोली लोक विकास संस्थान के साथ हैं जो उसका सबसे बड़ा संबल है। ❑

(लेखक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिन्ह लगाएं।)

मैं.....(पत्रिका का नाम एवं भाषा)

का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं।

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या..... तारीख.....

नाम.....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता :.....

.....

.....

पिन.....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें ☐

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066,

दूरभाष : 6100207, 6105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

स्वास्थ्य-चर्चा

कैसे स्वस्थ रहें आंखें अपनाएं कुछ सरल नियम!

○ डॉ. यतीश अग्रवाल

मनुष्य द्वारा प्रदान किए गए संवेदी अंगों में आंखों का अनमोल स्थान है। उनके माध्यम से हम तरह-तरह की जानकारियां प्राप्त करते हैं, दुनिया को देखते-पहचानते हैं और कार्य करते हैं। समझा जाता है कि किसी भी सामान्य दृष्टिवान व्यक्ति का 80 प्रतिशत ज्ञान आंखों से ही हासिल होता है। इसके लिए हमारी आंखें लगातार मेहनत करती हैं। अपना फर्ज पूरा करने के लिए वे औसतन एक दिन में 1,00,000 बार ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं घूमती हैं। उनकी करिश्माई संरचना का ही चमत्कार है कि दूर पहाड़ी पर टिकी नजरों को अगले ही पल महीन-सी सुई के छेद पर टिकने में कोई परेशानी नहीं होती।

हमारी आंखों ने जिस कुशलता के साथ स्वयं को आधुनिक जीवन के तेवरों के अनुरूप ढाला है, यह देखते ही बनता है। सृष्टिकार ने जिस समय आदमी और उसकी आंखों की रचना की थी, उस समय शायद उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आदमी दूसरे जानवरों से इतना अधिक उन्नत हो जाएगा और आंखों को इतने सूक्ष्म कार्य पूरे करने होंगे। मगर आंखें हर तरह की स्थितियों में हमारा बखूबी साथ निभाती आई हैं। इसके बावजूद हम उनके साथ अक्सर नाइंसाफी करते हैं और उन छोटी-छोटी सामान्य सावधानियों का भी ध्यान नहीं रखते जो आंखों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी हैं। यहां प्रस्तुत हैं कुछ बुनियादी नियम जिन्हें जीवन में ढाल लेना आंखों के लिए सेहतमंद होगा।

ठीक रोशनी में ही काम करें

हमारी आंखें रोशनी के विस्तृत रेंज में काम कर सकती हैं। उनमें यह क्षमता होती है कि वह पूर्णमासी की रात 0.1 लक्स प्रकाश में भी देख सकती हैं और चमकते सूर्य के 100,000 लक्स प्रकाश में भी कार्य कर सकती हैं। मगर हर काम के लिए दरअसल अलग-अलग प्रकाश की आवश्यकता होती है जिससे आंखें बिना किसी कठिनाई के सुविधा से उस कार्य में आपका साथ निभा सकती हैं। किसी चीज का आकार और रंग हमें कितना स्पष्ट दिखता है, यह इससे तय होता है कि उस चीज पर रोशनी कितनी पड़ रही है। हमारी देखने की क्षमता उस समय सबसे उत्तम होती है जब प्रकाश उस कार्य के अनुकूल होता है। रोशनी अधिक हो, तब आंखें चौंधियाने लगती हैं और रोशनी कम हो, तब भी आंखों पर जोर पड़ता है।

सामान्य दिनचर्या में पेश आने वाली कुछ साधारण स्थितियों में जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है वह इस प्रकार है—

कार्य/स्थान	प्रकाश
साधारण रूप से देखने के लिए	100 लक्स
पढ़ने के लिए	400 लक्स
सिलाई-कढ़ाई के लिए	600 लक्स
पलंग के सिरहाने	200 लक्स
क्लास रूम में	300 लक्स
ब्लैकबोर्ड पढ़ने के लिए	400 लक्स
सूक्ष्म उपकरण जैसे—घड़ी के कल-पुर्जे जांच के के लिए	2000 लक्स

चमक से बचें

हमेशा यह सावधानी बरतें कि रोशनी की तेज चमक सीधे आंख में न पड़े। उदाहरण के तौर पर चमकदार कागज पर छपी किताब पढ़ने पर अगर रोशनी का स्रोत आंखों के सामने है, तो कागज पर पड़ रही रोशनी परिवर्तित होकर सीधी आंख पर पड़ती है। देखने के लिहाज से इस तरह की रोशनी अनुपयोगी होती है, क्योंकि इससे चीजों के बीच वैषम्य (कंट्रास्ट) खत्म हो जाता है और चीजों को ठीक से देख पाना मुश्किल हो जाता है।

आंखों में यह चमक न पड़े और देखने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए उपयुक्त यह होगा कि रोशनी का स्रोत हमेशा एक ओर और आपके पीछे स्थित रहे। अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तो यह स्रोत बाईं ओर अगर आप 'लेफ्टी' हैं तो दाईं ओर होना चाहिए जिससे लिखते समय हाथ की छाया कागज पर न पड़े।

फ्लोरिसेंट ट्यूब अच्छी होती है

सबसे अच्छा प्रकाश सूर्य की रोशनी से मिलता है। यह न केवल मात्रा की दृष्टि से पर्याप्त होता है, बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी इसका कोई मुकाबला नहीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह रोशनी समान रूप से फैलती है। इसके बाद दूधिया बल्ब और फ्लोरिसेंट ट्यूब का नंबर आता है।

टिमटिमाते प्रकाश से बचें

निओन साइन, डिस्को लाइट्स, बार-बार जलती-बुझती प्रकाशमालाएं मन को

जितनी भी लुभावनी लगें, आंखों और सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं। जिन्हें सिरदर्द, माइग्रेन या मिरगी होती है, उन्हें टिमटिमाते प्रकाश में दौरा भी पड़ सकता है।

कंट्रास्ट से बचें

आंख उस स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है जब देखी जाने वाली चीज के आस-पास की रोशनी का स्तर उसी के समान हो या उससे जरा-सा कम। देखी जाने वाली चीज और उसके आस-पास की रोशनी में बहुत अधिक अंतर होने से आंख पर बहुत जोर पड़ता है और आंखें जल्द ही थक जाती हैं। इसके मायने स्पष्ट हैं, टेलीविजन देखते समय कमरे की बत्ती गुल न करें। चौंध से बचें। न सिर्फ क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाजी करते समय, बल्कि कहीं भी काम-काज करते हुए यह ध्यान अवश्य रखें कि आंखों में किसी चीज से चौंध न पड़े। शीशा, चमकदार पन्नी, खिड़की से आने वाली चौंध आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। अपने काम-काज की मेज हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां खिड़की या किसी अन्य प्रकाश के स्रोत से आंखों पर चमक या परावर्तित रोशनी न पड़ती हो।

कंप्यूटर मॉनिटर और नेत्र स्वास्थ्य

आजकल हर काम कंप्यूटर पर होने लगा है। कई नौकरियों में घंटों-घंटों कंप्यूटर पर काम होता रहता है और हमें मॉनीटर पर आंखें गड़ाई रखनी पड़ती हैं। इससे दिन के अंतिम भाग में कई बार नजर धुंधली-सी हो जाती है। आंखों को इस तनाव से बचाने के लिए कुछ छोटी-छोटी एहितयात अपनाई जा सकती हैं।

स्क्रीन की चमक पर नियंत्रण अनिवार्य—कंप्यूटर मॉनीटर से बहुत अधिक रोशनी आना नुकसानदेह है। इसलिए इसकी चमक का स्तर (ब्राइटनेस) कम करें। इसके बाद कंट्रास्ट की स्थिति भी संतुलित रखें। कभी भी स्क्रीन में 'ब्राइटनेस' और कंट्रास्ट को बहुत उच्च स्तर पर न रखें।

नियमित ब्रेक लीजिए—कंप्यूटर पर काम करते हुए कई तरह से बीच-बीच में जरा देर के लिए आंखों को आराम दिया जा सकता है। 10-15 मिनट के 'ब्रेक' लेने और कुछ और काम करने से आंखें भी नहीं थकतीं और टाइम भी जाया नहीं होता। सिर्फ इसके लिए अपनी कार्य-प्रणाली को थोड़ा नियोजित करने की जरूरत होती है। जैसे, थोड़ी देर के लिए फाइल-वर्क कर लें। यदि यह संभव न हो, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि बीच-बीच में सीट पर बैठे-बैठे ही आंखें मूंद लें या खिड़की से बाहर निहार लें। काम के दौरान फोन आ जाए तो इस समय का भी सदुपयोग करें और बात करते समय आंखें मूंद लें। कंप्यूटर पर काम के दौरान उससे संबंधित छिट-पुट काम भी निपटाते चलें जिससे मॉनीटर से कुछ देर की मोहलत मिल सके।

पलक झपकाते रहिए—यह छोटी-सी एहतियात ही आंखों के लिए मददगार साबित होगी। इससे आंखें प्राकृतिक अश्रु जल से नम होती रहेगी। यह जल पलकों के नीचे स्थित अति सूक्ष्म अश्रु-ग्रंथियों से निकलकर आंखों को स्वच्छ रहने में मदद करेगा। साथ ही, पलक झपकने से आंखें तनावमुक्त भी रहेगीं।

'टास्क लाइटें' इस्तेमाल कीजिए—काम करते वक्त जिन कागजात को पढ़ना हो उन पर पर्याप्त रोशनी पड़ने की व्यवस्था होना जरूरी है। इसके लिए कंप्यूटर की बगल में ही एक 'टास्क लाइटें' का इंतजाम करके रखें।

आंखों के लिए उपयुक्त चश्मे का इस्तेमाल करें—कंप्यूटर पर काम करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि-क्षमता बिल्कुल ठीक हो। यदि निगाह कमजोर हो और चश्मे की जरूरत हो, तो इसमें जरा-सी भी ढिलाई न बरतें। जिस समय अपना चश्मा बनने दें उस समय आप्टोमेट्रिस्ट को यह बताना कतई न भूलें कि आपका कार्य किस प्रकार का है। कंप्यूटर पर अधिक समय बीतता हो तो द्विफोकसी चश्मा, जिसमें दूर और पास दोनों के लेंस लगे होते हैं, पहनना ठीक नहीं रहता। उसे पहनकर काम करने से गर्दन अप्राकृतिक स्थिति में आ जाती है और गर्दन की कशेरुकाओं को नुकसान पहुंच सकता है।

काम करने के लिए उपयुक्त जगह चुनें—अपना कंप्यूटर इस प्रकार रखें कि मॉनीटर स्क्रीन पर चौंध या परछाई न पड़े। अगर जरूरत पड़े तो अनावश्यक से बचने के लिए पर्दे या वेनिशियन ब्लाइंड का इस्तेमाल करें। ❑

(डा. यतीश अग्रवाल एक प्रसिद्ध चिकित्सक, लेखक एवं स्तंभकार हैं।)

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर दो प्रतियों में भेजें जिनमें एक मूल प्रति हो तथा साथ में टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

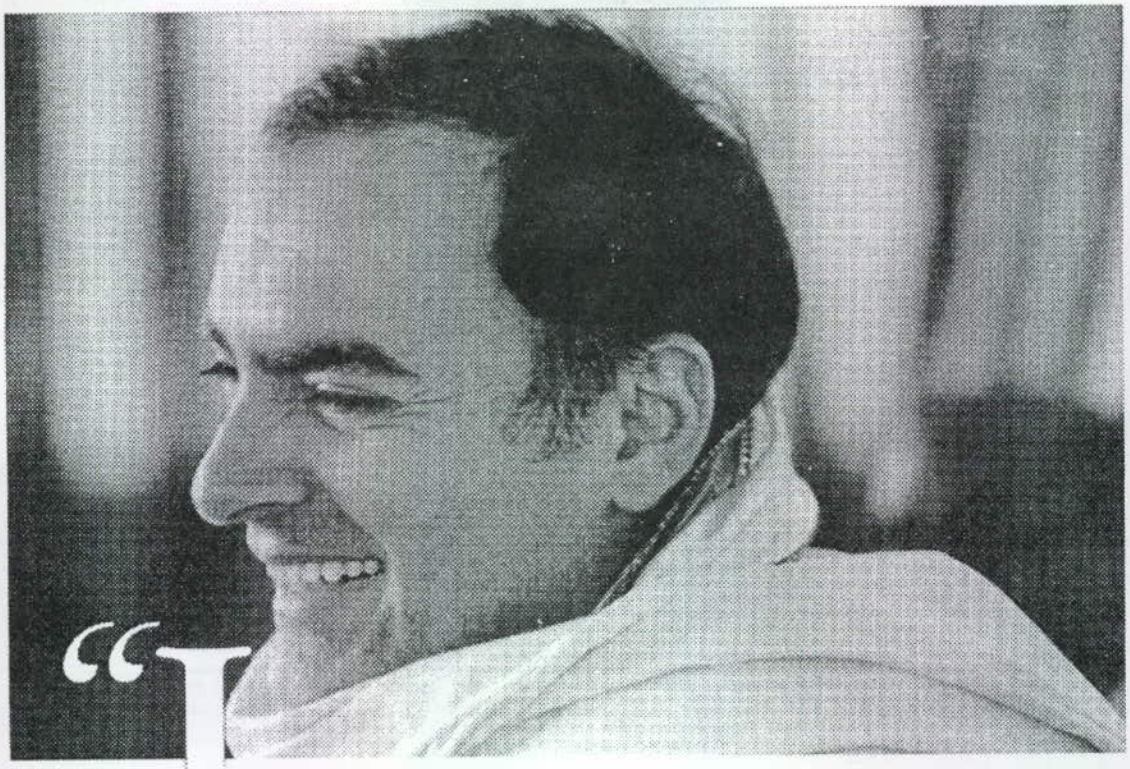

"I have nursed a dream,

a dream of the great Indian people

marching confidently into the future.

I dream of an India that excels itself."

- Rajiv Gandhi

Remembering Rajiv Gandhi...

...endeavouring to fulfill his dreams.

my delhi I Care

DELHI GOVERNMENT

Bhagidari

DIP/342/2002

(पृष्ठ 46 का शेष)

आर्थिक सुधारों के वर्तमान दौर में यह प्रश्न भी उठाया जाता रहा है कि यदि सरकार ही रोजगार के अवसर कम करेगी तो श्रमशक्ति का नियोजन तथा विकास कैसे होगा? दरअसल यह एक भ्रम है कि सरकारी क्षेत्र में ही रोजगार अधिक उपलब्ध हो सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के आगमन से भारत में निजी क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं किन्तु समस्या जनसंख्या विस्फोट की है। राष्ट्र के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोक सेवक अपना कार्य पूर्ण नियमबद्धता एवं प्रतिबद्धता से ही नहीं बल्कि उस रूप में करें जैसा कि वे निजी क्षेत्र में होते तो करते। समस्या यह है कि लोक सेवक स्वयं तो जनता का सेवक नहीं बल्कि स्वामी मानकर व्यवहार करते हैं तथा जनता के मन में नौकरशाहों के प्रति दोहरी मानसिकता है। जब आम आदमी को सरकारी अफसर से कार्य कराना होता है तब तो वह उसे 'हुजूर, माई-बाप' कहता है तथा कार्य पूरा हो जाने पर आम आदमी नौकरशाही तथा जनता को पृथक-पृथक मानते हुए एक दूरी बना देता है यही स्थिति नौकरशाही में है। जब एक आम आदमी उनके पास कार्य से आता है तो नौकरशाही उसे असहाय, मूर्ख तथा आश्रित समझकर व्यवहार करते हैं तथा जब नौकरशाही को जनता से काम पड़ता है तो निरर्थक अपील की जाती है। इस दुविधापूर्ण स्थिति को समाप्त किए बिना न तो सरकारी कार्यक्रम सफल होंगे और न ही राष्ट्रीय विकास के विशद लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे। ❑

(लेखक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

'पर्यावरण-पर्यटन एवं पर्वत'

अगस्त 2002 स्वतंत्रता दिवस विशेषांक

'**यो**जना' द्वारा समय-समय पर विभिन्न सामाजिक विषयों पर विशेषांक निकाले जाते हैं जिन पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमें मिलती रहती हैं।

इस बार अगस्त 2002 विशेषांक के लिए 'पर्यावरण-पर्यटन एवं पर्वत' विषय निर्धारित किया गया है। अन्य विशेषांकों की तरह यह विशेषांक भी जाने-माने लेखकों द्वारा लिखे गए सूचनापरक एवं रोचक लेखों से भरपूर होगा।

आप अपने स्थानीय विक्रेता के पास अपनी प्रति सुरक्षित करवा लें या फिर विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग (पत्रिका एकक) ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 (दूरभाष : 6105590, 6100207) से संपर्क करें।

विशेषांक की कीमत 15 रुपये होगी।

U.G.C. POINT

India's First & Only Institute for
CSIR / UGC / GATE Examination

GUIDANCE

By renowned university professor's from IIT, JNU, DU and a team of 50 research scholars who have alreay cleared this examination.

STUDY MATERIAL

Strictly based on the new syllabus. The entire study material has been collected and prepared with a research oriented methodology which should free you from the time consuming task of searching for the same.

RESULTS

We create history in our maiden batch. Our 35 Students (out of 52) get selected in UGC Exam. Legacy continued

Dec.-2000 :	UGC-65 Selections	CSIR-42 Selections
June-2001 :	UGC-73 Selections	CSIR-58 Selections
Dec.-2001 :	UGC-107 Selections	CSIR-71 Selections

Subjects Offered *(for classroom & correspondence both)*

CSIR : Mathematical Sc., Life Sc., Chemical Sciences, Physical Sciences & Gen. Sc.

GATE : Civil, Mech. E&T, Computer, Electrical, Chemistry, Physics, Maths.

UGC : Reasoning, Hindi, Sanskrit, Urdu, English Literature, History, Pol. Science, Economics, Sociology, Geography, Education, Philosophy, Public Admn., *Commerce, *Psychology, *Management, *Library Science & *Environmental Sciences

हिन्दी व English Medium Both

(* Only in English medium)

1-CLASSROOM TEACHING PROGRAMME FOR UGE-CSIR

Full Time Course — Duration 3½ Months

Crash Course — Duration 2 Months

SLET Syllabi will also covered

NEW BATCHE FROM - 15TH JULY 2002 &

5th & 20th of Every Month (Except June & December)

2-CORRESPONDENCE TEACHING PROGRAMME FOR UGE-CSIR JUNE 2002

Those students who are unable to attend our class-room coaching can avail our postal guidance. The material posted includes the reference material, our study material, and model question papers. Which is to be sent back by the students after solving. We in turn will evaluate it and refer back to the students with their strength and weaknesses.

3-CONSULTATION, STRATEGY DISCUSSION & FIVE MODEL TEST SERIES

Students can also avail our consultations which discusses strategy for appearing in examination, provides **five model test papers, guess papers. Our faculty consisting of senior university professors who will evaluate the answer to model test papers and will suggest for improvements.** List of appropriate books and reference material.

For More Detail Information & Guidance Contact : **Dr. Pramod Kumar Singh** (JNU), Director

UGC POINT

UGC/CSIR/GATE Exam Division of Career Shapers

HOSTEL FACILITY AVAILABLE FOR BOYS & GIRLS

27 G, Shapers House, Jia Sarai, Near IIT Delhi, New Delhi-16 ✆ 6611045, 6611047

E-mail : careershapers@indiatimes.com Website : www.careershapres.org

रजि. सं. डी. एल. 12036/2002 लाइसेंस संख्या यू (डी.एन.)-53/2001 डाक व्यय की पहली अदायगी किए बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस प्राप्त पंजी सं. 951/5
Reg. No. D.L. 12036/2002 R & Licence No. U (D.N.)-53/2001 to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/5

IAS..... यथार्थ अनुभव

रिक्तियों के कटौती एवं बढ़ते हुए प्रतियोगिता के दौर में हमने अध्यापन को नई दिशा प्रदान की है एवं सफलता के नए सूत्रों को प्रतिपादित किया है। सिविल सेवा परीक्षा, 2001 में 56 परीक्षार्थीयों का चयन एवं सर्वोच्च दस में 2 का चयन संस्था के प्रयासों को स्थापित करता है। अध्यापन एवं मार्गदर्शन के स्तर में अंतर स्पष्ट एवं विशिष्ट है .....

नए सत्र के कार्यक्रम

कक्षा कार्यक्रम

सामान्य अध्ययन	द्वारा हेमंत झा एवं के0 सिद्धार्थ	बैच प्रारंभ : 4 जुलाई, 2002
भूगोल	द्वारा के0 सिद्धार्थ	बैच प्रारंभ : 1 जुलाई, 2002
इतिहास	द्वारा हेमंत झा	बैच प्रारंभ : 4 जुलाई, 2002
दर्शनशास्त्र	द्वारा धर्मेन्द्र कुमार	बैच प्रारंभ : 4 जुलाई, 2002
निबंध		बैच प्रारंभ : 7 अगस्त 2002

पत्राचार कार्यक्रम

पर्याप्त, प्रमाणित, परिवर्तित एवं संशोधित अध्ययन सामग्री – उत्तर प्रारूप – विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर की जाँच की व्यवस्था – दूरभाष वार्तालाप सुविधा – ई–मेल की सुविधा – समय–समय पर सुझाव, नई दिशा तथा उपगमन से संबंधित अध्ययन सामग्री।

विषय : सामान्य अध्ययन, भूगोल, इतिहास, दर्शनशास्त्र

शुल्क : मुख्य परीक्षा रू0 2,000/– प्रारंभिक परीक्षा रू0 2,000/–

परिचर्चा

विषयः सामान्य अध्ययन, इतिहास एवं दर्शनशास्त्र

तिथिः उत्तरी दिल्ली केन्द्र 24,25,26,27,28 जून, 2002 दक्षिणी दिल्ली केन्द्रः 27,28,29,30, जून, 2002

संस्था के कार्यक्रमों में परिचर्चा का विशेष आकर्षण है। विभिन्न क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के अनुरोध पर इसे आयोजित किया जा रहा है। सैकड़ों परीक्षार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। परिचर्चा वस्तुतः सिविल सेवा परीक्षा के लिए सम्यक् मार्गदर्शन का एक प्रभावी माध्यम रहा है। तैयारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, तैयारी में सम्यक् दिशा पर चर्चा, विषय–वस्तु से संबंधित मुद्दों पर चर्चा, प्रश्नोत्तर लेखन पर चर्चा परिचर्चा के केन्द्र बिन्दु हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें!

C A R E E R P O I N T In alliance with

A Centre of Excellence for Civil Services Examination

NORTH DELHI CENTRE : 2589, HUDSON LINES, KINGSWAY CAMP, DELHI-110 009,
PH. : 724 0105
SOUTH DELHI CENTRE: 30-B, BERSARAI, OPP. JNU OLD CAMPUS, DELHI-110 016,
PH. : 696 6168
FOR OUTSTATION CALL: 011-2714482 (Timing: 10:00 p.m. to 12:00 p.m.) E-mail: careerpoint@vsnl.net

CENDER

पर्यावरण एवं संसाधन विकास केन्द्र

C-11, Sector - 53, Noida - 201 307, (UP)
Tel.: 0120-4490076, Mobile: 9868114604
E-mail: suhasini@bol.net.in

FOR THE PROSPECTUS, PLEASE SEND A DRAFT / MONEY ORDER OF RS. 30/-

पी.एस. भटनागर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 3378626, 3379686
कार्यकारी संपादक : अंजनी भूषण